बुधवार,
४ मार्च, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

Preservation

लोक सभा

बुधवार ४ मार्च १९५३

सदन की बैठक २ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कलकत्ता में आत्मगतिक टेलीफ़ोन प्रणाली

*४७७. **श्री ए० सी० गुहा**: क्या **संचरण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता में आत्मगतिक टेलीफोन प्रणाली चलाने का काम शुरू कर दिया है; तथा

(ख) यदि हां, तो (१) काम कितना हो चुका है, और कब तक पूरा होना है, तथा (२) कलकत्ते के कौन कौन विनिमय केन्द्र पहले पूरे किए जायंगे ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) हां।

(ख) (१) काम की प्रगति की ताजी रिपोर्ट की एक प्रति सदन-पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १२**]। १९५७–५८ तक काम के सब प्रकार से पूरे हो जाने की आशा है।

(२) ३ विनिमय केन्द्र, मध्यवर्ती (४००० लाइनें), जोड़ासांको (५६०० लाइनें), और अवेन्यू (४२०० लाइनें)। अगस्त, १९५३ तक इनके चालू हो जाने की आशा है।

श्री ए० सी० गुहा: पटल पर रखा गया विवरण बड़ा ही पेचीदा है। मैं माननीय मन्त्री से पूछता हूं कि वह यह कब बता सकेंगे कि उन्होंने अपने पद पर पूर्ववर्ती महोदय द्वारा बताई गई यह बात बिल्कुल पलट दी है कि कलकत्ता विनिमय केन्द्र की हालत बहुत बुरी है और उसका काम सबसे गया बीता है और दाम सब से अधिक पड़ते हैं ?

श्री राज बहादुर: जैसा मैंने अभी-अभी बताया, हम आत्मगतिक बनाने की पूरी योजना १९५७–५८ तक समाप्त करना चाहते हैं और मेरी समझ से ये सारी शिकायतें तब तक खतम हो जाएंगी।

श्री ए० सी० गुहा: बड़ा बाजार विनिमय-केन्द्र का कोई उल्लेख मुझे नहीं दिखाई देता। क्या उसे दूसरा नाम दे देने का विचार है या कई विनिमय केन्द्रों में बांट देने का विचार है या उसे लिया ही नहीं जाएगा ?

श्री राज बहादुर: मेरी समझ से बड़ा बाजार क्षेत्र जोड़ासांको और अवेन्यू विनिमय केन्द्रों में आ जाता है।

डा० एम० एम० दास: क्या मैं जान सकता हूं कि कलकत्ता में आत्मगतिक टेली-

फोन प्रणाली चलाने में कुल कितना व्यय होगा ?

श्री राज बहादुर: १४४७ लाख रुपए।

श्री ए० सी० गुहा: माननीय मन्त्री ने बताया कि सारा काम १९५७ तक पूरा हो जाएगा। मैं जान सकता हूं कि पहला आत्मगतिक विनिमय-केन्द्र कब चालू हो जाएगा ?

श्री राज बहादुर : जैसा मैंने अभी बताया, आशा है कि विनिमय केन्द्र पहली अवस्था में अगस्त, १९५३ तक पूरे हो जायेंगे।

श्री पुन्नूस : क्या यह प्रणाली दूसरे स्थानों पर भी शुरू करने का विचार है ?

श्री राज बहादुर: हम पूरे ही देश में आगे चल कर आत्मगतिक प्रणाली शुरू करना चाहते हैं, पर उसमें समय और धन लगेगा।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि कलकत्ता में आज और १९५७ के बीच के समय में विनिमय-केन्द्रों का कार्य सुधारने के लिये भी कुछ प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

श्री राज बहादुर : हम शिकायतों पर निरन्तर ध्यान दे रहे हैं और उनके कार्यों को सुधारने का प्रबन्ध कर रहे हैं।

कलकत्ता की उपनगरीय रेलों का विद्युत्करण

*४७८. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की उपनगरीय रेलों के विद्युत्करण की कोई योजना चल रही है; तथा

(ख) यदि हां, तो (१) कौन-कौन सी लाइनें ली जाएंगी;

(२) काम के कब शुरू होने और कब तक समाप्त होने की आशा है; तथा

(३) आकलित व्यय क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां।

(ख) (१) १९५३-५४ में होने वाले परिमाप के परिणाम पर ही विद्युत्करण के लिए हाथ में ली जाने वाली लाइनों का निर्णय हो सकेगा।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) लागत अन्त में चुनी गई शाखाओं पर निर्भर होगी।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का ऐसा कुछ विचार है कि कलकत्ते के चारों ओर की सभी लाइनों को लिया जाए ?

श्री अलगेशन : हावड़ा तथा स्यालदा की उपनगरीय शाखाओं को ही लिया गया है।

श्री ए० सी० गुहा: कलकत्ता या हावड़ा से कितनी दूर तक का क्षेत्र ?

श्री अलगेशन: मुझे ठीक सीमा विदित नहीं है।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जांच या परिमाप कब तक पूरा हो सकेगा और वास्तविक काम कब शुरू होगा ?

श्री अलगेशन : परिमाप अगले वर्ष शुरू करने का विचार है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: मैं जान सकती हूं कि क्या यह जांच-कार्य करने के लिये कोई संस्था बनाई गई है ?

श्री अलगेशन : परिमाप पूर्वी रेलवे द्वारा सामान्य रीति से किया जाएगा।

कीड़ा

*४८०. **डा० राम सुभग सिंह**: (क) क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कीड़ा लग जाने से खाद्यान्नों की लगभग कितनी मात्रा प्रतिवर्ष नष्ट हो जाती है ?

(ख) क्या सरकार ने अनाज के कीड़ों की वृद्धि रोकने के लिये कुछ पग उठाए हैं ?

(ग) क्या सरकार खाद्यान्नों के कृमि-निरोधी प्रकार उगाने का विचार कर रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) से (ग)। मैं माननीय सदस्य का ध्यान श्री बर्मन द्वारा २३ फरवरी, १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या २४१ के उत्तर में दी गई सूचना की ओर आकर्षित करूंगा।

गेंहूं के साथ ही जौ, ज्वार, बाजरा, मसूर, और चने जैसे दूसरे अनाजों पर भी कीड़ों का प्रभाव पड़ता है। यद्यपि प्रत्येक में कीड़ों के बनने का कारण भिन्न है।

गेंहूं को छोड़ कर अन्य अनाजों के सम्बन्ध में उनसे हुई क्षति का कोई प्राक्कलन नहीं किया गया। कृमिनिरोधी प्रकार पैदा करने के लिये सहयोजित खोज पहले से ही चल रही है।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या सभी राज्य सरकारों ने यह कृमि नियन्त्रण कार्य शुरू कर दिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : सभी तो नहीं, पर बहुत सी राज्य-सरकारें कृमि निरोधी प्रकार पैदा करने का यत्न कर रही हैं।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि मध्यप्रदेश के कृषि विभाग ने गेंहूं के इस तरह के बीज पैदा किये हैं कि जिसमें रस्ट (कीड़ा) बहुत कम लगती है और क्या गवर्नमेंट को यह बात मालूम है कि यह बीज अभी इतने तैयार नहीं हुए हैं कि जिसमें वह काफी तादाद में लोगों को दिया जा सके।

डा० पी० एस० देशमुख : यह बात सच साबित हुई है कि जहां हम अच्छे बीज उगाते हैं, वहां वह काफी मात्रा में नहीं मिलती।

सेठ गोविन्द दास : क्या सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि यह बीज काफी तादाद में तैयार हो सकें ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, इस के लिये सब जगह प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री गोपाल राव : मैं जान सकता हूं कि क्या हमारी अनुसंधान-संस्थाओं ने इस दिशा में कुछ उपयोगी अनुसंधान किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हां श्रीमान्, और उसका बहुत अच्छा परिणाम हुआ है।

काली मिर्च की फ़सल के दाम

*४८१. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रावणकोर-कोचीन राज्य में १९५३ में काली मिर्च के आकलित अभाव की दृष्टि में क्या भारत सरकार ने उसके लिये अच्छे दाम दिलाने का कुछ प्रयत्न किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : १९५२–५३ फसल के उत्पादन आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। संन्निकट भूतकाल में आन्तरिक दामों में कमी अधिकांशतः अन्तर्राष्ट्रीय कारणों से हुई है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय दाम भी गिर रहे हों, तो अधिकांशतः निर्यात होने वाले पदार्थों के आन्तरिक दाम बनाए रखना मुश्किल बात है। काली मिर्च समेत कुछ डालर अर्जित करने वाली महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन के विविध अंगों की जांच करने के लिए एक व्यापारिक फसल जांच समिति नियुक्त की गई है, जिससे यह पता चल सके कि कुछ निदेश आवश्यक और सम्भव हैं अथवा नहीं।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या काली मिर्च के अभाव विषयक कुछ प्राक्कलन किए गए हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं कह नहीं सकता।

श्री पी० टी० चाको : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ऐसा कोई प्रयत्न कर रही है, जिससे काली मिर्च पर निर्यात-शुल्क के रूप में उसे मिलने वाली राशि का एक अंश वैज्ञानिक खोज या ऐसी ही अन्य बातों सम्बन्धी विकास के लिए कुछ सहायता के रूप में किसानों को मिल सके ?

डा० पी०एस० देशमुख : इस बात पर मैं सविवरण सूचना न दे सकूंगा।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि अमरीकी व्यापारियों ने भारत सरकार के पास यह शिकायत भेजी है कि इस देश से काली मिर्च के निर्यात में अपमिश्रण होता है; और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि आरोप लगा कर इस प्रकार का प्रचार काली मिर्च के दाम कम करवाने के लिये किया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : ऐसी शिकायतें वाणिज्य तथा उद्योग के प्रभारी मेरे साथी के पास भेजी जाएंगी। ये मेरी दृष्टि में नहीं आई हैं।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या मन्त्रालय ने अमरीका स्थित भारतीय दूतावास से इस सम्बन्ध में कोई जांच की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : नहीं श्रीमान्, हमने नहीं की।

श्री केलप्पन : क्या सरकार चाय का काफी बोर्ड के समान काली मिर्च का भी बोर्ड बनाने का विचार कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अब तक तो नहीं।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या काली मिर्च के किसानों के किसी संघ ने कुछ सहायता मांगी है और यदि मांगी है, तो क्या उनको कुछ सहायता दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास यहां पर कोई सूचना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम पूरी आल्हा नहीं गा सकते।

श्री पुन्नूस : क्या मैं १९५०-५१, १९५१-५२ और १९५२-५३ वर्षों में पैदा हुई काली मिर्च की मात्रा जान सकता हूं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास दामों और पैदावार का विवरण है, पर यह काफी लम्बा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह पटल पर रख दिया जाएगा।

श्री पुन्नूस : क्या मैं उन देशों के नाम जान सकता हूं, जहां हम अपनी पैदावार भेजते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रस्तुत प्रश्न से नहीं निकलता।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार काली मिर्च के लिए एक उपज-संवर्द्धक-बोर्ड बनाना चाहती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह प्रश्न तब उठेगा, जब नई बैठाई गई जांच समिति का प्रतिवेदन हमारे पास आ जाएगा।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने ऐसे कोई पग उठाए हैं, जिससे काली मिर्च के उत्पादकों को अधिकतम दाम मिल सकें ?

डा० पी० एस० देशमुख : कृषि मन्त्रालय सदैव यही प्रयत्न करता है।

स्वीटज़रलैंड स्थित कोच बनाने वाली फ़र्म

***४८४. श्री गिडवानी** : (क) क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि सरकार ने अपने और स्विटज़रलैण्ड की एक कोच बनाने वाली फर्म के बीच चलने

वाले समझौते की समीक्षा करने के लिए एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया है ?

(ख) यदि सच है तो क्या उस पदाधिकारी को यह जांच भी करने का अधिकार होगा कि क्या पेरंबूर स्थित प्रस्तावित कारखाने के निर्माण और चलाने में उक्त फ़र्म के साथ कोई समझौता आवश्यक है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां; एक पदाधिकारी कोच बनाने वाली फर्म के समझौते की समीक्षा करने और साथ ही विदेश से कुछ रेलवे-भंडार मगाने के लिये विशेष प्रकार से नियुक्त किया गया है ।

(ख) वह पदाधिकारी समझौते की समीक्षा करेगा और उसमें सुधार के लिए बातचीत चलाएगा । सरकार के विचार से भारत में शीघ्र ही और बचतपूर्वक अविकल प्रकार की कोचें बनाने के लिए एक प्राविधिक सहायता सम्बन्धी समझौता अत्यावश्यक है ।

श्री गिडवानी: मैं जान सकता हूं कि क्या नियुक्त किए गए पदाधिकारी का पिछले समझौते में कोई हाथ था ?

श्री अलगेशन: नहीं श्रीमान् ।

श्री गिडवानी: क्या भारतीय प्रतिभा उपलब्ध नहीं है ?

श्री अलगेशन: उस पर इस सदन में चर्चा हो चुकी है ।

श्री गिडवानी: अब समझौता खतम नहीं किया जा सकता ?

उपाध्यक्ष महोदय: बीच में ?

श्री के० के० बसु: मैं जान सकता हूं कि क्या समझौते की शर्तों के अनुसार भारत-सरकार के ऊपर अतिरिक्त क्षतिपूर्ति देने का दायित्व डाला गया है ?

श्री अलगेशन: नहीं श्रीमान, ऐसे अनुमान का कोई कारण नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इस समझौते के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय पर पहुंचने के पहले भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक से परामर्श किया गया था या किया जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय: ऐसे सुझाव देने से क्या लाभ, जो किसी के प्रभार के क्षेत्र के बाहर के हैं ?

श्री एस० एन० दास: कोई समझौता करने के पहले सरकार के लिए महालेखा परीक्षक से परामर्श करना आवश्यक है ?

श्री अलगेशन: वह तो पहले ही हो चुका है । अब हम उसे विविध प्रकार से सुधारने और उसका पुनरीक्षण करने की चेष्टा कर रहे हैं ।

श्री वी० पी० नायर: मैं जान सकता हूं कि इस समझौते में उन मामलों के चलाने के विषय में कोई शर्त है, जो इस समझौते को लेकर पैदा हों ?

उपाध्यक्ष महोदय: मध्यस्थ निर्णय सम्बन्धी कोई खण्ड ?

श्री वी० पी० नायर: वैध कार्यवाही सम्बन्धी ।

श्री अलगेशन: मैं पूर्व सूचना चाहूंगा । समझौते की एक प्रति उपलब्ध है ।

सभापति, केन्द्रीय ट्रैक्टर संघ

*४८५. **श्री गिडवानी**: **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि केन्द्रीय ट्रैक्टर संघ के वर्तमान सभापति उसी नगर में केन्द्रीय ट्रैक्टर संघ के सभापति और संयुक्त सचिव दोनों के ही रूप में काम करते हुए दैनिक भत्ता लेते रहे हैं ?

कृषिमंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): यह कहना सच नहीं है कि केन्द्रीय, ट्रैक्टर संघ के सभापति "उसी नगर में केन्द्रीय ट्रैक्टर संघ

के सभापति और संयुक्त सचिव दोनों के ही रूप में काम करते हुए दैनिक भत्ता लेते रहे हैं।" दोनों कार्यालयों में सात मील की दूरी है, और जिस दिन केन्द्रीय ट्रैक्टर संघ के सभापति को दोनों कार्यालयों में काम करना पड़ता है और वह अपनी सवारी काम में लाते हैं, तो उनको नियमानुसार दैनिक भत्ता लेने की अनुमति रहती है।

श्री गिडवानी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नियमों को अब बदला नहीं जा सकता। और क्या इस पदाधिकारी को केन्द्रीय ट्रैक्टर संघ के कार्यालय से सचिवालय तक आने के लिये स्टाफ कार नहीं दी जा सकती ?

डा० पी० एस० देशमुख : इन सभी सुझावों और अन्य विविध विकल्पों पर विचार किया गया था। पर प्रतीत हुआ कि इसी प्रकार से सर्वाधिक बचत हो सकेगी।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : मैं इस अनियमितता की ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए माननीय सदस्य का अनुगृहीत हूं और इस स्थिति पर विचार किया जाएगा और उपाय सोचा जाएगा।

त्रावणकोर-कोचीन के अंचल तथा टेलीफ़ोन विभाग के कर्मचारी

*४८९. **श्री पी० टी० चाको :** क्या संचरण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति यह है कि डाक तथा तार विभाग के उन कर्मचारियों का, जो पहले त्रावणकोर कोचीन सरकार के अंचल तथा टेलीफोन विभाग के कर्मचारी थे, पदोन्नयन उनको मिलने वाले वेतन पर बिना ध्यान दिए उनकी सेवा और कार्य के विचार से किया जाए;

(ख) क्या सरकार ने ऐसा कोई आदेश निकाला है; तथा

(ग) यदि निकाला है, तो क्या इस नीति को अब कार्यान्वित किया जा रहा है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : डाक तथा तार विभाग द्वारा लिये गये भूतपूर्व राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति नियमित विभागीय कर्मचारियों पर लागू होने वाले सामान्य नियमों के अनुसार अर्थात् यथा स्थिति (१) चुनाव (२) विभागीय परीक्षा में अर्हता या (३) ज्येष्ठता-तथा उपयुक्तता के आधार पर और वेतन पर बिना ध्यान दिए होती है।

(ख) डाक तथा तार विभाग की सेवाओं या विभिन्न श्रेणियों में पदोन्नति होने के सिद्धांत बतलाने वाले सामान्य आदेश विभागीय मैनुअलों में दिए गए हैं। हाल ही में डाक-तार विभाग के निम्न अधिकारियों को निदेश भेजे गए हैं कि उच्चतर श्रेणियों में पदोन्नति के लिये विभाग के अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ तत्संवादी श्रेणियों वाले भूतपूर्व राज्य कर्मचारियों पर भी विचार किया जाए।

(ग) हां।

श्री पी० टी० चाको : चूंकि भूतपूर्व राज्य कर्मचारियों के वेतन डाक-कर्मचारियों के वेतन से कम थे और चूंकि श्रेणी-विभाजन के समय इन कर्मचारियों को मिलने वाले वेतनों और उनके द्वारा किए जाने वाले कृत्यों के आधार पर श्रेणियां दी गई थीं, इसलिये मैं जान सकता हूं कि क्या उन सब को कनिष्ठ मानते हुए श्रेणियां नहीं दी गई हैं और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि गत तीन वर्षों में क्या एक भी ऐसा उदाहरण है जहां भूतपूर्व-राज्य-कर्मचारियों का पदोन्नयन किया गया हो ?

उपाध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न ही काफी है।

श्री राज बहादुर: यह कह कर ही मैं माननीय सदस्य का संशय दूर कर दूं कि श्रेणी-विभाजन वेतन के आधार पर नहीं किया गया था। वस्तुतः यह किसी विशेष पद से संबद्ध उत्तरदायित्व, कार्यक्षेत्र और कृत्यों के आधार पर किया गया था। अधिकांश मामलों में भूतपूर्व राज्य-कर्मचारियों को लाभ ही हुआ है। मैं माननीय सदस्य को अंचल-निरीक्षकों और क्लर्कों के उदाहरण का निर्देश कर सकता हूं। क्लर्कों की पांच श्रेणियां रु० २५ से ८० तक की थीं और अधिकतम रु० १०० था। उन सबका रु० ६०—१७० की श्रेणी में एकीकरण कर दिया गया है। उसी प्रकार एक निरीक्षक रु० २२५ का अधिकतम वेतन पा सकता था, जो अब रु० १६०—२५० के वेतन-प्रमाप में रखा गया है। अतः पदोन्नयन के लिये वे डाक-तथा तार विभाग के नियमित कर्मचारियों के समकक्ष ही हो गए हैं।

श्री पी० टी० चाको: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस श्रेणी विभाजन के फलस्वरूप ये सभी भूतपूर्व राज्य-कर्मचारी सब से कनिष्ठ पदों पर हैं और क्या उनकी पिछले तीन वर्षों से कुछ पदोन्नति हो रही है ?

श्री राज बहादुर: भूतपूर्व राज्य कर्मचारियों और डाक-तार विभाग के नियमित कर्मचारियों के बीच ज्येष्ठता के निर्धारण को लेकर कुछ कठिनाई पैदा हुई थी। अतः ऐसा हुआ कि कुछ समय तक उन भूतपूर्व राज्य-कर्मचारियों पर पदोन्नति के विषय में विचार नहीं किया गया। जब यह अनियमितता हमारे ध्यान में लाई गई, तो हमने तुरन्त आदेश निकाल दिए कि उनको ऐसी पदोन्नतियों से वंचित न रखा जाए और उनकी ज्येष्ठता सेवा विशेष में उनकी पक्की नौकरियों के आधार पर निश्चित की जाए और तदनुसार उस आदेश को अब कार्यान्वित किया जा रहा है।

कुमारी एनी मस्करीन: इन अनियमितताओं के लिये कौन उत्तरदायी है ?

श्री राज बहादुर: परिवर्तन की अनिवार्य प्रक्रिया ही इसके लिये उत्तरदायी है क्योंकि उनको कार्यान्वित करने से पहले हमें कुछ सिद्धान्त बनाने पड़ते हैं।

श्री पी० टी० चाको: मैंने दो बार पूछा.....

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न के कौन से खंड का उत्तर नहीं दिया गया था ?

श्री पी० टी० चाको: श्रीमान्, अनुपूरक प्रश्नों में।

उपाध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न।

चलते डाकघर

*४९०. **श्री पी० टी० चाको:** क्या **संचरण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार चलता-डाक घर प्रणाली को भारत के सभी बड़े बड़े शहरों में चालू करना चाहती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): पूरी की पूरी चलता-डाकघर-प्रणाली पर विचार हो रहा है।

श्री के० के० बसु: मैं जान सकता हूं कि क्या ये चलते डाक घर कलकत्ते में चलाए जाएंगे ?

श्री राज बहादुर: पूरे प्रश्न पर विचार हो रहा है। हमें यह देखना होगा कि क्या हम उनको देहाती क्षेत्रों में चला सकते हैं।

श्री वी० पी० नायर: माननीय मन्त्री ने कहा कि पूरा प्रश्न विचाराधीन है। म जान सकता हूं कि क्या इस विचार-विम के बाद सभी शहरों में इसे पूर्णतः इसी प्रका चलाया जाएगा ?

उपाध्यक्ष महोदय: अभी इसका समय नहीं आया।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार चलता डाकघर प्रणाली पर उसे जनसाधारण के लिये उपयोगी मानते हुए विचार करेगी ?

श्री राज बहादुर : बड़े शहरों में जनता को वैसे ही पर्याप्त सुविधायें हैं। हम देहाती क्षेत्रों के प्रसंग में इन पर विचार कर रहे हैं।

कलकत्ते से मनीपुर को माल का बुकिंग

*४९१. **श्री एल० जे० सिंह :** क्या रेल मन्त्री मनीपुर में माल के दामों के सम्बन्ध में २ दिसम्बर १९५२ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ८६६ के उत्तर का निर्देश करेंगे और यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि कलकत्ते से मनीपुर रोड तक मालगाड़ी से माल की छोटी-मोटी खेपें भेजने के लिये रेलवे-बुकिंग नहीं होती ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : नहीं। कलकत्ते से मनीपुर रोड़ तक छोटे-मोटे माल यातायात की रेलवे बुकिंग होती है।

श्री एल० जे० सिंह : मैं जान सकता हूं कि कलकत्ते से इम्फाल तक जाने वाले माल को इम्फाल तक पहुंचने में दो से छः महीने तक लग जाते हैं और यदि हां तो इस लाइन पर माल-यातायात की दशा सुधारने के लिए सरकार क्या पग उठाना चाहती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या प्रश्न का पहला भाग मंजूर है ?

श्री अलगेशन : नहीं श्रीमान्।

श्री ए० सी० गुहा : कलकत्ते से या देश के इधर से इम्फाल तक माल का सामान्य यातायात साधन क्या है ? उसमें क्या समय लगता है ?

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य को पता है एक पूरा-पूरा रेल मार्ग, एक रेल तथा स्टीमर मार्ग और एक पूरा-पूरा नदी मार्ग है।

श्री ए० सी० गुहा : मैंने माननीय मन्त्री को एक पूरे-पूरे नदी मार्ग का उल्लेख करते हुए सुना था।

उपाध्यक्ष महोदय : थोड़ा स्टीमर का और थोड़ा रेल का मार्ग।

श्री के० के० बसु : और थोड़ी कल्पना।

श्री ए० सी० गुहा : कलकत्ते से एक पार्सल के पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय.....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तर्क की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, तर्क नहीं मैं तो कलकत्ते से माल पहुंचने में लगने वाला सामान्य समय जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सामान्य समय का सम्बन्ध प्रत्येक विशेष मार्ग से है और प्रत्येक मार्ग के सम्बन्ध में मध्यमान समय जाना जा सकता है सभी का मध्यमान समय नहीं।

श्री सरमा : क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कलकत्ते से इम्फाल के निकटतम स्टेशन तक माल पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लगता है ?

श्री अलगेशन : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा।

श्री सरमा : तो मैं जान सकता हूं कि कि श्री ए० जे० सिंह के प्रश्न के उत्तर में यह नकारात्मक उत्तर देने से क्या लाभ है कि छः महीने नहीं लगते हैं। लगने वाले समय के सम्बन्ध में उनके पास कुछ आधार होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक-ठीक समय बताने के लिये वह पूर्व सूचना चाहते हैं। अगला प्रश्न।

कलकत्ते से इम्फाल तक का हवाई भाड़ा

*४९२. **श्री एल० जे० सिंह :** क्या संचरण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कलकत्ते से इम्फाल तक प्रति पौंड हवाई भाड़ा क्या है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : कलकत्ता इम्फाल का स्वीकृत हवाई भाड़ा प्रति पौंड रु० ०–७–६ है।

श्री एल० जे० सिंह : क्या यह सच है कि कलकत्ते से इम्फाल तक के हवाई भाड़े में रु० ०–५–६ से रु० ०–७–६ तक का अन्तर रहता है, और यदि सच है तो इसका क्या कारण है ?

श्री राज बहादुर : मैंने वर्तमान दर बताई है । वस्तुतः वायु-यातायात अनुज्ञा पत्रदाता बोर्ड ने न्यूनतम तथा अधिकतम निश्चित किए हैं ।

श्री एल० जे० सिंह : क्या यह सच है कि हवाई भाड़ा हवाई कम्पनियों की स्वेच्छा से कभी रु० ०–५–६ और कभी रु० ०–७–६ लिया जाता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री सूचना दे रहे हैं ।

श्री राज बहादुर : कुछ सीमा तक माननीय सदस्य की बात ठीक है । वायु-यातायात अनुज्ञा पत्र दाता बोर्ड ने भाड़े की दर की कुछ न्यूनतम और अधिकतम सीमाएं निश्चित की हैं, और वायु कम्पनियां उनके बीच में अवस्थानुसार ग्रहण कर सकती हैं । दरें क्रमशः २–१२–० प्रति टन मील और ०–१४–० प्रति टन मील हैं । जहां तक प्रस्तुत मार्ग का सम्बन्ध है, दर प्रति पौंड ०–७–६ और ०–२–५ के बीच हो सकती है ।

श्री ए० सी० गुहा : इस तथ्य की दृष्टि में कलकत्ता या देश के इधर से और इम्फाल के बीच संचरण के सामान्य साधन मुश्किल से मिलते हैं, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने चिट्ठियों और डाक-पार्सलों के लिए रियायती हवाई दरों का प्रबन्ध किया है ?

श्री राज बहादुर : मैं यही कह सकता हूं कि इस समय वायु यातायात का सारा का सारा ही भविष्य संदिग्ध है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हों ने कुछ रियायती दरें दी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस प्रश्न को नियमित नहीं ठहराना चाहिये था । यह क्रिया के लिये सुझाव है । मंत्री जी इस पर विचार करने में समय लेंगे ।

श्री ए० सी० गुहा : तब भी मंत्री जी को कहना चाहिये था कि इस सुझाव पर विचार किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो मैं बताता हूं कि यह सुझाव है ।

श्री एल० जे० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि कलकत्ते से इम्फाल तक का ९५ रुपये का वर्तमान यात्री-किराया अनुपात से कहीं अधिक है, और यदि सच है तो क्या वायु-निगम के जन्म के बाद किराये यथोचित रूप में घटा दिये जायेंगे ?

श्री राज बहादुर : मुख्य प्रश्न यात्रियों के किराये से सम्बन्धित नहीं है । फिर भी मैं यही कहूंगा कि यात्रियों का किराया कई आधारों पर निश्चित किया जाता है । मैं नहीं कह सकता कि यह बहुत ही अधिक है ।

मणिकारों में बेरोजगारी

*४९४. **श्री कास्लीवाल :** (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि जयपुर के मणिकारों में भारी बेरोज़गारी फैली हुई है ?

(ख) सरकार इस सम्बन्ध में क्या पग उठाना चाहती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) हां ।

(ख) बिना काटे गये और अपरिष्कृत हीरों के सम्बन्ध में आयात-नीति में उदारीकरण कर दिया गया है और जनवरी १९५३ में इस विषय में एक सार्वजनिक सूचना निकाल दी गई थी । आशा है, हीरों के आयात पर रोक लगाने के फलस्वरूप बेकार हुए कारीगरों को फिर काम मिल जायेगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि इस समय कितने कारीगर बेकार हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : लगभग ३००० ।

उद्योग तथा श्रम का परामर्शदाता बोर्ड

*४९५. **श्री एस० एन० दास** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उद्योग तथा श्रम के संयुक्त परामर्श दाता बोर्ड द्वारा जुलाई, १९५१ में अपने निर्माण से अब तक विचारे गये महत्वपूर्ण विषय;

(ख) बोर्ड द्वारा किये गये महत्वपूर्ण निर्णय;

(ग) सरकार द्वारा इनमें से कौनसी सिफारिशें मंजूर की गई और कार्यान्वित की गई; तथा

(घ) लंबमान महत्वपूर्ण बातें, जिन पर निकट भविष्य में निर्णय होने हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : वांछित सूचना देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या १३]**

श्री एस० एन० दास : विवरण से पता चलता है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के विशेषज्ञों की एक टुकड़ी परिणामों द्वारा उत्पादन-क्षमता और भुगतान का अध्ययन करने के लिये भारत आई है । मैं जान सकता हूं कि क्या उस टुकड़ी ने अपना काम शुरू कर दिया है और वह अपना कार्य कब तक समाप्त कर सकेगी ?

श्री वी० वी० गिरि : टुकड़ी ने अपना काम शुरू कर दिया है ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इस के काम की समाप्ति के लिये कोई समयावधि निश्चित की गई है ?

श्री वी० वी० गिरि : उन के यहां पर छः महीने ठहरने की आशा है ।

श्री एस० एन० दास : विवरण से यह पता चलता है कि वस्त्र-उद्योग के लिये द्विपक्षी समिति नियुक्त होने वाली थी और उस में कुछ मुश्किल हुई थी । मैं जानना चाहूंगा कि अब स्थिति क्या है, क्या इस विषय को छोड़ दिया गया है या इस पर विचार हो रहा है ।

श्री वी० वी० गिरि : इस विषय को छोड़ नहीं दिया गया है, बल्कि उस पर सक्रिय विचार हो रहा है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को पता है कि परिणामों से भुगतान की योजना का मालिकों द्वारा मजदूरों को तंग करने और उनसे अधिक काम लेने में दुरुपयोग हो रहा है ?

श्री वी० वी० गिरि : : मैं यह सूचना माननीय सदस्य से ग्रहण किये ले रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, एक अनुपूरक प्रश्न और । अभिनवीकरण, छंटनी और छांटे गये मजदूरों के पुनः प्रशिक्षण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक परिचालित-पत्र निकाला गया था . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने अगले प्रश्न की ओर जाने को कह दिया है । माननीय सदस्य क्या पूछ रहे हैं ?

श्री एस० एन० दास : एक प्रश्न श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं । अगला प्रश्न

जहाजमालिकों की परामर्शदात्री समिति

*४९६. **श्री एस० एन० दास** : (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जहाजमालिकों की परामर्शदात्री समिति द्वारा अब तक की गई महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या हैं ?

(ख) सरकार द्वारा इन में से कौन सी सिफारिशें मंजूर कर ली गई और कार्यान्वित की गई हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). जहाज़ मालिकों की परामर्शदात्री समिति जो भारतीय जहाज़रानी उद्योग के प्रतिनिधियों से बनी है, मूलतः एक मंत्रणादात्री समिति ही है और उद्योग को सरकारी प्रतिनिधियों के साथ उद्योग की ताज़ी समस्याओं पर विचार करने और सुझाव देने में समर्थ बनाने के लिये बैठाई गई है । समिति की अब तक दो बैठकें हुई हैं । इन बैठकों में विचारे गये महत्वपूर्ण विषयों में भारतीय जहाज़रानी उद्योग को कुछ आयकर रियायतें देने का प्रश्न, जहाजरानी आंकड़ों का संग्रह, भारत में एक निस्तरण संघ बनाना, और पोतागारों की वर्तमान सुविधाओं में सुधार आदि शामिल हैं । बैठक में रखे गये सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या यह समिति तोड़ दी जायेगी या इस के चलते रहने की संभावना है ?

श्री अलगेशन : यह चलती रहेगी और इस की अगली बैठक अप्रैल में होगी ।

दीघा घाट

*४९७. **पंडित डी० एन० तिवारी** : (क) क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि दीघा घाट (पूर्वोत्तर रेल) से और वहां तक यात्रियों को ले जाने के लिये मोटरगाड़ियों को छोड़ कर किसी सवारी को अनुमति नहीं है ?

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' में हो, तो उस के कारण क्या हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को विदित है कि कई बार स्टेशन के कर्मचारियों ने मोटर गाड़ियों को छोड़ कर और दूसरी सवारियों का आना मना कर दिया है ?

श्री अलगेशन : वहां पर ढाल होने के कारण स्वयं जेटी तक नहीं जाते । रेल कर्मचारी उन को जेटियों के निकट आने से नहीं रोकते ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं स्वयं वहां गया था और मुझे अपना रिक्शा वहां तक नहीं ले जाने दिया गया था ।

श्री अलगेशन : उस पर विचार किया जायेगा ।

पटना मेडिकल कालेज

*४९८. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जीवन ज्ञान विभाग का स्तर उठाने के प्रयोजन से पटना मैडिकल कालेज के लिये नियत की गई राशि ;

(ख) क्या पूरी राशि व्यय हो चुकी है; तथा

(ग) क्या स्तरोन्यन कार्यान्वित हो चुका है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) आवर्ती तथा अनावर्ती व्ययों के लिये

केन्द्रीय तथा बिहार सरकार द्वारा नियत की गई राशियां हैं :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा :

अनावर्ती	५५०००	रुपये
आवर्ती	१७०००	रुपये प्रतिवर्ष

(२) बिहार सरकार द्वारा :

अनावर्ती	७२०००	रुपये
आवर्ती	३५०००	रुपये प्रति वर्ष

केन्द्रीय सरकार ने ५५००० रुपये की अनावर्ती राशि चुका दी है ।

(ख) नहीं ।

(ग) उन्नतस्तर विभाग के नियमित सत्र के जुलाई, १९५३ में शुरू होने की संभावना है ।

कलकत्ता बन्दरगाह

*४९९. **श्री झूलन सिन्हा :** क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वर्ष में कलकत्ता बंदरगाह की भीड़ भाड़ को कितना कम किया गया है और कलकत्ता बन्दरगाह की सुधार-योजना के कार्यान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : कोयले की लदान के लिये जहाजों की दौड़ धूप के कारण आधी जुलाई से आधे नवम्बर, १९५२ तक के चार महीनों के समय में कलकत्ता बन्दरगाह पर कुछ भीड़ हो गई थी ।

वर्तमान यातायात को निपटाने के लिये कलकत्ता बन्दरगाह में पर्याप्त सुविधायें हैं । लगभग रु० ७२.३५ लाख लागत वाली कुछ सुधार योजनायें चल रही हैं । बंदरगाह के पंचवर्षीय विकास-कार्यक्रम में लगभग रु० ११.०८ करोड़ की कुछ योजनायें और सम्मिलित की गई हैं ।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या कलकत्ता बंदरगाह की सुधार योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो क्या इस सुधार कार्य के निस्पादन के सम्बन्ध में मानसिंह समिति की सिफारिशें सरकार द्वारा मान ली गई हैं ?

श्री अलगेशन : कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है और वित्त की उपलब्धता के अनुसार इस पांच वर्ष के समय में उसे कार्यान्वित किया जायेगा ।

डा० एम० एम० दास : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार द्वारा मानसिंह समिति की सिफारिशें मान ली गई हैं । मैं यही सूचना चाहता हूं ।

श्री अलगेशन : बंदरगह की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं और मानसिंह समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बंदरगाह-अधिकारियों ने एक कार्यक्रम तय्यार किया है, जिसे अन्तिम रूप दिया जा चुका है । धन का नियतन होना है और शेष तीन वर्ष के समय में वहां पर काफी प्रगति होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक प्रकार से मानसिंह समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया है और उन को काम में लाया जा रहा है ।

श्री के० के० बसु : ऐसा अस्पष्ट उत्तर देने से क्या लाभ ? बदले में माननीय मंत्री पूर्व सूचना की मांग कर सकते थे ?

उपाध्यक्ष महोदय : : उन्हों ने आवश्यकता से अधिक उत्तर दे दिये हैं ।

श्री के० के० बसु : पर ऐसा अस्पष्ट उत्तर देने से क्या लाभ है ?

उपाध्यक्ष महोदय : विभिन्न मंत्रियों के उत्तर देने के तरीके विभिन्न हैं । अब जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं ने माननीय मंत्री का उत्तर समझ लिया है । उन्हों ने कहा कि

मानसिंह समिति का प्रतिदिन बंदरगाह अधिकारियों के पास भेजा गया था, उन्होंने इन सिफारिशों पर विचार किया और उन को मंज़ूर कर लिया गया है । तथा पंचवर्षीय विकास कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है । और क्या चाहिये ? उन्हों ने आशा से अधिक उत्तर दे दिया है ।

डाक की निर्देश पुस्तिका तथा प्रदर्शिका

*५००. **पंडित डी० एन० तिवारी** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५० से आज तक खोले गये नये उप शाखा और ग्राम्य डाकघरों की संख्या क्या है ?

(ख) क्या इन सभी डाकघरों के नाम ताजी डाकीय निर्देश-पुस्तिका और प्रदर्शिका में शामिल कर लिये गये हैं और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १ अप्रैल, १९५० और ३१ दिसम्बर, १९५२ के बीच खोले गये शहरी तथा देहाती डाकघरों की संख्या क्रमशः ५१२ और ९७०९ हैं ।

(ख) सभी नये खोले गये डाकघरों के नाम ताजी डाक तथा तार प्रदर्शिका में, जिस का मुद्रण हो रहा है, शामिल कर लिये गये हैं । प्रदर्शिका के साथ ही नये खुले डाकघरों के नाम और विवरण एक मासिक परिचालित पत्र में भी प्रकाशित किये जाते हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि डाकघरों की त्रैमासिक सूची, जो पहले छपा करती है, अब क्यों निलंबित कर दी गई है ?

श्री राज बहादुर : उन को प्रति मास प्रकाशित किया जाता है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या सरकार को विदित है कि नये डाकघरों की स्थिति और विद्यमानता के विषय में डाक छांटने वालों (सोर्टरों) के अज्ञान के कारण बहुत से पत्र खो जाते हैं, या देर से पहुंचते हैं ?

श्री राज बहादुर : उसी कठिनाई का सामना करने के लिये हम ने मासिक सूचियां छपवाना शुरू कर दी हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि डाकघरों की वर्तमान सूची में अनेकों गलत बातें कैसे दिखाई पड़ती हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन को माननीय मंत्री के ध्यान में लाया जा सकता है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि तार भेजने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है, क्योंकि डाक तथा तारघरों में अन्य तारघरों संबंधी कोई सूची नहीं रखी जाती है ?

श्री राज बहादुर : यदि माननीय मंत्री को इस कारण कोई कठिनाई हुई हो और यदि वह उस विशिष्ट तारघर का नाम मुझे बतला दें, तो मैं उन का कृतज्ञ होऊंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी बातें माननीय मंत्री अपने साथ लिये नहीं घूमते । माननीय सदस्य कृपया उन को लिख दें ।

श्री वी० पी० नायर : यह व्यक्तिगत कठिनाई का प्रश्न नहीं है । मैं उन से पूछ रहा था कि ऐसी कठिनाइयों की दृष्टि में .....

उपाध्यक्ष महोदय : उन के विचार से कोई कठिनाई नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं पन्द्रह उदाहरण दे सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा । उनको उनके ध्यान में ले आएं । इस विषय में माननीय सदस्यों से एक बात का अनुरोध फिर करूंगा । ऐसी बात नहीं कि सभी डाक-संहिताएं सदा के लिये वापस ले ली जाएं । कुछ डाक-

घरों में सूचियां होंगी और कुछ में नहीं होंगी किसी जगह पर सूची न होने से कोई कठिनाई होती है, तो माननीय सदस्य मन्त्री जी को लिख सकते हैं। ये बातें सदन में क्यों उठाई जायें ? वे विरोधी दल के सदस्य हों और ये लोग मन्त्री, पर जहां तक सूचना देने का प्रश्न है, वे माननीय मन्त्रियों को आसानी से लिख सकते हैं और वे भी उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये भरसक चेष्टा कर रहे हैं।

श्री वी० पी० नायर: मुझे खेद है कि आपने मुझे गलत समझा। मैं तो पूछ रहा था कि इन कठिनाइयों की दृष्टि में क्या प्रत्येक डाक तथा तारघर में दूसरे डाक तथा तारघरों की सूचियां रहा करती हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: प्रत्येक तारघर अपने आपको तार नहीं भेजता। मैं प्रश्न नहीं समझ सका।

श्री वी० पी० नायर: माननीय मन्त्री ने बताया कि प्रदर्शिका अभी मुद्रित हो रही है। पर इसके पहले कि यह जनता को उपलब्ध हो, मैं जान सकता हूं कि प्रत्येक डाक घर को दूसरे डाक घरों की सूची दे दी जाती है ?

श्री राज बहादुर: सामान्यतः हम सभी सम्बन्धित कार्यालयों को यह सूची दे देते हैं। जहां यह नहीं हो सका है, वहां की बात यदि माननीय सदस्य मेरे ध्यान में लाएं तो मैं फिर कहता हूं कि मैं माननीय सदस्य का अनुग्रहीत होऊंगा।

सेठ गोविन्द दास: यह सूची किन किन भाषाओं में छापी जाती है।

श्री राज बहादुर: सम्भवतः अंग्रेजी में छपती है।

सेठ गोविन्द दास: क्या माननीय मन्त्री जी को यह मालूम है, कि इस देश में हिन्दी समझने वाले ज्यादा हैं या अंग्रेजी भाषा समझने वाले ज्यादा हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति। मैं नहीं समझता कि इसे हिन्दी के समर्थक भाषण में कैसे बदला जा सकता है। अगला प्रश्न।

भारतीय तटीय प्रकाश सम्बन्धी देय

*५०१. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या यातायात मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय तटीय प्रकाश सम्बन्धी देयों की अधिकतम दर बढ़ाना चाहती है;

(ख) यदि हां है तो इसके कितने प्रतिशत बढ़ने की सम्भावना है; तथा

(ग) इन प्रकाश देयों के बढ़ाने के क्या कारण हैं।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) हां।

(ख) भारतीय प्रकाशगृह अधिनियम, १९२७ की धारा १० (१) के अधीन निश्चित किए गए प्रकाश-देयों की अधिकतम दर वर्तमान समय में दो आना प्रति टन है। प्रस्ताव यह है कि इसे संशोधित करके दर को चार आना प्रति टन कर दिया जाए, और इस विषय में एक विधेयक संसद् में पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है।

(ग) केन्द्रीय प्रकाश गृह विभाग का एक विकास कार्यक्रम है, जिसमें १९५५–५६ के अन्त तक लगभग रु० २ करोड़ खर्च होने की आशा है। प्रकाश देयों की वर्तमान दरों को बढ़ा कर इस व्यय को पूरा करने का प्रस्ताव है।

श्रमजीवी पत्रकारों की मांगें

*५०२. **श्री तुषार चटर्जी:** क्या श्रम मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रमजीवी

पत्रकारों की मजदूर-संघ सम्बन्धी मांग भारत सरकार के विचाराधीन रही है; तथा

(ख) यदि सच है, तो सरकार इस विषय में अपना निर्णय कब देना चाहती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) हां ।

(ख) नए औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय श्रमजीवी पत्रकारों की आवश्यकताओं पर उचित ध्यान दिया जाएगा ।

श्री वेंकटारमन : क्या यह सच है कि विविध राज्यों सरकारों द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों को औद्योगिक न्याधिकरणों तक जाने का अधिकार नहीं दिया जाता है ?

श्री वी० वी० गिरि : इन पत्रकारों के कुछ मामले न्यायाधिकरणों के समक्ष आए थे और विभिन्न प्रकार के निर्णय हुए हैं ।

श्री वेंकटारमन : श्रमजीवी पत्रकारों के विषय में इस सम्बन्ध में विरुद्ध निर्णयों की दृष्टि में कि उनको कामकर माना ज ए या न माना जाए, सरकार इस विवाद को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री वी वी० गिरि : सरकार इस विषय पर विचार कर रही है ।

श्री एन० श्रीकान्तननायर : मैं जान सकता हूं कि औद्योगिक संबंध विधेयक के कब तक सदन के सामने आने की संभावना है ?

श्री वी० वी० गिरि : यथासंभव शीघ्र ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि आज के श्रमजीवी पत्रकारों की संख्या के विषय में सरकार ने कुछ आंकड़े कट्ठे किए हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : पूर्वसूचना चाहिए । वह मेरे पास नहीं है, पर हमें सूचना इकट्ठी करनी होती है ।

चावल तथा गेहूं अनुसन्धान कामकरों का सम्मेलन (सिफ़ारिशें)

*५०३. **श्री चिनारिया :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चावल तथा गेहूं अनुसंधान कामकरों के सम्मेलन की सिफारिशों को, जो जुलाई, १९५१ में हुई अनुसंधान तथा संवृद्धि बोर्डों की संयुक्त बैठक द्वारा भेजी गई थीं, कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

(ख) खाद्य तथा कृषि संघ (एफ० ए० ओ०) के अंतर्राष्ट्रीय-चावल सम्मेलन में कितने वैज्ञानिक भेजे गए या भेजे जा रहे हैं ?

(ग) क्या चावल और गेहूं का कोई सूखा प्रतिकारी प्रकार पैदा किया जा रहा है ?

(घ) यदि हां, तो कितनी मध्यमान **जलवृद्धि में वे सफलता** पूर्वक उग सकते **हैं ?**

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) एक विवरण सदन-टिल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १४]**

(ख) सम्मेलन के पहले दो सत्रों में एक वैज्ञानिक भेजा गया था ; तीसरे सत्र में दो वैज्ञानिक भेजे गये थे ।

(ग) सच कहा जाए तो कोई भी धान सूखा प्रतिकारी नहीं होता, पर धान के कुछ ऐसे भेद हैं, जो जल्दी पकते हैं और ऊंची जमीन में उगाये जा सकते हैं । उसी प्रकार सूखी दशाओं में उगाया गया गेहूं भी जल्दी पकता है ।

(घ) धान (कम फसल वाला या जल्दी पकने वाला) लगभग ४० इंच की वर्षा में उगाया जा सकता है । गेहूं बरानी क्षेत्रों में लगभग १८-२५ इंचों की वर्षा में उगाया जा सकता है ।

श्री चिनारिया : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने सूखी प्रतिकारी पौदों विशेषतः चावल तथा गेहूं की न्यूनतम जल संबंधी आवश्यकताएं जानने की चेष्टा की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : माननीय सदस्य के सुझाव पर इस विषय की जांच होने की संभावना है ।

विजयवादा रेलवे स्टेशन पर उपद्रव

*५०४. **श्री एम० आर० कृष्ण :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १६ दिसम्बर, १९५२ को विजयवादा स्टेशन पर भीड़ द्वारा लूटी गई संपत्ति का ठीक-ठीक मूल्य क्या है ?

(ख) रेलवे स्टेशन की रक्षा के लिए रखी गई पुलिस की संख्या क्या थी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) खोऐ गए माल का मूल्य लगभग रु० १७ लाख है और फिर मिल गऐ माल का मूल्य लगभग दो लाख रुपए है ।

चना उपलब्ध नहीं है ।

श्री एम० आर० कृष्ण : मैं जान सकता हूं कि इस लूट के लिए उत्तरदायी कितने लोगों को पकड़ लिया गया है और उनसे कितनी संपत्ति मिल गई है ?

श्री अलगेशन : इस प्रश्न के एक भाग का उत्तर मैं दे चुका हूं । लगभग दो लाख रुपये की मूल्य की संपत्ति फिर प्राप्त कर ली गई है । कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, आदि-आदि सूचनाएं उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री वीर स्वामी : इस उपद्रव में कितने व्यक्तियों की जानें गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : रेलवे का उससे कोई संबंध नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जिनसे प्रश्न पूछा गया है, वह रेलवे के प्रभारी मंत्री हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि मजदूरों को अपने घरों से चावल और गेहूं देने पड़े, क्योंकि पुलिस ने उनके घरों की तलाशी ली थी ?

श्री अलगेशन : मेरे पास यही सूचना है कि लूटी गई संपत्ति पुनःप्राप्त कर ली गई ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम ऐसा कोई तर्क नहीं करने जा रहे हैं कि यह लूटी हुई संपत्ति थी या पहले की संपत्ति थी । यह तो जांच करने वालों का काम है ।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या इस उपद्रव में कोई रेलवे-कर्मचारी मारा गया है, और क्या उनके परिवारों को कुछ क्षतिपूर्ति दी गई है ?

श्री अलगेशन : विजयवादा में कोई भी नहीं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि किसी व्यक्ति ने ऐसी कोई शिकायत की है कि रेल अधिकारियों द्वारा उनकी संपत्ति ले ली गई है, यद्यपि उन्होंने उसका विरोध करते हुए बताया था कि उन्होने लूट में कोई भाग नहीं लिया ?

श्री अलगेशन : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या रेलवे-अधिकारियों को ऐसी कुछ शिकायतें मिलीं हैं कि कुछ व्यक्तियों की व्यक्तिगत संपत्ति–चोरी वाली संपत्ति नहीं––उनसे छीन ली गई है ।

श्री अलगेशन : नहीं श्रीमान् । हमारे पास कोई सूचना नहीं ।

श्री मुनिस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि संपत्ति में सरकारी संपत्ति ही नहीं निजी संपत्ति भी शामिल है ?

श्री अलगेशन : ये बुक किए गए पार्सल और सामान हैं ।

श्री एस० वी० रामास्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि बाकी १५ लाख रुपए कौन झेलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक वैध प्रश्न है ।

चीनी का उत्पादन

*५०५. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में १९५१-५२ की फसल में चीनी की कुल उपज कितनी थी और इस वर्ष की उपज का प्राक्कलन क्या है ?

(ख) क्या यह सच है कि इस वर्ष गन्ना पेरना देर से शुरू हुआ और यदि सच है तो इसका क्या कारण है ?

(ग) क्या यह सच है कि गत वर्ष की फसल की अपेक्षा १९५२-५३ की फसल में कम कारखानें काम करेंगे ?

(घ) गन्नों से इस वर्ष प्रत्याशित चीनी की प्रतिशतक मात्रा और यह गत वर्ष की तुलना में कैसी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) भारत में १९५१-५२ की फसल में चीनी की कुल उपज १४.९७ लाख टन थी । आशा है, इस वर्ष यह लगभग १२ १/२ लाख टन होगी ।

(ख) हां । इस वर्ष चीनी के कारखाने देर से चालू होने का मुख्य कारण यह है कि बहुत से कारखानों के क्षेत्र में गन्ने की फसल कम हुई । इसलिए कारखानों के लिए उपलब्ध गन्ने को जल्दी पेरना आवश्यक न था । दूसरे चूंकि फसल के शुरू में गन्ने कम मिलते हैं, अधिकांश कारखानों ने मध्यमानत: काफी गन्ने प्राप्त करने की आशा में पेरना शुरू करने में देर कर दी ।

(ग) हां ।

(घ) इस वर्ष भारत में गन्ने से प्रत्याशित चीनी की प्रतिशतक मात्रा गत वर्ष की ९.५७ प्रति शत की तुलना में ९.९ प्रति शत है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या गन्ने की खेती वाली जमीन में कमी का अनुपात उत्पादन की कमी से अनुसार ही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : खेती वाली जमीन में मुश्किल से कोई कमी हुई है, क्योंकि गन्ने के दाम में कमी का प्रभाव अगले वर्ष प्रतीत होगा । उत्पादन की कमी देश के कुछ भागों में गन्ने की बीमारी के कारण है ।

श्री गोपाल राव : गन्ने के उत्पादन में कमी का क्या कारण है ? जब कि पिछले वर्ष यह १४.९७ लाख टन था अब १२.५ लाख टन का ही अंदाज है । क्या यही पंचवर्षीय योजना की प्रगति है ?

श्री किदवई : नहीं । वह तो पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य से कहीं अधिक हो जाएगी ।

श्री वी० पी० नायर: माननीय मंत्री ने उपज के आंकड़े दिए हैं । श्रीमान्,

क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में चीनी मिलों की अधिष्ठापित परिसामर्थ्य कितनी है ?

श्री किदवई : कम से कम जितनी गत वर्ष थी, पर मेरी समझ से एक लाख टन अधिक ।

श्री झुनझुनवाला : मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस बार ईख कम हुई, ईख कम हुई इसलिये शुगर का प्रोडक्शन कम हुआ ? तो ईख कम क्यों हुई, एरिया तो बहुत बेशी था ?

श्री किदवई : कुछ जगहों पर इस साल ईख में बीमारी लग गई और उस की वजह से कम हुई, और बाज जगह तूफान आए, जैसे ट्रावणकोर में, उससे भी ईख को नुकसान पहुंचा ।

श्री रघुनाथ सिंह : यू० पी० में फसल कैसी है ?

श्री किदवई : यू० पी० में वैस्टर्न डिस्ट्रिक्टस की फ़सल खराब हो गई, चुनांचे वैस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में कम होगी । ईस्टर्न डिस्ट्रिक्टस में बढ़ जायगी ।

श्री सारंगधर दास : : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या इस वर्ष खेती वाली जमीन में कमी का कारण यही है कि बहुत से किसानों को पिछले वर्ष के गन्ने के दाम अब तक नहीं चुकाए गए ?

श्री किदवई : यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष की बकाया का फल अगले वर्ष की बुवाई पर पड़ेगा ।

कामकरों के लिये भविष्य निधि योजना

*५०६. **पंडित मुनीश्वरदत्त उपाध्याय :** (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कामकरों की भविष्य निधि योजनाओं के संचालन में स्थान संबंधी नियम लगा देने मे क्या लाभ है ?

(ख) स्थान-नियमन की शर्तें क्या ह, और यह किन-किन उद्योगों पर लगाया गया है ?

(ग) कोयला-खानों में चलने वाली कोयला-खान-भविष्य-निधि योजना के क्या परिणाम हुए हैं ?

(घ) भविष्य निधि योजना से कौन कौन उद्योग और कामकरों का कितना प्रतिशतक आजकल लाभ उठा रहे हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) अनुमानतः माननीय सदस्य कामकर भविष्य निधि योजना, १९५२ के प्रशासन के विकेंद्रीकरण का निर्देश कर रहे हैं । विकेंद्रीकरण से भविष्य निधि संबंधी काम शीघ्रतापूर्वक होने लगता है और सभी स्तरों पर कर्मचारियों और प्रशासन का निकट संपर्क बढ़ जाता है ।

(ख) वर्तमान नीति कुछ बंधनों और शर्तों के रहते हुए सामान्यतः कारखानों को अपनी योजनाएं चलाने की अनुमति उदारतापूर्वक देने की ही है। छः अनुसूचित उद्योगों सीमेंट, सिगरेट, बिजली, मशीनें या साधारण इंजीनियरी के सामान, लोहा और फौलाद, कागज तथा वस्त्र में इसके संचालन का कुछ अनुभव अर्जित कर लेने के बाद कामकर भविष्य निधि योजना के प्रशासन में और भी विकेंद्रीकरण करने का विचार है । विमोचन की शर्तों की एक प्रति-सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १५]**

आगे विकेंद्रीकरण की शर्तें अभी तय्यार करनी हैं ।

(ग) कोयला खान भविष्य निधि योजना के परिणाम ये हैं :—

(१) यह उस श्रम-शक्ति को एक स्थान पर जमाता जा रहा है,

जो आकस्मिक और चलती-फिरती रहती थी ; तथा

(२) इसने बचत करने तथा बुढ़ापे के लिए या शीघ्र मृत्यु होने पर आश्रितों के लिए कुछ जमा करने की ओर कामकरों को सजग बना दिया है ।

(घ) सीमेंट, सिगरेट, बिजली, मशीनें या साधारण इंजीनियरी के सामान, लोहा और फौलाद, कागज तथा वस्त्र उद्योगों में काम करने वाले लगभग ९० प्रति शत कामकर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ में समेट लिए गए हैं । कोयला खानों के विषय में तिमाही लाभांश अर्जित करने वाला एक कामकर कोयला-खान-भविष्य निधि का एक सदस्य बन जाता है । आजकल कुल सदस्यता लगभग ६ लाख है, जिसमें 'समाप्त लेखे' शामिल नहीं हैं, और इससे स्पष्ट है कि कुल कामकरों की संख्या में सदस्यों का प्रतिशतक बहुत अधिक संभवत: ८० प्रति शत तक होगा ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि वे आधार क्या हैं, जिनके कारण कुछ कामकरों को इस योजना के लाभों से वहिर्गत रखा जाता है, और ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

श्री वी० वी० गिरि: कर्मचारियों को बाहर नहीं रखा जाता । कुछ उद्योगों को बाहर रखा गया है या इसमें शामिल नहीं किया गया है । धारा ४ के अधीन उनको भी शामिल किया जा सकता है, यदि सरकार का विचार हो कि उनको शामिल किया जा सकेगा ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: मेरे पास जो विवरण है, उसमें कहा गया है कि 'योजना में बाहर रखे गए कर्मचारियों को छोड़ वे सभी कर्मचारी, जो एक वर्ष पूरा कर चके हैं .....

उपाध्यक्ष महोदय: कर्मचारियों को बाहर नहीं रखा जाता, उद्योगों को बाहर रखा जाता है ।

श्री वी० वी० गिरि: वे कर्मचारी, जो रु० ३०० से अधिक पाते हैं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : वे क्या शर्तें हैं, जिनके अनुसार कुछ मामलों में मालिक का अंश नहीं दिया जाता ?

श्री वी० वी० गिरि: मेरी समझ से वे शर्तें अभी मेरे द्वारा सदन-पटल पर रखे गए कागज में बत ई गई हैं — गंभीर या जान बूझ कर किए गए दुर्व्यवहार के कारण नौकरी से निक ले ज ने पर घटाए गए व्यवकलन ।

श्री के० के० वसु: श्रीमान्, क्या मैं ज न सकता हूं कि क्या न्य सधारियों के बोर्ड में क मकरों क कोई प्रतिनिधि है ?

श्री वी० वी० गिरि: अवश्य है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि चमड़ा रंगाई तथा बीड़ी उद्योगों को इस योजना से बाहर क्यों रखा गया है ?

श्री वी० वी० गिरि: उनको बाद में शामिल किया जाएगा ।

श्री पुन्नूस : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह अधिनियम दक्षिण वाले कारखानों समेत भारत के सभी सीमेंट उद्योगों पर लागू किया गया है ?

श्री वी० वी० गिरि: मेरा यही अनुमान है ।

श्री के० के० बसु: श्रीमान्, मैं ज न सकता हूं कि माननीय मंत्री द्वारा बताए गए आंकड़ों में 'समाप्त लेखों' क क्या अनुपात है, और उस राशि को किस प्रकार उपयोग में लाया जा रहा है ?

श्री वी० वी० गिरि: वह मालिक को नहीं लौटाई जाती । इसे यह जानने के लिए वहां पर रख लिया जाता है कि 'समाप्त लेखे' से संबंधित व्यक्ति वापस आएगा या नहीं । वे 'समाप्त लेखे' इसलिए हैं कि संबंधित व्यक्ति का पता नहीं लगता — यह नहीं कि वह मर गया है ।

श्री वेंकटारमन : श्रीमान्, क्या यह सच है कि इस योजना के अधीन कर्मचारी को मालिक के अंश की पूरी-पूरी राशि तब तक नहीं मिलती, जब तक उसकी नौकरी २० वर्ष की न हो जाए और इसके फलस्वरूप कर्मचारियों को मालिकों के अंश का कोई लाभ नहीं होता ? क्या मज़दूर-संघों द्वारा यह अभ्यावेदन भेजा गया था कि मालिकों का अंश प्राप्त करने के लिए निश्चित की गई अवधि लंबी है और इसे कम करके पांच वर्ष कर दिया जाए ? क्या इन अभ्यावेदनों के संबंध में कुछ निर्णय किया गया है ?

श्री वी० वी० गिरि: निश्चय ही हम अभ्यावेदनों पर पूरा विचार करेंगे ।

श्री एस० सी० देव: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह योजना चाय-उद्योग पर भी लागू होगी ।

श्री वी० वी० गिरि: इस समय नहीं ।

श्री के० के० बसु : क्या मैं जान सकता हूं कि इस तथ्य की दृष्टि में कि कर्मचारी २० वर्ष तक नौकरी किए बिना मालिकों का देयांश प्राप्त नहीं कर सकते, क्या सरकार के पास २० वर्षों से पहले इन कर्मचारियों के नौकरी से निकाले जाने की जांच के लिए कोई साधन है ?

श्री वी० वी० गिरि : अधिनियम के अनुसार २० वर्ष तक नौकरी किए बिना कोई व्यक्ति अधिनियम का पूरा लाभ नहीं उठा सकता ।

मसाले और गरम मसाले की फ़सलें

***५०७. श्री के० सी० सोधिया:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मसाले तथा गरम मसाले की स्थिति की जांच करने के लिए बैठाई गई समिति ने अपना काम शुरू कर दिया है, और यदि कर दिया है तो उसके कब तक समाप्त होने और रिपोर्ट के कब तक आने की संभावना है ?

(ख) क्या उत्तर भारत के कुछ स्थानों में इन मसालों के उगाने की संभावना पर सरकार ने विचार किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) हां । समिति दक्षिण भारत के सभी महत्वपूर्ण उत्पादन स्थानों का दौरा कर चुकी है और आशा है, शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट भेज देगी ।

(ख) नहीं, यह करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि समिति को निर्दिष्ट की गई छहों फसलें दक्षिण भारत में और विशेषत: त्रावणकोर कोचीन, मद्रास, कुर्ग और मैसूर में व्यापारिक पैमाने पर पैदा होती हैं ।

श्री के० सी० सोधिया: मैं जान सकता हूं कि क्या इन फसलों के दूसरे क्षेत्र में पैदा करने की संभावना को देखने के लिए कुछ प्रयोग किए गए हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे ऐसे किसी प्रयोग का ज्ञान नहीं है ।

श्री रघुरामय्या: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या हल्दी की फसल इस समिति के कार्य क्षेत्र में आती है, और यदि हां, तो क्या इस समिति ने आंध्र देश का दौरा किया है, जहां यह बड़े पैमाने पर पैदा होती है ?

डा० पी० एस० देशमुख: श्रीमान्, हल्दी को शामिल किया गया है, पर संभवत: समिति ने आंध्रदेश का दौरा नहीं किया। मैं दौरे के स्थान और क्षेत्र बता सकता हूं। समिति ने अप्रैल-मई १९५२ में त्रावणकोर-कोचीन, दिसंबर, १९५२ में कुर्ग और मैसूर और जनवरी १९५३ में मद्रास और मालाबार का दौरा किया था। मैं नहीं जानता कि क्या मद्रास का अर्थ आंध्र देश भी है।

श्री रघुरामय्या: श्रीमान्, मद्रास नगर समेत मद्रास का अर्थ आंध्र देश है। मैं जानना चाहता हूं कि इस फसल के महत्व तथा इसे पैदा करने वाले किसानों की संख्या, और इस पर हुए भारी नुकसान को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार समिति को उस स्थान पर जाने और साक्ष्य ग्रहण करने का निदेश देने का विचार कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख: श्रीमान्, मुझे भरोसा है कि समिति के समक्ष सदस्य माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट महत्वपूर्ण क्षेत्र और उस पर ध्यान देने की बात को न भूलेंगे।

श्री पी० टी० चाको: मैं जान सकता हूं कि क्या इन पदार्थों को पैदा करने वाले लोगों को भी समिति के काम से संबद्ध किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख: श्रीमान्, उनकी जांच हो चुकी है। मैं नहीं समझता कि उनको संबद्ध किया गया है। मुझे समिति के सदस्यों के नाम मालूम हैं, और आशा है, ये किसानों से पूछ ताछ करेंगे। समिति में उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले भूतपूर्व संसद्-सदस्य ए० के० मैनन और त्रावणकोर कोचीन राज्य के उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सी० एन० अलैक्जैंडर को छोड़ उत्पादकों का कोई सीधा-सीधा प्रतिनिधि नहीं है।

डा० एम० एम० दास: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इस समिति के निर्देश पद क्या हैं और क्या मसाले और गरम-मसाले के चढ़े हुए दामों का प्रश्न निर्देश पदों में रखा गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख: श्रीमान्, समिति के नियुक्त किए जाने का मुख्य उद्देश्य स्थल पर जांच करना और उत्पादन की समस्याओं और काली मिर्च, सोंठ, लहसुन, इलायची, हल्दी और अगिया घास के बाजार की समस्याओं पर विचार करना था।

चीनी पर उत्पादन-शुल्क

*५०८. **श्री के० के० बसु:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) चीनी आबकारी अधिनियम, १९५२ के अधीन अब तक संग्रहीत राशि; तथा

(ख) चीनी का वर्तमान दाम ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) रु० २.४ लाख, जैसा कि आबकारी कलक्टरों द्वारा बताया गया है।

(ख) १९५१-५२ के अवशिष्ट माल का मिलों में दाम उत्तर भारत में २७ रुपये प्रति मन और दक्षिण भारत में २८ रुपये प्रति मन है। १९५२-५३ की चीनी पर कोई दाम-नियंत्रण नहीं है, पर प्रकार तथा कारखाने की स्थिति के अनुसार मिलों में दाम रु० २७) से रु० २९।।) तक बताया जा रहा है।

श्री के० के० बसु: श्रीमान्, क्या वह इस संग्रह की प्रांत वार राशि बता सकेंगे ?

डा० पी० एस० देशमुख: श्रीमान्, मेरे पास वे आंकड़े नहीं हैं ?

पंडित के० सी० शर्मा : उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच दाम के अन्तर का क्या आधार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : अन्तर का आधार उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक का यातायात-व्यय है । दक्षिण भारत में वहां के लिये पर्याप्त चीनी पैदा नहीं होती । अतः बाजार में इसे भाड़े का लाभ रहता है ।

पंडित के० सी० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि दक्षिण भारत में प्रति एकड़ उपज उत्तर भारत से अधिक है ?

श्री किदवई : बम्बई राज्य में प्रति एकड़ पैदावार उत्तर भारत की अपेक्षा बहुत कम है और उससे चीनी भी उत्तर भारत की अपेक्षा कहीं अधिक निकलती है । पर मुक्त स्पर्धा में उनको भाड़े का लाभ रहता है, क्योंकि वहां परयाप्त चीनी पैदा नहीं होती और उनको उत्तर भारत की चीनी से स्पर्धा करनी पड़ती है । अतः दक्षिण भारत में चीनी उत्तर भारत से अधिक मंहगी रहती है ।

पंडित के० सी० शर्मा : चीनी के दाम निश्चित करने का आधार क्या है ?

श्री किदवई : दाम कोई भी निश्चित नहीं करता ; अब खुला बाजार चल रहा है ।

डा० पी० एस० देशमुख : श्रीमान्, मेरे पास अब अलग अलग आंकड़े हैं, यदि माननीय मित्र जानना चाहें तो जान लें ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, यह आवश्यक नहीं है । प्रश्न पूरा हो चुका है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि दक्षिण भारत के कर-खानों में पैदा होने वाली चीनी प्रायः उत्तर भारत में ले जाई जाती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम दक्षिण भारत से स्पर्धा कर रहे हैं? किसी को यह शिकायत नहीं है कि दक्षिण भारत की चीनी उत्तर भारत की चीनी से बुरी होती है । इन प्रश्नों का प्रयोजन क्या है ? मैं माननीय सदस्यों से यही कहूंगा कि पूछने से पहले यह सोच लें कि प्रश्न का लक्ष्य क्या है ?

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान् क्या यह सच नहीं है कि उत्तर भारत में बनी चीनी दक्षिण भारत में लाई जाती है । और क्या इसी कारण दक्षिण भारत में उत्पादन लागत उत्तर-भारत से अधिक पड़ती है ?

श्री किदवई : दक्षिण भारत में उत्पादन लागत अधिक नहीं है । उनको स्थानीय चीनी से बहुत अधिक लाभ होता है और उनको अपने दाम उत्तर भारत की चीनी और उसके भाड़े जितने बढ़ाने की अनुमति रहती है ?

विनाड, कुर्ग और नीलगिरि में सन्तरे के रोपण

***५१०. श्री एन० एम० लिंगम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विनाड़, कुर्ग और नीलगिरि में संतरे के बड़े बड़े रोपणों में एक रोग लग गया है और वे समाप्त हो रहे हैं ;

(ख) क्या भारत के दूसरे भागों की फसलों में भी यह रोग लगता है ; तथा

(ग) इस उपद्रव को रोकने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) हां, विनाड़, कुर्ग और नीलगिरि में, जहां वृक्ष बड़े पैमाने पर समाप्त होते जा रहे हैं, छोटी जाति वाली नारंगी की 'कमी' या उनकी मृत्य' एक गम्भीर समस्या बन गई है ।

(ख) यह बीमारी मैसूर राज्य के मल नाद क्षेत्रों में पाई जाती है और ऐसी ही एक बीमारी बम्बई तथा हैदराबाद राज्यों के भागों में भी पाई जाती है ।

(ग) विनाड़ में इन बीमारियों के स्वरूप और उनके नियंत्रण के सम्बन्ध में (मद्रास सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की एक संयुक्त योजना के अनुसार १९४८-५१ में) पड़ताल की गई थी और यह पता चला कि यह बीमारी खेती और खाद के पहलुओं पर पूरा ध्यान न देने और बागों के दोषपूर्ण स्थानों के कारण होती है । विनाड़ के छोटी जाति वाले सन्तरों के उद्योग को सुधारने के लिये खेती तथा खाद के पहलुओं की ओर पूरा ध्यान देने और अन्य बीमारियों तथा कीड़ों का नियंत्रण रखने के भी सुझाव किये गये हैं ।

१. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने इस संतरा-संहारक रोग की गंभीरता की दृष्टि से हाल ही में १-४-५३ से शुरू होने वाली एक पंच वर्षीय सहयोजित योजना रु० ५,४६,८०० की लागत पर मंजूर की है । इस योजना के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थायें पौदों के अगु-पोषण-तत्वों के मौलिक पहलुओं पर विचार करने के लिये एक केन्द्रीय स्टेशन खोली जाएगी और उसके साथ दो प्रादेशिक स्टेशनें और बनेगीं एक कुर्ग तथा विनाड़ क्षेत्रों के लिये और दूसरी हैदराबाद मध्य प्रदेश और बम्बई के लिये । प्रादेशिक स्टेशनों स्थानीय दशाओं के अनुसार संतरा संहारक-रोग के स्वरूप और उस के नियंत्रण के उपायों की पड़ताल करेगी ।

कृषि औज़ार उद्योग

*५११. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कृषि-औज़ार-उद्योग को सुधारने के लिये क्या पग उठाये गये हैं, या उठाये जाने वाले हैं ?

(ख) दिल्ली में जनवरी, १९५३ के दूसरे सप्ताह में हुये विभिन्न राज्यों के कृषि-इंजीनियरों के और देश में कृषि औजारों का निर्माण करने वाली विविध फर्मों के प्रतिनिधियों के त्रिदिवसीय सम्मेलन की सिफारिशें क्या हैं ?

(ग) क्या कोई भी सिफारिश सरकार को मंजूर करने योग्य जची है ?

(घ) यदि हां, तो वे सिफारिशें क्या हैं और उनको कार्यान्वित करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जहां तक सुधरे हुए कृषि-औजारों को लोक प्रिय बनाने का संबंध है, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के लिये रु० १,११,००० लागत की एक योजना मंजूर की है, जिसके अनुसार राज्यों में वितरण तथा प्रदर्शन के प्रयोजन से स्वीकृत किये गये कृषि-औजारों को बनाया जायगा और देश के एक भाग से दूसरे भाग तक सुधरे हुये कृषि-औजारों को चालू किया जायगा ।

राज्य सरकारों को भी सूचित किया गया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कृषि-औजारों की खोज को भारी अग्र-स्थान दिया जायेगा । प्रस्तावित पगों के सम्बन्ध में प्रश्न के भाग (ख) और (ग) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ख) से (घ) एक विवरण, जिसमें सम्मेलन की सिफारिशों और उन पर की गई कार्यवाही बतलाई गई है, सदन-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १६**] भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने सभी सिफारिशें मान लीं

हैं, और उन को जितना धन उपलब्ध होगा, कार्यान्वित किया जायेगा ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

इनफ्लूएंजा महामारी

श्री एस० एन० दास : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि इंगलैन्ड, फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों को बरबाद कर देने वाली इनफ्लूएंजा महामारी पूर्व की ओर बढ़ रही है, वह मिश्र तक पहुंच चुकी है और भारत में भी उसके आने की संभावना है ?

(ख) यदि उपयुक्त भतग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार द्वारा इस महामारी का भारत में प्रकोप रोकने के लिये क्या निवारक उपाय अपनाये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) विश्व-स्वस्थय संघ से प्राप्त हुई महामारी-संबंधी ताजी रिपोर्टों के अनुसार इनफ्लूएंजा महामारी का प्रकोप उत्तर अफ्रीका में नहीं है, बल्कि टर्की के कुछ पश्चिमी नगरों में हलके इनफ्लूएंज़ा के फैलने के कुछ समाचार मिले हैं ।

(ख) सभी राज्य सरकारों और केन्द्रीय भोताागारों और हवाई अड्डों के स्वास्थ्य संघटनों को भारत में इनफ्लूएंजा फैलने की संभावना के संबंध में चेतावनी दे दी गई है और उनको परामर्श दे दिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर वे यथा शक्ति उपाय करें ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि पूर्व की ओर वढ़ने वाली यह इन-फ्लूएंजा महामारी उस इनफ्लूएंजा से किस बात में भिन्न है, जिससे भारतवासी साधारणतः पीड़ित रहते हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर : मेरे लिये यह बताना मशकिल है कि यूरोप में इस महामारी का क्या रूप हो गया है । शायद कुछ रूप भारत में पहले से ही चल रहे हैं ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते इस महामारी का घनत्व कम हो रहा है या बढ़ रहा है ?

राजकुमारी अमृतकौर : मैं पहले ही बता चुकी हूं कि यह पूर्व की ओर वस्तुतः किसी भयानक रूप से नहीं बढ़ रही है । ताजी से ताजी जानकारी के अनुसार मैं यही कह सकती हूं कि वह यूरोप में भी कम हो रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : महामारी को खतम क्यों न होने दिया जाये ? इसके यहां आने का कोई खतरा नहीं है, बस कुछ माननीय सदस्य उसके आने की संभावना से ही घबड़ा गये हैं । अगला अल्पसूचना प्रश्न ।

राजस्थान में खाद्याभाव

श्री जी० डी० सोमानी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान राज्य के बीकानेर जोधपुर, और जैसलमेर डिवीजनों में खाद्य का भारी अभाव चल रहा है ;

(ख) यदि सच है, तो परिस्थिति का सामना करने के लिये क्या पग उठाये गये या उठाये जा रहे हैं ?

(ग) राजस्थान-सरकार के अभाव क्षेत्रों में सहायता देने संबंधी कार्यों में मदद करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कोई विशेष सहायता मंजूर की गई है ; तथा

(घ) सदैव अभाव दशा से पीड़ित रहने वाले इन क्षेत्रों की अल्प कालीन और दीर्घ-कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सरकार और क्या उपाय करना चाहती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर और उदय पुर डिवीजनों के भागों में अभाव-दशा चल रही है ।

(ख) पीड़ितों की सहायता के लिये राज्य सरकार निम्न पग उठा रही है :

(१) राजस्व एजेंसी द्वारा सहायता कार्य, जिसमें पीने के पानी के लिये पक्के कुएं और कच्चे तालाब बनवाना शामिल है ।

(२) पीने के पानी का प्रबंध ।

(३) पशुओं की सुरक्षा ।

(४) असाहिज और अपंगुओं की सहानुभूति पूर्ण सहायता ।

(५) धातु का तोड़ना ।

(६) लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कें बनवाना ।

(७) तकावी के अग्रिम-दान ।

(ग) रु० १·५ करोड़ का एक उपाय तथा साधन अग्रिम-दान मंजूर किया गया है, जिस में अकाल-सहायता भी शामिल है । इसके साथ ही भारत सरकार निम्न सूत्र के अनुसार राजस्थान-सरकार की सहायता करने के लिये उद्यत हो गई है :

(१) सहानुभूति पूर्ण सहायता के कुल व्यय के ५० प्रतिशत का अनुदान (पीने के लिये पानी ले जाना और जानवरों को खिलाने पर और उनकी सुरक्षा पर अपुनरादेय व्यय भी ऐसे अनुदानों के लिये अर्ह बनाएगा) ।

(२) अनुत्पादक कामों के वास्तविक व्यय के ५० प्रतिशत का ऋण, केवल पीने के पानी वाले (सिंचाई वाले नहीं) कुओं और तालाबों के खोदने और गहरा करने पर होने वाला व्यय भी उसी कोटि में आएगा । राजस्व दे सकने वाला कोई भी काम "उत्पादक काम" माना जाएगा ।

(घ) स्थल पर जाकर परिस्थिति का अध्ययन करने के लिये और स्थाई या अर्द्ध-स्थायी रूप में सहायता देने के उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए राजस्थान को पदाधिकारियों की एक टुकड़ी भेजने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्री जी० डी० सोमानी : क्या इस प्रेस समाचार में कोई तथ्यांश है कि राजस्थान के कुछ भागों में भुखमरी से मौतें हुई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे विदित नहीं । मैं यही कह सकता हूं कि एक भी **नहीं ।**

श्री जी० डी० सोमानी : जैसा माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया राजस्थान सरकार के लिये प्रस्तावित सहायता में अनुत्पादक मद्दों वाले विनियोजन को पृथक करने का क्या कारण है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैंने जो कहा है, वे संकट कालीन उपाय हैं । और यदि एक सिंचाई परियोजना जैसी कोई दीर्घकालीन परियोजना होगी, तो उस पर वह समिति पड़ताल करेगी, जिसकी नियुक्ति हमारे विचाराधीन है ।

श्री कास्लीवाल : क्या इस क्षेत्र में चारे के डिपो भी खोलने का विचार है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यदि परिस्थिति की मांग हो, तो राज्य सरकार वह भी करेगी, और वह केन्द्रीय सरकार से कुछ अनुदान पाने की अधिकारी होगी ।

श्री टी० एन० सिंह : आज के समाचार पत्रों में यह संवाद है कि राजस्थान-क्षेत्र के आस-पास विद्यमान अकाल-दशा के कारण पाकिस्तान से कुछ दल आ गए हैं । मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है और यदि सच है तो क्या वे अकाल दशा के कारण आये हैं ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : यह प्रश्न राजस्थान में अकाल के सम्बन्ध में है। पाकिस्तान से कुछ आ गये ह या नहीं इससे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं हैं।

* * * *

सेठ अचल सिंह: क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन डिस्ट्रक्टस में अकाल पड़ रहा है क्या उन को फैमीन एरिया डिक्लेअर (अकाल क्षेत्र) घोषित कर दिया गया है ?

श्री किदवई: राजस्थान गवर्नमेंट जो मुनासिब समझ रही है, कर रही है, हम से जो मदद मांगेंगे और वह हमारे अख्त्यार म होगा तो हम देंगे।

श्री मुरारका: मैं जान सकता हूं कि इस अभाव से कितने लोग पीड़ित हैं ?

श्री किदवई : हमें अभी तक राजस्थान से कोई सविवरण बृत्तांत नहीं मिला है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

टिड्डियों का आक्रमण

*४७९. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष भारत को किसी भी ओर से टिड्डी के आक्रमण का कोई खतरा नहीं है ?

(ख) आक्रमण के निवारण के लिये इस समय क्या सावधानियां बरती जा रही हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) नहीं, मध्य पूर्व विशेषतः ईरान में रेगिस्तानी प्रजननपेटी में भारी प्रकोप की दृष्टि में टिड्डियो के एक भारी आक्रमण का भय है।

(ख) हम भारत में इन दलों के आक्रमण को रोकने के लिये भारत से बहुत थोड़ा काम कर सकते है। हमारे परिचय के बहुत से देशों ने, जहां से ये टिड्डी दल आते हैं, टिड्डी-विरोधी संगठन बनाए हैं और हमने भी हाल में ईरान को खतरे के इस स्रोत के नष्ट करनें में सहायता दी है। एक विवरण, जिसमें टिड्डियों और उड़न कीड़ों को नष्ट करने से संबंधित हमारे प्रयत्न बताए गए हैं, सदनपटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १७]**।

ज्येष्ठता समितियां

*४८२. **श्री फ्रैंक एन्थनी**: क्या **रेल** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वे तिथियां, जब प्रत्येक रेलवे में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में ज्येष्ठता-समितियां नियुक्त की गई ; यदि वे वस्तुतः नियुक्त की गई हैं ;

(ख) क्या किसी रेलवे वाली ज्येष्ठता समिति ने अपना प्रतिवेदन पूरा कर लिया है; तथा

(ग) क्या इन ज्येष्ठता समितियों का काम पूरा होने तक के लिये नौकरियों का पक्का किया जाना स्थगित कर दिया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) :

(क)

समिति का नाम	नियुक्ति की तिथि
दक्षिण रेलवे ज्येष्टता-समिति	२८-९-१९५१
पश्चिम रेलवे ज्यष्टता-समिति	२-१-१९५२
मध्य रेलवे ज्येष्ठता-समिति	१७-३-१९५२
पूर्वी रेलवे ज्येष्ठता-समिति	२-६-१९५२
उत्तर रेलवे ज्येष्ठता-समिति	१६-७-१९५२
उत्तर पूर्व रेलवे ज्येष्ठता-समिति	१९-७-१९५२

(ख) एकीकृत इकाइयों के कर्मचारियों की ज्येष्ठता को संयुक्त करने के लिये अपनाये जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में चार समितियों ने अपने प्रतिवेदन भेज दिये हैं।

(ग) नौकरियों के पक्के होने पर कोई स्पष्ट रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि उसकी गति धीमी कर दी गई है।

*सभापति की आज्ञा से निरसित—संपादक संसदीय प्रकाशन।

सं० रा० अमरीका से गेहूं का आयात

*४८३. **श्री एस० सी० सिंघल :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वह दर क्या है जिस पर भारत सरकार आजकल सं० रा० अमरीका से गेहूं खरीद रही है ?

(ख) गत तीन वर्षों में सरकार ने गेहूं किन दामों पर खरीदा था और उक्त काल में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई थी ?

(ग) जहाजरानी कंपनियों को कितना भाड़ा चुकाया गया था और भारतीय कंपनियों को कितना दिया गया था ?

(घ) बीमा कंपनी को खतरे की सुरक्षा के लिये कितनी प्रीमियम दी गई थी और भारतीय कंपनियो को क्या राशि दी गई थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) आजकल सं० रा० अमरीका से गेहूं की खरीद अंतर्राष्ट्रीय गेहूं समझौते के अधीन १·८४ डालर से १·८७ डालर तक प्रति बूशल के हिसाब से होती है ।

(ख) गत तीन वर्षों में सं० रा० अमरीका से खरीदे गये गेहूं और चुकाए गए दाम निम्न प्रकार से थे :–

वर्ष	खरीदी गई मात्रा ('००० टन)	६० पौंड के प्रति बुशल पर चुकाये गए दाम
१९५०	२२४·५	डालर १·६९ से १·९०
१९५१	२४२४·१	डालर १·७९ से २·६५
१९५२	१२३५·८	डालर १·८३ से २·९०

(ग) १९५०, १९५१ और १९५२ वर्षों में प्राप्त हुई मात्रा के लिये चुकाया गया भाड़ा ६० ४०३६·२ लाख था । इसमें ६० ७२·४ लाख भारतीय कंपनियों को चकाए गए थे ।

(घ) सं० रा० अमरीका से आए गेहूं की लदान का बीमा नहीं किया गया था ।

चाय-रोपण-कामकरों के लिये राशन के दाम में वृद्धि

*४८६. **श्री विट्टल राव :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग के चाय रोपण-कामकरों के राशन के दाम रु० ८ प्रति मन से बढ़ाकर रु० १७॥) प्रति मन कर दिए गए हैं ; तथा

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने यह पग उठाते समय चाय-उद्यान-मालिकों और त्रिदली सम्मेलन के बीच उस संकल्प पर हुए समझौते की ओर कोई ध्यान नहीं दिया कि त्रिदली आयोग के प्रतिवेदन के पूरे होने से पहले कामकरों की आय मे कोई कमी न हो ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) न्यूनतम मजूरी चाय रोपण परामर्शदात्री समिति की अन्तः कालीन रिपोर्ट के आधार पर पश्चिमी बंगाल सरकार ने दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों में चाय-रोपकों को कर्मचारियों के राशन के दाम १ जनवरी, १९५३ से लेकर दो महीनों तक ८ रु० प्रति मन के स्थान पर बढ़ाकर रु १७॥) प्रति मन कर देने की अनुमति दे दी है, पर शर्त यह है कि अधिक दाम पर राशन देने वाले उद्यान न तो बंद हो जायेंगे, और न किसी भी विद्यमान कर्मचारी की छंटनी करेंगे या उक्त समय में कम से कम छः दिन प्रति सप्ताह का काम देंगे । अधिक उद्यानों का बंद होना रोकने के लिए यह पग बिल्कुल अस्थायी रूप में ही उठाया गया है ।

(ख) रोपकों के साथ किए गए इस समझौते में कि कामकरों की आय में कोई कमी न हो, यह शर्त थी कि आबकारी शुल्क की वापसी आदि द्वारा चाय-उद्यानों की कुछ

सहायता की जायेगी, पर उसे केंद्रीय सरकार ने मंजूर नहीं किया ।

गन्ने तथा गुड़ के बोझ

***४८७. श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास जालंधर के गन्ना पैदा करने वालों से पेरने की वर्तमान फसल में गुड़ तथा गन्ने के माल को लादने के अपर्याप्त प्रबंध के सम्बन्ध में कोई शिकायत पहुंची है ; तथा

(ख) यदि पहुंची है, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है या करना चाहती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) गन्ने के लादने के लिए डिब्बों के मिलने के संबंध में मुश्किल से कोई शिकायत आई हो ; यह सब मिला कर काफी संतोषजनक रहा है ।

साधारणतः पेरने की फसल में चीनी मिलों की आवश्यकता पूरी करने की दृष्टि से डिब्बों की प्राप्ति को बढ़ाने के लिए विशेष पग उठाए जाते हैं ।

फिर भी विविध क्षेत्रों से गुड़ के यातायात के सम्बन्ध में शिकायते आई हैं । इसका कारण यह है कि गुड़ को यातायात में अग्रस्थान नहीं दिया जाता, और इस लिए अग्रस्थान वाले यातायात की अत्यावश्यक मांगे पूरी हीने के बाद ही बचे हुए डिब्बे अन्य चीज़ों के साथ गुड़ के लिए भी मिलते हैं ।

(ख) भाग (क) के उत्तर की दृष्टि में गन्ने के यातायात के विषय में यह प्रश्न उठता ही नहीं । रहा गुड़, सो अन्य मांगों को पूरा करने के बाद यथासम्भव अधिकतम यातायात उस के लिए भी उपलब्ध कर दिया जाता है । वर्तमान फसल में उठाए गए माल से पता चलता है कि पिछली फसल के तत्संवादी समय के यातायात से इस वर्ष वृद्धि हुई है ।

दक्षिण रेलवे मज़दूर संघ (संकल्प)

***४८८. श्री नम्बियार :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या गोल्डेन रौक में हुए दक्षिण रेलवे मजदूर संघ के १३ वें सम्मेलन में पारित और भेजे गए संकल्प रेलवे अधिकारियों के पास पहुंच गए हैं ?

(ख) उसमें बताई गई रेलवे कर्मचारियों की साधारण और विभागीय शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(ग) प्राप्त हुए संकल्पों की कुल संख्या क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(घ) क्या विभिन्न संकल्पों पर कार्यवाही करने के बाद मजदूर संघों के पास संदेश भेज दिए जाते है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) निर्दिष्ट संकल्पों की एक प्रति माननीय सदस्य द्वारा दक्षिण रेलवे मजदूर संघ के प्रधान मंत्री के रूप में रेल तथा यातायात मंत्री के नाम भेजे गए दिनांक २, ३, और ११ अक्टूबर १९५२ के पत्रों के साथ प्राप्त हो गई है ।

(ख) से (घ). कोई कार्यवाही नहीं की गई, क्योंकि हमारी साधारण नीति औपचारिक रूप में मान्यता-प्राप्त संघों से ही पत्र-व्यवहार करने की है । (ग) के पहले भाग के निर्देश में मैं यह भी बता दूं कि भाग (क) के उत्तर में बताए गए पत्रों के साथ-साथ बहुत से संकल्प प्राप्त हुए हैं ।

कोयला खान कामकर (छट्टियां)

*४९३. **श्री माधव रेड्डी:** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोयला खानों के प्रबन्धकों ने कोयला खान श्रम जांच समिति की कोयला-खान कामकरों को १० दिन की सवेतन छुट्टी देने वाली सिफारिश को मान लिया है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): यह स्पष्ट नहीं है कि किस कोयला खान श्रम जांच समिति का निर्देश अभिप्रेत है । यदि हैदराबाद सरकार द्वारा श्री डी० जी० जादव की अध्यक्ष ता में बनाई गई समिति का निर्देश किया जा रहा है, तो सूचना अभी उपलब्ध नहीं है और संग्रह करके सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

लुधियाना में रेल-दुर्घटना

*५०९. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुधियाना में ३ फरवरी, १९५३ के आस पास रेलवे इंजिनों के बीच टक्कर हो गई थी ;

(ख) यदि हो गई थी, तो उसके विवरण;

(ग) इस टक्कर में हुई अनुमानित क्षति ; तथा

(घ) भविष्य में ऐसी टक्कर न होने देने के लिए उठाए जाने वाले पग ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख). लुधियाना में ३ फरवरी, १९५३ को रात के लगभग १२ बजे छुट्टी पर गए हुए एक शंटर के स्थान पर काम करते समय एक फायर मैन आने वाली नं० ६ एल० एफ० गाड़ी के इंजन को जो लोको शेड में परीक्षण-पिट पर खड़ा हुआ था, ट्रैफिक यार्ड में ले गया, जहां पर यह इंजन पानी के खम्बे के साथ खड़े हुए दूसरे शंटिंग इंजन से टकरा गया, जिस के फलस्वरूप वह शंटिंग इंजन और इसी लाईन पर खड़ा हुआ एक राख का डब्बा पटरी पर से उतर गया ।

(ग) लगभग ४५०० रुपए ।

(घ) दुर्घटना की जांच करने के लिए सहायक अधिकारियों की एक जांच हो चुकी है, और उन की उपपत्तियों के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

विश्व स्वास्थ्य संघ

*५१२. **श्री एल० जे० सिंह:** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विश्व स्वास्थ्य संघ के सक्रिय सदस्य राज्यों के नाम ;

(ख) १९५३ वर्ष में भारत ने विश्व स्वास्थ्य संघ को क्या राशि दी ; तथा

(ग) विश्व स्वास्थ्य संघ के भारत स्थित प्रादेशिक कार्यालय के निदेश में भारत में १९५३ के लिए क्या स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) से (ग) दो विवरण सदन-पटल पर रखे जाते है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १८**]

(ख) १९५३ के लिए भारत का दय अंशनिर्धारण सं० रा० डालर २७३०५५ लगभग १२,९९,७४२ रुपए) है ।

टूंडला एटा रेलवे लाइन

*५१३. **चौ० रघुवीर सिंह:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार टूंडला से एटा (यू० पी०) तक एक नई रेलवे लाइन बनवाना चाहती है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या प्रारंभिक पग उठाए हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) १९५३-५४ में इस परियोजना के लिए एक परिमाप करने का विचार है, जिससे वित्तीय, संचालन और जनता के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयुक्त रास्ते का निश्चय करने के बाद इस के निर्माण का निर्णय किया जा सके ।

मलेरिया नियंत्रण योजना

*५१४. **श्री गणपति राम:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा प्राविधिक सहकार प्रशासन-कार्यक्रम के सहयोग में शूरू की गई मलेरिया नियंत्रण योजना सभी राज्यों तक बढ़ा दी गई हैं ;

(ख) यदि हां तो प्रत्येक राज्य में काम करने वाली इकाइयों की संख्या ;

(ग) भारत-अमरीकी निधि में से उत्तर प्रदेश राज्य के लिए नियत की गई कुल राशि ; तथा

(घ) केंद्र द्वारा उत्तर-प्रदेश को निःशुल्क दी गई डी० डी० टी०, गाड़ियों तथा अन्य सामग्रियों की संख्या ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) हां, राजस्थान को छोड़ कर, जो वित्तीय कठिनाइयों के कारण योजना में शामिल होने के लिए सहमत नहीं हुआ।

(ख) जैसा २६ फरवरी, १९५३ को मेरे द्वारा दिये गए तारांकित प्रश्न संख्या ३६५ के उत्तर में बताया गया था, योजना के अनुसार १९५३-५४ में ७५ इकाइयां स्थापित की जाएंगी और १९५४-५५ में ५० इकाइयां एक विवरण जिस में विभिन्न राज्यों की ७५ इकाइयों का ब्यौरा दिया गया है, सदन-पटल पर रखा जाता है ।

(ग) १९५३-५४ में विविध राज्यों को देने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्राविधिक सहकार प्रशासन द्वारा दी गई सहायता का, जो डी० डी० टी० गाड़ियों और अन्य सामग्रियों के रूप में होगी, मूल्य ५२ लाख डालर लगाया जा रहा है, जिस में उत्तर प्रदेश का भाग ३·५ लाख डालर होने की आशा है ।

(घ) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है [**(ख) तथा (घ) के लिए देखिये परिशिष्ट ४ अनुबन्ध संख्या १९**]

मध्य प्रदेश में तार घर

*५१५. **श्री आर० सी० शर्मा:** क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्र के साथ वित्तीय एकीकरण से पहले मध्य भारत में तारघरों की संख्या क्या थी ;

(ख) एकीकरण की तिथि के बाद खोले गए नए तारघरों की संख्या ; तथा

(ग) क्या प्रत्येक नगरपालिका वाले नगर में एक तारघर खोलने की कोई योजना है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सत्तर ।

(ख) तेरह ।

(ग) नहीं । मध्य भारत के कुछ और शहरों में तारघर खोलने की संभावना पर विचार किया जा रहा है ।

कार्यसंचालन क्षेत्र का भत्ता

*५१६. **मौलाना मसूदी:** क्या **संचरण** मंत्री डाक तथा कर्मचारियों के कार्य-संचालन क्षेत्र सम्बन्धी भत्ते के विषय में १५ दिसम्बर १९५२ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ६५९ के उत्तर का निर्देश करेंगे

और यह बतलाने को कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राजबहादुर): जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सभी केंद्रीय कर्मचारियों के कार्य-संचालन क्षेत्र सम्बन्धी भत्ते का सारा का सारा प्रश्न विचाराधीन है। शीघ्र ही एक निर्णय होने की संभावना है।

जयपुर रेलवे स्टेशन

३६४. श्री भीखाभाई: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर रेलवे स्टेशन को सुधारने के लिए कोई उपबन्ध किए गए हैं या किए जाने वाले हैं ;

(ख) क्या सरकार को पश्चिमी रेलवे खंड के प्रबंधक से जयपुर रेलवे स्टेशन के विकास के सम्बन्ध में कोई योजना प्राप्त हुई है ; तथा

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो कितनी राशि व्यय की जानी है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, १९५३-५४ के आयव्ययक में इसका उपबंध किया गया है।

(ख) हां। पर सविवरण योजना और प्राक्कलन अभी पश्चिमी रेलवे से आने को हैं।

(ग) १० लाख रुपये की प्रत्याशित लागत में से १९५३-५४ में दो लाख रुपए व्यय करने का विचार है।

अकार्य योग्य डिब्बे

***३६५. श्री जी० डी० सोमानी:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि विविध कर्मशालाओं में अकार्ययोग्य डिब्बे बेकार पड़े हुए हैं ?

(ख) क्या यह सच है कि इन मालगाड़ी के पुराने डिब्बों में से अधिकांश रेलवे नियमनों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम स्तर के भी नहीं रहे हैं ?

(ग) प्रत्येक रेलवे पर ऐसे डिब्बों की कुल संख्या क्या है, और वे कब से बेकार पड़े हैं ?

(घ) रेलवे द्वारा उनका उत्सर्जन करने के लिये क्या प्रयत्न किया जा रहा है, और ऐसे डिब्बों आदि का कुल मूल्य क्या है ?

(ङ) छोटी तथा बड़ी लाइन के मालगाड़ी के प्रत्येक डिब्बे का रद्दी के रूप में भूतकाल में प्राप्त किया गया मूल्य क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : रेलवे से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और एक उत्तर यथोचित समय में सदन-पटल पर रख दिया जाएग।

अकार्ययोग्य इंजन

***३६६. श्री जी० डी० सोमानी:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि छोटी लाइन के अकार्ययोग्य इंजन रद्दी घोषित किए जाने की प्रतिक्षा कर रहे हैं और यदि सच है, तो उनकी कुल संख्या क्या है और प्रत्येक इंजन का रद्दी में कितना मूल्य मिलने की संभावना है ?

(ख) क्या यह सच है कि भूतकाल में पुराने अकार्ययोग्य इंजन रद्दी में उनके लोहे के बोझ के मूल्य पर ही बेच दिए गए हैं ?

(ग) क्या रेलवे इस बात का आग्रह करती है कि विक्रय के पहले इन इंजनों को चूर-चूर कर दिया जाए, जिससे देश

में खानों या कारखानों में उनका उपयोग संभव न हो सके ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां । ऐसे खोटे ठहराए गए ५४ इंजन हैं, जिनको निकट भविष्य में तोड़ देने का विचार है । सभी उपयोगी भागों को काम में लाने के बाद रद्दी में प्रत्येक का मूल्य लगभग ५००० रुपए मिलने की आशा है ।

(ख) हां । पर सभी उपयोगी भागों को काम में लाने के बाद ।

(ग) नहीं । रेलवे के उपयोग के लिए उपयुक्त न रहे कुछ इंजनों और डिब्बों को नीजी लोगों को बेच दिया गया ह ।

सीमा व्यय

*३६७. **श्री जी० डी० सोमानी** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सीमा-व्ययों के प्रमापीकरण के बाद से उन से होने वाली वार्षिक आय प्रति वर्ष क्या रही है और प्रमापीकरण से पहले के तीन वर्षों में सीमा व्ययों से क्या आय होती थी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : चूंकि सीमा व्यय कुल भाड़ा दरों में जोड़ लिए जाते हैं, इस जानकारी का संग्रह सहज संभव नहीं है, और उसमें बहुत परिश्रम और व्यय पड़ेगा ।

पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्न संभरण

*३६८. **श्री बी० के० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिमी बंगाल को १९५२ वर्ष में राशन संबंधी वचन निभाने और साथ ही सस्ते मूल्य वाली दूकानों के लिए दिए गए चावल की मात्रा ;

(ख) १९५२ वर्ष में राशन वाले क्षेत्रों के लिए दिए गए गेहूं की कुल मात्रा ;

(ग) सहानुभूतिपूर्ण सहायता के रूप में और पीड़ित क्षेत्रों म रियायती दर पर बिक्री के लिए दिए गए गेहूं तथा चावल की कुल मात्रा ; तथा

(घ) आयातित चावल और स्थानीय सूत्रों से दी गई मात्राएं और उनके क्रमशः दाम ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) से (घ) । १९५२ की चावल की १५६३०० टनों की कुल मात्रा को निम्न प्रकार से नियत किया गया था :

	(१००० टनों में)
विदेशी चावल	१००·९
उड़ीसा	४७·३
य० पी०	८·१
	१५६·३

दाम के बारे में माननीय सदस्य द्वारा ६-११-५२ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ६५ के भाग (ख) के मेरे उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ख) राज्य की राशन-क्षेत्रों समेत सारी आवश्यकता पूरी करने के लिए ५,७२,६०० टन गेहूं नियत किया गया था ।

(ग) केन्द्र द्वारा पीड़ित क्षेत्रों में सहानुभूतिपूर्ण सहायता के रुप में या रियायती दर पर बेचने के लिए चावल और गेहूं के पृथक् नियतन नहीं किये गए थे । पश्चिमी बंगाल सरकार ने बताया था कि १९५२ में उन्होंने रियायती दरों पर ३९००० चावल और ५९,६०० टन गेहूं दिए हैं । सहानुभूतिपूर्ण सहायता के रूप में दी गई मात्रा के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

देहाती क्षेत्र (स्वच्छता)

३६९. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देश की देहाती आबादी की स्वच्छता

स्थिति को सुधारने के लिए सरकार पंचवर्षीय योजना के अधीन क्या पग उठा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

आयुर्वेदिक तथा एलोपैथिक शल्य-चिकित्सा प्रशिक्षण

३७०. **श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) प्रति वर्ष आयुर्वेदिक-तथा एलौपैथिक शल्य-चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले चिकित्सा संबंधी विद्यार्थियों की संख्या ;

(ख) क्या सरकार उक्त प्रकार का चिकित्सा-प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के नाम और प्रत्येक को सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता या अनुदान को बताने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखना चाहती है ?

(ग) क्या इन विश्वविद्यालयों या संस्थाओं के चिकित्सक-स्नातकों के वेतन-माप वही हैं, जो अन्य चिकित्सक-स्नातकों के ;

(घ) यदि नहीं तो क्यों नहीं ; तथा

(ङ) उक्त चिकित्सा-प्रणाली को लोकप्रिय और सस्ता बनाने के लिए सरकार अन्य क्या पग उठा रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): (क) से (ङ) । सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन-पटल पर रखी जाएगी ।

अखिल भारतीय शहरी मैला-खाद योजना

३७१. **श्री एस० सी० सामन्त:** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय शहरी-मैला-खाद योजना कब शुरू की गई थी और कैसे काम कर रही है ?

(ख) योजना को क्या-क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ीं और उनको कैसे झेला गया ?

(ग) मनुष्य तथा पशुओं की टट्टी आदि के उपयोग में मक्खियां पड़ना रोकने के लिए क्या कोई स्पष्ट उपाय खोजा गया है ?

(घ) यदि हां, तो क्या यह बहुमूल्य है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) भारत सरकार ने शहरी गंदा-मैला योजना अखिल भारतीय पैमाने पर अगस्त, १९४५ में अधिक अन्न उपजाओ आंदोलन के एक अंग के रूप में चलायी थी, और शहरी क्षेत्रों में खाद का उत्पादन तथा वितरण बढ़ाने के लिए राज्य-सरकारों को प्राविधिक सहायता देने के लिए सहमत हो गई थी । योजना में वर्ष-प्रति-वर्ष तीव्र प्रगति दिखाई दे रही है, जैसा कि सदन पटल पर रखे जाने वाले विवरण को देखने से स्पष्ट हो जाएगा ।

(ख) खाद के काम में तीव्र प्रगति निम्न करणों से कठिन हो गई थी :

(१) खाद के गड्ढे खोदने के लिए जमीन ग्रहण करने में देर ;

(२) यातायात की कठिनाइयां ;

(३) उपयुक्त चलनी का अभाव; तथा

(४) इस खाद से होने वाले अतिरिक्त उत्पादन का निर्धारण करने के लिए संतोषजनक आंकड़ों का अभाव ।

इन कठिनाइयों को निम्न उपायों द्वारा झेला जा रहा है, जैसे कि (१) खाद के काम के लिए शीघ्र जमीन ग्रहण करने के संबंध में विधान बनाना, (२) मोटर-गाड़ियों के खरीदने के लिए वित्तीय सहायता, (३) उपयुक्त चलनी का निर्माण, और (४) राज्यों में खाद संबंधी परीक्षण ।

(घ) सुझाए गए उपाय व्ययसाध्य नहीं हैं । व्यय बनाई गई खाद के प्रत्येक टन पर २ से ४ आने तक ही पड़ता है ।

विवरण

शहरी मैला खाद योजना की प्रगति

क्रमसंख्या	वर्ष	खाद बनाने वाले शहरी केंद्रों की संख्या	खाद की मात्रा उत्पादित टनों में	खाद की मात्रा वितरित टनों में
१	१९४५-४६	४११	२,८२,६७०	१,७९,९१०
२	१९४६-४७	५७८	४,०९,३६०	२,८९,१७०
३	१९४७-४८	५६६	४,८६,०८०	३,८०,५२७
४	१९४८-४९	६८६	७,१९,५५६	५,५७,३८५
५	१९४९-५०	१०३६	१२,०९,०८४	९,२३,१७५
६	१९५०-५१	१०४८	१४,०३,७६१	१०,६३,९१३
७	१९५१-५२	१६९३	१६,९४,१०४	१२,५३,३५१

दिल्ली दुग्ध वितरण योजना

३७२. **सरदार हुक्म सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दूध को नीरोगित (पैस्चुराइज्ड) बनाने और "दिल्ली दुग्ध वितरण" के लिए ठण्डे स्थान पर रखने सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त डेरी खोलने का कोई कार्यक्रम सरकार द्वारा मंजूर किया गया है ?

(ख) दिल्ली दुग्ध वितरण योजना के अधीन नित्य वितरित किए जाने वाले दूध की मात्रा कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) हां ।

(ख) प्रति दिन लगभग १२० मन ।

एरनाकुलम क्विलोन रेलवे लाइन

३७३. **श्री वी० पी० नायर:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में एरनाकुलम से क्विलोन तक रेलवे लाइन के बिछाने और उसके परिमाप में अब तक की गई प्रगति; तथा

(ख) उक्त रेलवे परियोजनाओं में अब तक लगाए गए स्थानीय मज़दूरों की संख्या, और लगाए गए इन मजदूरों को श्रेणी बार दी गई मजूरियों की दरें ?

रेल तथा यातायात उपमन्त्री (श्री अलगेशन): (क) कुल ९६·२६ मील में से ५८ मीलों का अन्तिम स्थानीय परिमाप पूरा किया जा चुका है । एरनाकुलम् से कोटय्यम् के खंड में मिट्टी सम्बन्धी काम शुरू हो चुका है और इस खंड की ७१५ लाख हंड्रेडवेट की कुल आवश्यकता के आगे ६ लाख का काम पूरा किया जा चुका है ।

(ख) इस समय लगभग १२०० स्थानीय मज़दूर काम कर रहे हैं, और दी जाने वाली मजूरियां निम्न हैं :

(१) विभागीय मज़दूर रू० ४५ प्रति मास (एक राशि) ।

(२) ठेकेदार के कुली—दैनिक मजूरियां पुरुषों के लिये रु० १–१२–० से २—४—० तक और स्त्रियों के लिये १—०—० से १—४—० तक रहती है ।

भूतपूर्व सैनिक स्त्री कल्याण निधि

३७४. श्री फ्रैंक एन्थनी: क्या श्रम मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या वायसराय के युद्धोद्देश्य-निधि में से एक भूतपूर्व सैनिक स्त्री कल्याण निधि बनाई गई थी ;

(ख) उसका उद्देश्य;

(ग) निधि के पास पड़ा हुआ अवशिष्ट रुपया;

(घ) इस निधि से सहायता के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की कुल संख्या; तथा

(ङ) वस्तुतः यह सहायता प्राप्त करने वाले आवेदकों की संख्या ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) हां।

(ख) निधि का क्षेत्र मूलतः डबल्यू० ए० सी० (१) के उन भूतपूर्व सदस्यों को अतिरिक्त सुविधायें प्रदान करना था जो सेना से निवृत्ति के बाद नागरिक जीवन में बसने के लिये प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थीं। विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं की समाप्ति के बाद निधि का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है और अब भूतपूर्व सैनिक-स्त्रियों को निम्न कार्यों के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध है—

(१) उच्चतर शिक्षा तथा प्रशिक्षण;

(२) व्यापार या अन्य आजीविकाओं में जमने के लिये थोड़ी सी कार्यकारी पूंजी, कच्चा माल, औजार आदि का उपबन्ध ;

(३) (निराश्रित या पीड़ित-अवस्था में) निवास, वस्त्र, गाड़ी किराया आदि के न्यूनतम व्यय पूरा करना। यह सहायता अत्यन्त सीमित समय के लिये दी जाती है।

हाल में निधि का क्षेत्र और भी बढ़ा दिया गया है, और अब सहायता की अधिकारी उन सहायक सेना वाली स्त्रियों के बच्चे भी वे सहायताएं प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) केन्द्रीय नियतन समिति के पास रु० १,५०,००० । प्रादेशिक समितियों के पास भुगतान के लिये रु० ६५,९६९ की बकाया और है।

(घ) १९४८ में निधि का क्षेत्र बढ़ने के बाद आवेदनों की संख्या २४४२ है।

(ङ) १०७५। इस संख्या में सहायक सेना वाली वे २३९ स्त्रियां भी सम्मिलित हैं, जिनके लिए सहायता मंजूर की जा चुकी है पर भुगतान वस्तुतः नहीं हो पाए हैं।

कर्मचारियों के क्वार्टर (मरम्मत)

३७५. श्री फ्रैंक एन्थनी: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२–५३ में दिल्ली तथा नई दिल्ली स्थित कर्मचारियों के क्वार्टरों की मरम्मत के लिये मंजूर की गई राशि ;

(ख) इस में से कितनी राशि गजटेड अफसरों के क्वार्टरों के लिए निश्चित थी और कितनी अ-गजटेड कर्मचारियों के लिये; तथा

(ग) वस्तुतः व्यय हुई राशि ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) १,८०,००० रुपए।

(ख) अफसरों और अ-गजटेड कर्मचारियों के क्वार्टरों की मरम्मत के लिए अलग राशि निश्चित नहीं की जाती, और न उसका अलग-अलग हिसाब ही रखा जाता है।

(ग) जनवरी, १९५३ के अन्त तक १,४०,००० रुपए व्यय हुए थे।

पेराम्बूर कोच फ़ैक्टरी

३७६. सरदार ए० एस० सहगल: क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पैराम्बूर कोच फैक्टरी सार्वधातुक, हलकी, बिना फरनीचर वाली, एकीकृत प्रकार की

३५० कोचें, जो वार्षिक अपेक्षित संख्या है, कब तक बनाने लगेगी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): आशा है, लगभग चार वर्ष में फैक्टरी ३५० कोचें प्रतिवर्ष बनाने लगेगी, पर यह विदेश से विशिष्ट मशीनों और उपकरणों के समयानुसार आ जाने पर निर्भर है।

राजपूताना विकास निगम

३७७. **श्री गिडवानी**: (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विज्ञानशाला, नई दिल्ली ने केन्द्रीय सरकार को यह सुझाया है कि रेगिस्तान के बढ़ने को रोकने के लिए एक राजपूताना विकास निगम बनाया जाए ?

(ख) क्या सरकार ने विज्ञानशाला के सुझावों पर विचार किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) हां।

(ख) सरकार ने विज्ञानशाला से एक सविवरण योजना मांगी है।

चर्च गेट स्टेशन पर प्लेटफ़ार्मों का विस्तार

३७८. **श्री गिडवानी**: (क) क्या **रेल मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बम्बई में चर्च गेट स्टेशन के प्लेट फार्मों को मेरीन लाइन्स की ओर बढ़ाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जायगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख)। इस बात की पड़ताल हो रही है और आशा है कि १९५४-५५ के निर्माण-कार्यक्रम में इस पर विचार किया जाएगा।

ग्रांट रोड स्टेशन

३७९. **श्री गिडवानी**: क्या **रेल मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ग्रांट रोड स्टेशन पर दूसरा प्लेटफार्म बनाने की कोई योजना है ?

(ख) यदि है, तो यह योजना कब कार्यान्वित की जाएगी।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख)। इस विषय की पड़ताल हो रही है और आशा है कि १९५४-५५ के निर्माण कार्यक्रम में इस पर विचार किया जाएगा।

बान्द्रा तथा बोरीविली के बीच लाइनों का विद्युत्करण

३८०. **श्री गिडवानी**: क्या **रेल मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बान्द्रा और बोरीविली के बीच की कुछ वर्ष पहले बिछाई गई दो अतिरिक्त लाइनों का विद्युत्करण कब तक किया जाएगा और उनको कब काम में लाया जाएगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): बान्द्रा से अंधेरी और अंधेरी से बोरीविली के बीच बिछाई गई दो अतिरिक्त लाइनों का विद्युत्करण क्रमशः मार्च, १९५३ और मार्च १९५४ तक पूरा होने की आशा है। इसके पूरे होने के बाद शीघ्र ही शाखा को काम में लाया जाएगा।

प्रकाशगृह तथा कोहरा संकेत स्थल

३८१. **श्री रघवय्या**: क्या **यातायात** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे;

(क) भारत में प्रकाशगृहों और कोहरा-संकेत-स्थलों की कुल संख्या;

(ख) क्रमशः बिजली और गैस से प्रकाश पाने वालों की संख्या;

(ग) रेडियो-आकाश दीपों से सुसज्जित होने वालों की संख्या; तथा

(घ) १९५३ वर्ष में प्रकाशगृहों में बिजली तथा रेडियो के आकाशदीप लगाने की योजना ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भारत में प्रकाशगृहों की कुल संख्या प्रकाशपोतों, कोहरा-संकेतों, सुरक्षा-आकाशदीपों, या प्रदर्शित होने वाले या पोतों के दिग्दर्शन के लिये प्रयुक्त होने वाले अन्य चिन्हों समेत १७०३ हैं। कोहरा-संकेत-स्थलों की संख्या ४ है।

(ख)तीन प्रकाशगृह बिजली से और २१६ गैस से प्रकाशित हैं।

(ग) आजकल केवल दो प्रकाशगृहों में रेडियो आकाशदीप हैं।

(घ) १९५३-५४ में दो रेडियो आकाशदीप स्थापित करने का विचार है, एक उड़ीसा में फैल्स प्वाइंट पर और दूसरा कोचीन में, तथा अर्नाला भटकल फैल्स प्वाइंट, डालफिन्स नोज (विशाखापटनम्), पुरी, द्वारिका, अल्लेप्पी और क्विलोन के आठ प्रकाशगृहों को बिजली से प्रकाशित करना है। इसी वर्ष में ओखा और मंगरौल के बिजली के प्रकाश में भी अधिक शक्तिपूर्ण विद्युत्सामग्री द्वारा सुधार करने का विचार है।

इंजन

३८२. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार**: क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे।

(क) १९५२–५३ और १९५३–५४ में भारतीय रेलों के लिये अपेक्षित बड़ी तथा छोटी लाइन वाले इजनों की कुल संख्या; तथा

(ख) इसके कितने अनुपात की भारत में पूर्ति होने की आशा है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): १९५२–५३ और १९५३–५४ के इंजन-डिब्बा कार्यक्रम में उपबंद्ध भारतीय रेलों की इंजन सम्बन्धी आवश्यकताएं निम्न हैं:

	बड़ी लाइन	छोटी लाइन
१९५२–५३	१५४	१६०
१९५३–५४	१२०	११०

(ख) इसमें से १५७ बड़ी लाइन और १०० छोटी लाइन वाले इंजनों के लिये भारतीय निर्माताओं को आर्डर दिये जा चुके हैं। छोटी लाइन के ५० और इंजनों के लिये देश में आर्डर देने का विचार है।

जेट वायुयान और पटरी

३८३. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार**: क्या संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जेट वायुयान का संचालन उगली गई गर्मी और जेट-ईंधन के प्रभाव द्वारा हवाई-अड्डे की पटरी को नष्ट करता है; तथा

(ख) सरकार इस हानि को बचाने के लिए क्या पग उठाना चाहती है ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन द्वारा जो भारत में होकर ऐसे वायुयान चलाने वाली एकमात्र विदेशी हवाई-सेवा है; भारत में किए गए जेट यातायात वायुयानों के उपयोग से यह सिद्ध नहीं हुआ कि उगली गई गर्मी तथा जेट ईंधन के प्रभाव द्वारा हवाई अड्डे की पटरी नष्ट हो जाती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे के लिये कोयला

३८४. **श्री एन० पी० सिन्हा**: क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोयला-खानों से रेलवे द्वारा खरीदे जाने वाले कोयले की मात्रा तथा प्रकार की जांच करने की प्रक्रिया क्या है ?

(ख) क्या सरकार को पहले कभी ये शिकायतें मिली हैं कि कोयला-खानों ने सहमत हुई मात्रा से कम और प्रकार में घटिया कोयला दिया ?

(ग) सरकार इस विषय में क्या पग उठाना चाहती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) **प्रकार** : रेलवे को किये जाने वाले कोयले के संभरणों का निरीक्षण, उत्पादन मन्त्रालय के प्रशासन द्वारा नियंत्रित कोयला-आयुक्त के अधीन बने निरीक्षण-संगठन द्वारा भेजे जाने से पहले किया जाता है।

मात्रा : प्रेषण से पहले सभी डिब्बे रेलवे पुलों पर तौले जाते हैं, और नमूने की जांच के रूप में गंतव्य स्थान पर भी डिब्बों के एक प्रतिशतक को फ़िर तौला जाता है। बीजक के वज़नों और वास्तविक पहुंच में बहुत थोड़ा अन्तर––विभिन्न रेलवे में ०·१ प्रतिशत से ०·९ प्रतिशत तक––पाया गया है।

(ख) हां, मुख्यतः प्रकार के विषय में।

(ग) निर्दिष्ट प्रमापों से घटिया कोयला लादने वाली कोयला खानों को दंडित किया जा रहा है।

स्वास्थ्य की केन्द्रीय परिषद्

३८५. श्री एस० एन० दास: (क) क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा अब तक की गई महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें क्या हैं ?

(ख) इन में से कौन-कौन सिफ़ारिशें समिति द्वारा मंजूर कर ली गई हैं और कार्यान्वित की गई हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) मैं माननीय सदस्य का ध्यान २३ फ़रवरी १९५३ को मेरे द्वारा दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या २२५ के उत्तर की ओर आकर्षित करूंगी।

(ख) समिति का निर्देश करते समय माननीय सदस्य का अभिप्राय सम्भवतः 'सरकार' से है। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा की गई अधिकांश सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करना राज्य-सरकारों का काम है। केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित सिफ़ारिशें विचाराधीन हैं।

खंडवा इंगोली रेलवे लाइन

३८६. श्री के० जी० देशमुख: (क) **रेल** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि खंडवा से इंगोली के लिए एक नई रेलवे लाइन का बनना मंजूर किया गया है ?

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उक्त रेलवे-लाइन के लिये मिट्टी उठाने का काम शुरू होने में कितना समय लगेगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख)। इस काम को १९५३–५४ में हाथ में लेने का विचार है। अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि मिट्टी उठाने का काम वस्तुतः कब शुरू होगा।

रेलवे कोचें

३८७. श्री कास्लीवाल: (क) क्या **रेल** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ में प्रयोग के लिये प्रस्तुत की गई उच्च श्रेणी की कोचों की कुल संख्या क्या है ?

(ख) उनको किन लाइनों में लगाया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ११९।

(ख) मध्य रेलवे	२५
पूर्व रेलवे	२८
उत्तर रेलवे	२

उत्तर पूर्व रेलवे	१३
दक्षिण रेलवे	२२
पश्चिम रेलवे	१९
	११९

फ़सल प्रतिस्पर्द्धायें

३८८. **श्री चिनारिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) फ़सल प्रतिस्पर्द्धाओं में हुई प्रगति और १९५१–५२ तथा १९५२–५३ वर्षों में प्रतिस्पर्द्धियों और पुरस्कार पाने वालों की संख्या;

(ख) पूरी हुई फ़सलें;

(ग) क्या प्रतिस्पर्द्धाएं अखिल भारतीय आधार पर या राज्य के आधार पर हुई थीं; तथा

(घ) पेप्सू से कितने प्रतिस्पर्द्धियों ने भाग लिया और क्या किसी को कोई पुरस्कार मिला ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) १९४९–५० में, जब फ़सल प्रतिस्पर्द्धाएं अखिल भारतीय आधार पर संयोजित की गई थीं, केवल चार राज्यों ने भाग लिया। प्रतिस्पर्द्धियों की संख्या १८८७० थीं और प्रतिस्पर्द्धा वाला क्षेत्र ३१५६३ एकड़ था। १९५१–५२ में २० राज्यों ने भाग लिया। प्रतिस्पर्द्धियों की संख्या १,७१,०६८ रही और प्रतिस्पर्द्धा वाला क्षेत्र १,२१,६३६ एकड़ रहा। १९४९–५० में तीन किसानों को अखिल भारतीय पुरस्कार और 'कृषि-पंडित' का प्रमाण पत्र मिला। १९५०–५१ में छः किसानों को अखिल भारतीय पुरस्कार और कृषि पंडित के प्रमाण-पत्र मिले। १९५२–५३ की प्रतिस्पर्द्धाओं के परिणाम अभी विदित नहीं हुए और अखिल भारतीय पुरस्कारों की घोषणा दिसम्बर में हो सकेगी। राज्यों के पुरस्कार पाने वालों की संख्या के विषय में जानकारी संग्रह की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) १९४९–५० में प्रतिस्पर्द्धा के लिए चुनी गईं फ़सलें गेहूं, धान और आलू हैं और १९५१–५२ के लिए चुनी गई फ़सलें गेहूं, धान, आलू, ज्वार, बाजरा, चना है।

(ग) राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार द्वारा परिचालित की गई एक आदर्श योजना के आधार पर फ़सल-प्रतिस्पर्द्धा का संगठन करती हैं। राज्य सरकारें विजेताओं को ज़िला, तहसील तथा गांव के स्तर पर पुरस्कार देती हैं। केन्द्रीय सरकार उन प्रतिस्पर्द्धियों को छः अखिल भारतीय पुरस्कार तथा कृषि पंडित का एक प्रमाणपत्र देती है, जो छः चुनी हुई फ़सलों में प्रत्येक में सर्वाधिक पैदावार कर दिखाते हैं।

(घ) ३७१३। १९५१–५२ में पेप्सू से किसी को भी अखिल भारतीय पुरस्कार नहीं मिला, पर ७५ व्यक्तियों को राज्य पुरस्कार मिले हैं।

कृषि सम्बन्धी पत्रिकायें

३८९. **श्री चिनारिया :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कृषि तथा तत्सम्बन्धित विषयों पर सरकार द्वारा कितनी पत्रिकाएं निकाली जाती हैं और प्रत्येक के नाम, भाषा तथा प्रकाशन का स्थान ?

(ख) प्रत्येक की कितनी प्रतियां निकलती हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक ब्यौरेवार विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। [**दक्षिय परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २०**]।

दक्षिणी भारत में वर्षा

३९०. डा० रामा राव: (क) क्या **संचरण** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अन्तरिक्ष विभाग ने हाल ही में दक्षिणी-भारत में वर्षा के अभाव का अध्ययन शुरू किया है ?

(ख) अध्ययन के परिणाम क्या हैं ?

संचरण उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) हां। मद्रास राज्य में वर्षा के सम्बन्ध में।

(ख) अध्ययन से पता चला है कि मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्रों में पिछले पांच वर्षों से अक्टूबर तथा दिसम्बर के बीच वर्षा के निरन्तर अभाव का कारण जलवायु में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं है। ऐसी सूखा के लिये पूर्व दृष्टांत न हों, ऐसी बात नहीं। यह १८२८ से १८३५ और १८७२ से १८७६ के वर्षों में भी पड़ चुकी है। वे प्राकृतिक ऋतु की परिवर्तनशीलता के निदर्शन कहे जा सकते हैं, जिसके लिए अभी कोई भी कारण नहीं बताया जा सकता।

तटीय तथा समुद्रपार का जहाजरानी व्यापार

३९१. डा० लंका सुन्दरम: (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में तटीय जहाजरानी व्यापार द्वारा १९५२ वर्ष में ले जाए गए कुल माल की राशि और यात्रियों की संख्या क्या है और उस पर उसे कुल कितना भाड़ा और किराया मिला ?

(ख) भारत में समुद्र पार जहाजरानी व्यापार द्वारा १९५२ वर्ष में ले जाए गए कुल माल की राशि और यात्रियों की संख्या क्या है और उस पर उसे कुल कितना भाड़ा और किराया मिला ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) १९५२ में ले जाए गए माल और यात्रियों के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :

माल—लगभग २४.६६ लाख टन।

यात्री—लगभग १२.२८ लाख।

भारत के तटीय व्यापार द्वारा अर्जित भाड़े और किराये के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, पर पता चला है कि भारतीय जहाजों द्वारा तटीय-व्यापार में पाकिस्तान, लंका और बर्मा के व्यापार समेत १९५१–५२ में अर्जित की गई कुल राशि लगभग निम्नांकित है :

	रु०
भाड़ा	९०११ करोड़।
यात्री किराया	१०२६ करोड़।

समुद्र पार व्यापार में लगे हुए विदेशी जहाजों द्वारा अर्जित कुल भाड़े या किराए के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, पर भारतीय जहाजी कम्पनियों द्वारा १९५१–५२ में अर्जित राशि नीचे बताई जाती है :

भाड़ा	रु० ९.३२ करोड़।
यात्री किराया	रु० ०.३४ करोड़।

भारतीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र

३९२. डा० रामा राव: (क) क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी दान-संस्था द्वारा भारतीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र को कोई अनुदान दिया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो कितना दिया गया है, किसके द्वारा और किस प्रयोजन से ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत-कौर): (क) तथा (ख). किसी भी विदेशी दान-संस्था द्वारा भारतीय कैंसर अनसंधान केन्द्र को तो कोई सहायता नहीं दी गई है। फ़िर भी रौकफ़ेलर प्रतिष्ठान ने भारतीय

कैंसर अनुसंधान केन्द्र में मानवीय जाति के अध्ययन के लिए एक प्रयोगशाला चलाई है, जिसकी सामग्री खरीदने के लिये उसने ९५०० अमरीकी डालर और प्रयोगशाला के तीन वर्ष के लिये संचालनार्थ ६५०० रुपये दिए हैं। इस प्रयोगशाला का लक्ष्य मानवीय रक्त-वर्गों और अन्य प्रजनन सम्बन्धी परम्पराओं का एक ही जाति में विवाह करने वाले लोगों के उत्तराधिकार में चलने वाले रोगों तथा अन्य विकारों का विशेष निर्देश करते हुए अध्ययन करना है।

भारत-अमरीकी-समझौता-सहायता परिषद्

३९३. डा० रामा राव: (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत-अमरीकी समझौता सहायता परिषद् कब बनाई गई थी ?

(ख) परिषद् में कौन-कौन व्यक्ति हैं ?

(ग) इस परिषद् द्वारा विभिन्न भारतीय चिकित्सा संस्थाओं को अब तक क्या उपहार दिए गए हैं ?

(घ) इन उपहारों पर सीमा-शुल्क के रूप में एकत्र की गई राशि क्या थी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) तथा (ख). यह परिषद् सम्बन्धित पत्रों द्वारा १५ दिसम्बर, १९५१ को बनाया गया एक निजी संघटन है। इसका नाम अब बदल कर "स्वयं सेवी एजेंसियों की परिषद्" कर दिया गया है। परिषद् में विद्यमान व्यक्ति निम्न हैं।

(१) श्री ई० सेंट जौन कैचपूल, फ्रेंड्स सर्विस यूनिट के प्रतिनिधि;

(२) रेवरेंड ई० रघ, राष्ट्रीय क्रिश्चियन परिषद् अकाल तथा सहायता समिति के प्रतिनिधि;

(३) श्री फ्रेंड डेवीन, भारत में 'यूरोप में अमरीकी ऐकड़ प्रेषण' (केयर) के भारत स्थित प्रधान केन्द्र के प्रतिनिधि;

(४) वेरी रेवरेंड पौल एफ० स्मिथ, कैथोलिक सहायता तथा कल्याण समिति के प्रतिनिधि;

(५) रेवरेंड एस० एम० किंग, मैन्नोनाइट सहायता समिति के प्रतिनिधि।

(ग) जहां तक सरकार को विदित है, आने वाले उपहार समझौते के अनुसार मान्यता प्राप्त शाखाओं द्वारा भारत अमरीकी सहायता करार के अधीन बांटे जाते हैं। सरकार को कोई जानकारी नहीं है कि वितरण के विषय में परिषद् का कोई हाथ है या नहीं। भारत-अमरीकी सहायता करार के अधीन प्राप्तकर्त्री संस्थाओं द्वारा चिकित्सा संस्थाओं को दिए गए उपहार में भेषजें और औषधें, भोजन सामग्री और अस्पताली उपकरण आदि शामिल होते हैं। इन उपहारों के बारे में पूरे विवरण नहीं बताए जा सकते, क्योंकि उनके संग्रह में बहुत सारा समय और श्रम लगेगा।

(घ) भारत अमरीकी सहायता करार की शर्तों के अनुसार आने वाले उपहारों पर कुछ भी सीमा-शुल्क नहीं ली जाती।

मिस्त्री मंसाराम के आविष्कार

३९४. श्री विट्टल राव: क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि कालका के उत्तर रेलवे कारखाने के एक कारीगर मिस्त्री मंसाराम ने एक होरिजोंटल बैंड आरी और कई अन्य प्रक्रियाओं का आविष्कार किया है;

(ख) इन आविष्कारों का एकस्व (पेटेंट) किस के नाम से हुआ था; तथा

(ग) सरकार द्वारा इन आविष्कारों के लिए इस मिस्त्री को कितना धन दिया गया था, और इन आविष्कारों के क्रय और इनके एकस्व अधिकार के लिये उसे और कितना धन दिया जाएगा ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां। उत्तर रेलवे के कालका कारखाने में लगे हुए एक मिस्त्री श्री मंसाराम ने अपने सामान्य कार्य के सिलसिले में एक होरिजोंटल बैंड आरी गढ़ निकाली और कारखाने की विशिष्ट आवश्यकताओं के उपयुक्त कुछ और मशीनें बनाईं।

(ख) चूंकि श्री मंसाराम द्वारा ये मशीनें या गैडगेट रेलवे कारखाने में ही गढ़े या सुधारे गए थे, 'आविष्कारों के एकस्व' का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक ने श्री मंसाराम को उसकी कल्पना और कौशल के लिये ५०० रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है।

उत्तर प्रदेश में रेलवे की भूमि में लगान

३९५. श्री रामानन्द शास्त्री : क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में रेलवे की भूमि से १९४९ से लेकर आज तक कुल कितना लगान इकट्ठा किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : उत्तर प्रदेश में १९४९ में रेलवे की भूमि से इकट्ठा किए गए लगान के सम्बन्ध में पूरी सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। नागरिक अधिकारियों को एक निर्देश किया जा रहा है, और प्राप्त होने पर यह सूचना सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

केले का विकास

३९६. श्री बी० एन० राय : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि मन्त्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केले के विकास के लिये क्या कोई योजना विचाराधीन है।

(ख) यदि है, तो क्या यू० पी० में विशेषतः तराई में उसके लिये क्या कोई क्षेत्र चुना गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने केले पर अनुसंधान के लिये एक संगठित योजना मंजूर की है, और मद्रास में एक केन्द्रीय स्टेशन तथा बम्बई और पश्चिमी बंगाल में दो प्रादेशिक स्टेशन खोले हैं।

(ख) नहीं।

मुख्य गांव योजना

३९७. श्री वी० आर० चौधरी : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में १९५२-५३ वर्ष में मुख्य-गांव योजना के अधीन खोले गए केन्द्रों की संख्या क्या है ?

(ख) योजना की प्राक्कलित लागत क्या है ?

(ग) प्रत्येक राज्य में मुख्य गांव योजना पर कितना व्यय किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ग). एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या २१]।**

(ख) जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है प्राक्कलित लागत १९५२-५३ से १९५५-५६ वर्षों के लिए २९३.५३ लाख रुपए है।

कारवार, बेलगाम और रायचूर जिलों को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का निर्माण

३९८. श्री शिवमूर्ति स्वामी : (क) क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या करवार, बेलगाम और रायचूर जिले के

मुख्य नगरों को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक कुछ परिमाप किया गया है ?

(ख) यदि किया गया है तो सरकार उक्त रेलवे लाइन कब बनाना चाहती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख बन्दरगाहों में क्रेनें

३९९. श्री गणपति राम : क्या यातायात मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के सभी प्रमुख बन्दरगाहों में प्रतिष्ठापित क्रेनों की कुल संख्या और उनकी डॉक वार संख्या;

(ख) उन में से कितनी बिजली वाली पोर्टल या अर्द्धपोर्टल क्रेनें हैं और कितने तेल उठाने वाली ;

(ग) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के डाकों में प्रतिष्ठापित नई बिजली वाली क्रेनों की संख्या और प्रत्येक की कुल लागत; तथा

(घ) उन में से कितनी स्थानीय हैं, और कितनी आयातित और प्रत्येक के दाम ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) से (घ)। प्रमुख बन्दरगाह अधिकारियों से अपेक्षित सूचना प्रदान करने के लिये कहा गया है और उनके उत्तर आने पर एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाएगा।

बनारस और लखनऊ के रेलवे स्टेशन

४००. श्री रघुनाथ सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) रेल विभाग को १९५२ में बनारस और लखनऊ के रेलवे स्टेशनों पर टिकटों की बिक्री से कितनी आय हुई ;

(ख) उसी अवधि में इन स्टेशनों बीच एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक क्रमशः कितने यात्री आये गये; और

(ग) रेल विभाग ने इन स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं के लिये क्रमशः कुल कितना व्यय किया ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : जानकारी इकट्ठी की जा रही और तैयार होने पर सदन पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिपुरा में मजदूर संघ

४०१. श्री बीरेन दत्त : क्या श्रम मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में कितने मजदूर संघ पंजीबद्ध हो चुके हैं ?

(ख) इन पंजीबद्ध संघों की कुल सदस्य संख्या क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) ३।

(ख) ११४।

रेलवे इंजन निर्माता उपक्रम

४०२. ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर : क्या रेल मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में रेलवे इंजन बनाने वाली निजी फर्मों के नाम और संख्या;

(ख) इन उपक्रमों द्वारा उत्पादन शुरू करने से अब तक बनाए गए इंजनों की संख्या;

(ग) इन उपक्रमों की उत्पादन-क्षमता; तथा

(घ) क्या उनकी उत्पादन-क्षमता और वास्तविक उत्पादन में कभी अन्तर रहा और यदि रहा है तो उसके कारण ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) केवल एक निजी उपक्रम—टाटा लोकोमोटिव इंजीनियरिंग कम्पनी—देश में रेलवे-इंजन बना रहा है।

(ख) १९५१-५२ में १० और १९५२-५३ में (३१-१-५३ तक) २५।

(ग) फर्म के साथ किए गए समझौते में यह उपबन्ध है कि कारखाने का उत्पादन पूरी तरह जम जाने पर सरकार प्रति वर्ष कम से कम ५० इंजन और ५० अतिरिक्त बौयलर खरीदेगी।

(घ) चूंकि उत्पादन अभी विकास-अवस्था में ही है, फर्म अभी पूर्ण उत्पादन-क्षमता तक नहीं पहुंच सकी है।

बुधवार,
४ मार्च, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

१०६९

लोक सभा

बुधवार, ४ मार्च, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

३-७ म० प०

पटल पर रखे गये पत्र

बिलासपुर के मोटर-गाड़ी नियम

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): मैं मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अन्तर्गत निम्न प्रत्येक अधिसूचना की प्रतिलिपि सदन पटल पर रखता हूं।

(१) अधिसूचना संख्या टी ए (ए डी) २५/७८/५२, दिनांक १८ जुलाई, १९५२; तथा

(२) अधिसूचना संख्या टी ए (ए डी) २५।१४०।५१, दिनांक ६ जुलाई, १९५१ जिस में बिलासपुर के मोटर-गाड़ी नियम दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखे गए हैं। देखिए संख्या एस–१०/५३]

सामान्य आयव्ययक—सामान्य-चर्चा

उपाध्यक्ष महोदय : नियम १८४ (३) के अन्तर्गत, सिवाय वित्त मंत्री महोदय के

१०७०

विषय में, मैं प्रत्येक सदस्य के सम्बन्ध मे १५ मिनट का समय निश्चित करता हूं।

नए सदस्यों के लाभार्थ मैं बतलाना चाहता हूं कि वित्त विधेयक पर चर्चा के समय आम शिकायतों को प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु नियम १८४ (१) के अन्तर्गत सदन आयव्ययक पर समूचे रूप से चर्चा कर सकता है अथवा इस में विहित किसी सिद्धान्त के प्रश्न पर चर्चा कर सकता है। आयव्ययक की प्रत्येक मद पर खर्चे को घटाने बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है तथा इस में प्रत्येक मद के महत्व का विचार रखा जा सकता है।

डा० एस० पी० मुकर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : देश के प्रशासन के सम्बन्ध में परस्पर मतभेद होते हुए भी मैं कह सकता हूं कि वित्त मंत्री महोदय के आशावाद में देश की भलाई है। हमारे देश की वित्तीय स्थिति संतोषजनक है। हमारे देश की भौगोलिक स्थिति, विस्तीर्ण आर्थिक साधन और जनशक्ति इस प्रकार की है कि हम किसी अंतर्राष्ट्रीय लाभ प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। इस प्रश्न के सम्बन्ध में किस प्रकार जनता तथा सरकार इन साधनों को वास्तविक प्रयोग में ला कर देश की समृद्धि को बढ़ाती है कोई निर्णय भारत की भावी सन्तान ही कर सकती है।

आयव्ययक में ४२ लाख रुपय की बचत दिखाई गई है, परन्तु इसमें १८ करोड़

[डा० एस० पी० मुकर्जी]

रुपया वह भी सम्मिलित है जिसे वित्त मंत्री पाकिस्तान से प्राप्त करने की आशा करते हैं। म समझता हूं जब तक पाकिस्तान के प्रति हमारी नीति में परिवर्तन नहीं होता, इस १८ करोड़ रुपये के प्राप्त होने की आशा नहीं हो सकती । दुर्भाग्य से, काश्मीर का मामला ही या नहरों के पानी का, पहल सदैव पाकिस्तान की रही है । चलते चलते मैं उन चार करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों का भी वर्णन कर दूं जो भारतीय नागरिक तथा भारतीय संस्थायें पाकिस्तान में छोड़ आई ह । थोड़े से परिश्रम के परिणामस्वरूप हम इन प्रतिभूतियों को लौटा सकते हैं तथा विभाजन से पीड़ित व्यक्तियों और संस्थाओं की कुछ सहायता कर सकते हैं ।

रक्षा विभाग के आयव्ययक पर केन्द्र के व्यय का ५० प्रतिशत भाग व्यय किया जा रहा है। यह व्यय दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। फिर भी इस ओर के प्रत्येक सदस्य का मत है कि इस सम्बन्ध में कोई खतरा मोल न लिया जाय। इसी में देश का भला है। हमें स्मरण रहना चाहिये कि संख्या इतना महत्वपूर्ण बात नहीं जितना कि किसी वस्तु के गुण होते हैं। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री श्री पटनायक के इस सुझाव पर विचार करें कि अन्य देशों की भांति हम अपने सैनिकों के फालतू समय का लाभ उठायें।

विकास उद्योगों के बारे में गति के मन्द होने से कुछ चिन्ता होती है । स्पष्ट है कि रक्षा के प्रबन्धों में अधिकतम प्राविधिक निपुणता तथा जानकारी की आवश्यकता रहती है । इस बारे में हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है तथा मैं समझता हूं कि इस बारे में बहुत कुछ किया जाना चाहिये ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिये बहुत कम धन की व्यवस्था की गई है छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में भी यही किया गया है । सामाजिक सेवाओं के लिये कम व्यवस्था का विषय भी खेद जनक है। शिक्षा के अभाव से हम योजना आयोग की सिफारिशों का भी पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे ।

पिछली बार मैं ने वित्त मंत्री महोदय से योजना आयोग की सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में आय तथा व्यय संबंधी संक्षिप्त विवरण के देने की प्रार्थना की थी। हमने सारे देश के एक ही आधार पर विकास का सिद्धान्त स्वीकार किया हुआ है । परन्तु हमारे लिये यह जानना सम्भव नहीं कि इस उद्देश्य को किस रीति से प्राप्त किया जायगा ।

वित्त आयोग की सिफारिशों से बंगाल तथा बम्बई को एक समान हानि पहुंची है। आयोग के सदस्यों का इस में कोई दोष नहीं है, उन्होंने कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए ८०′ प्रतिशत भाग जनसंख्या के आधार पर तथा २० प्रतिशत संग्रह के आधार पर निश्चित कर दिया है । यद्यपि हम उन की सिफारिशों से सहमत नहीं हैं फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि आयोग ने एक बड़े कठिन कर्त्तव्य का पालन किया है ।

योजना को बने दो वर्ष बीत चुके हैं । हम यह पूछ सकते हैं कि योजना आयोग की रिपोर्ट को ठीक ठीक किस प्रकार से कार्यान्वित किया जा रहा है ।

निजी क्षेत्र में १,४३२ करोड़ रु० के आगामी पांच वर्षों में व्यय करने का विचार किया गया है । परन्तु इस दिशा में पिछले दो वर्षों में की गई प्रगति के बारे में हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं है तथा न ही उद्योगों को फिर से चलाने तथा विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के बारे में ही हमें कुछ मालूम होता है।

सरकारी क्षेत्र में आय के पांच स्रोत गिने गये हैं जिन में से एक केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के राजस्व का अतिरेक है। अभी तक राज्यों के उपबन्ध आयव्ययकों में तो घाटा ही दिखाई पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों में इस स्रोत से कितना धन मिला है, अगले वर्ष में कितने धन के मिलने की आशा है तथा इस से सारी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

देश के अन्दर से ऋण लेने के बारे में भी हमारी आशायें पूरी नहीं हुई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यदि यह योजना असफल हो गई तो फिर क्या होगा ?

मैं करारोपण जांच आयोग की स्थापना का स्वागत करता हूं तथा मुझे पूर्ण आशा है कि डा० जान मथाई जो इस के सभापति हैं, अपने अनुभव तथा तटस्थ दृष्टिकोण से पूरा पूरा लाभ प्रदान करेंगे। हमें करों से बहुत अधिक राजस्व की प्राप्त की आशा नहीं करनी चाहिये।

विदेशों से अभी तक हमें उस राशि का केवल ८ प्रतिशत भाग ही ऋण रूप में मिल सका है, जिस की हमें अपनी विकास योजनाओं के लिये आवश्यकता है। अन्य व्यक्तियों की भांति मुझे विदेशों से ऋण लेने में कोई खतरा नहीं दिखाई देता। कुछ भी हो, यह राशि सारे व्यय का केवल ८ प्रतिशत भाग ही है। फिर भी इस में कुछ विचारणीय बातें अवश्य हैं। हमें सोचना है कि क्या युद्ध के छिड़ने तथा किसी और विषय परिस्थिति के उत्पन्न होने से हमें विदेशों से मशीनें आदि, जिनकी हमारी विकास योजनाओं में, आवश्यकता है, मिलती रहेंगी। दूसरा प्रश्न है कि क्या इस प्रकार की सहायता के बदले में हमें किसी गुट विशेष का साथ तो नहीं देना होगा ? यह ठीक है कि कोई व्यक्ति इस देश को बेचने का साहस नहीं कर सकता फिर भी इस का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत बुरा है। एक प्रश्न वित्त मंत्री महोदय से मुझे इन ऋणों सम्बन्धी सेवाओं के बारे में पूछना है। जब भुगतानों के शेष के सम्बन्ध में हमारी स्थिति अभी तक सन्तोषजनक नहीं समझी जा सकती तो क्या और अधिक भार डालने से जटिलताएं पैदा नहीं हो जायेंगी ?

घाटे के आयव्ययक का कुछ निश्चित शर्तों के अन्तर्गत तैयार करना बुरा नहीं है, परन्तु ऐसा करते समय हम एक निश्चित सीमा से आगे नहीं जा सकते। इस में भारी खतरे भी हैं जो देश को तबाह कर सकते हैं।

माननीय वित्त मंत्री को एक बात यह भी स्मरण रहनी चाहिये कि स्वेडन, जर्मनी तथा अमरीका जैसे घाटे के आयव्ययक वाले देशों की आर्थिक व्यवस्था हम से बहुत विभिन्न है। वहां पूंजी तथा सामान की कमी नहीं है केवल जन-शक्ति की कमी है। हमारे देश की स्थिति इस से बिल्कुल उलट है।

आज के पत्रों में भारत में व्यापार करने वाले विदेशी सार्थों को विशेष सुविधाओं के देने का समाचार छपा है। हमें सावधान रहना चाहिये कि ये सार्थ भारत के लिये कोई अहितकर कार्यवाही न कर सकें। आंकड़ों की जांच से पता लगता है कि इन सार्थों की उच्च प्रबन्धक समितियों में अब यूरोपियनों की संख्या वर्ष १९४७ से भी अधिक है मैं चाहता हूं कि परस्पर समझौते से या विधान द्वारा ऐसी रोक लगा दी जाय कि यूरोपियनों को केवल उन्हीं पदों पर नियुक्ति के लिये बुलाया जायगा जिन पद भारतीयों का नियुक्त करना सम्भव न हो। प्राविधिक नियुक्तियों के लिये उन्हें बुलाया जा सकता है। उस के लिये भी अवधि को निश्चित किया जाना चाहिये तथा उस बीच भारतीयों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।

[श्री एस० पी० मुकर्जी]

अमरीका से सहायता प्राप्त करने की एक शर्त यह जान पड़ती है कि सामूहिक परियोजनाओं के लिये अपेक्षित मशीनों आदि को उस देश से मंगाया जायेगा। यह बात हमारे अपने उद्योगों के हित में नहीं। जो वस्तु हमें अपने देश से मिल सकती है या थोड़े से प्रयत्न से बनाई जा सकती है, उस के लिये विदेशी सहायता पर निर्भर करना उचित नहीं है।

योजना आयोग के खर्चे पर आरम्भ से ही कोई नियंत्रण किया जाना चाहिये, वरन् बाद में ये आंक दुगने अथवा तिगुने हो जायेंगे। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि निर्माण-काल में स्थापित की गई संस्थाओं का इस काल की समाप्ति के बाद क्या होगा। किसी प्रकार से भी धन का व्यर्थ में नाश नहीं होने देना चाहिये। इस सम्बन्ध में निरन्तर लेखा परीक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये। लोक-लेखा समिति द्वारा इन संस्थाओं की बाद में जांच पड़ताल से कोई लाभ नहीं होगा।

वित्त मंत्री महोदय ने कर्मचारियों के प्रशिक्षण सम्बन्धी किसी व्यवस्था का वर्णन नहीं किया है। हमें आगामी दो तीन वर्षों में स्थापित की जाने वाली संस्थाओं को भारतीयों द्वारा ही चलाये जाने की व्यवस्था करनी चाहिये। हमें ऐसे प्रशासक तैयार करने चाहिये जो इन संस्थाओं को कारोबारी आधार पर चला सकें।

जहां तक कार्य में सफलता का सम्बन्ध है, इस आयव्ययक में बहुत से भ्रम पैदा करने वाली तथा विचित्र बातें देखने में आती हैं यदि सरकार के अनुसार खाद्य के सम्बन्ध में स्वावलम्बता प्राप्त हो गई तो यह एक बहुत बड़ी सफलता होगी। इसके साथ ही कुछ छोटे क्षत्रों में दुर्भिक्ष की सूचना है। राजस्थान महाराष्ट्र, दक्षिण भारत तथा पश्चिमी बंगाल के कुछ इलाकों में लोग भूख से पीड़ित हैं। ऐसा केवल खाद्य के अभाव के कारण ही नहीं अपितु लोगों के पास पैसा न होने के कारण भी है। यदि खाद्य की कमी का करण प्रशासन की त्रुटि है, तो इसकी अवश्य जांच होनी चाहिये।

निर्वाह-परिव्यय बहुत कम नहीं हुआ है, परन्तु वस्तुओं की दशा में कुछ सुधार है। मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों को भी कुछ अधिक सहायता नहीं मिल सकी है। थोड़ा वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की दशा को सुधारने के लिये अवश्य कुछ किया जाना चाहिये। वित्त मंत्री ने बेकारी तथा कम वेतन पाने का भी वर्णन किया है, परन्तु रिपोर्ट से हमें स्थिति का कुछ पता नहीं चलता। नौकरी दिलाने के दफ्तरों के आंकड़ों से प्रत्येक वर्ष ९० लाख व्यक्तियों को काम दिलाने की आशा बन्धती है। मैं जानना चाहता हूं कि पहले दो वर्षों में वास्तव में कितने व्यक्तियों को काम मिला तथा अगले वर्ष कितने व्यक्तियों को काम के मिलने की आशा है। बड़े बड़े उद्योगों की स्थिति चिन्ताजनक है। यदि आप ने वर्तमान उद्योगों को ही मिट जाने दिया तो विदेशी सहायता से कुछेक बड़े उद्योगों की यहां तहां स्थापना से क्या लाभ ?

आंध्र प्रान्त के बनाने के सम्बन्ध में किसी राजधानी के नाम का वर्णन नहीं किया गया है। इस से संकट और बढ़ने की आशंका है।

मैं केवल एक ही बात सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं और वह है जम्मू की परिस्थिति। वित्त मंत्री ने कहा है कि जब तक सरकार तथा जनता में पूरा समझौता न हो, सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी दशा में सरकार की बड़ी बड़ी योजनायें धरी की धरी रह जायंगी।

इस विचार से भी जम्मू की समस्या का कोई हल निकलना चाहिये। वहां के लोगों को कुछ आशंकायें हैं, उन का निवारण आवश्यक है। कुछ राजनैतिक आर्थिक तथा प्रशासन सम्बन्धी मामले उठाये गये हैं। उन पर अपने गुणावगुणों के आधार पर विचार करना होगा। यह एक खेद की बात है कि सरकार जनता के एक विभाग के मत पर ध्यान न दे तथा इस मामले को हल करने में हिचकिचाहट से काम ले। सख्ती करने से परस्पर द्वेष बढ़ेगा जिसे भविष्य में दबाया नहीं जा सकेगा। हम इस देश में समृद्धि लाना चाहते हैं तथा इस प्रकार की शासन व्यवस्था करना चाहते हैं जिस में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक मिल कर राष्ट्र की भलाई के काम कर सकें

यद्यपि और बहुत सी बातों पर आलोचना की जा सकती है, तो भी मैं ने आयव्ययक का केवल एक रुख आप के सामने रखा है वित्त मंत्री महोदय को इस पर उचित ध्यान देना चाहिये ताकि योजना आयोग की योजना को संतोषजनक ढंग से कार्यान्वित किया जा सके। अड़चनों के डालने से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। केवल सहयोग से ही देश में उचित वातावरण पैदा किया जा सकता है तथा सफलता प्राप्त की जा सकती है।

श्री महताब (कटक) : सामान्यतः वित्त मंत्री सारे आयव्ययक के मालिक होते हैं तथा देश की आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम को निश्चित करते हैं। परन्तु इस बार पहले से ही यह नीति योजना आयोग द्वारा निश्चित की गई है। अतएव हमें योजना आयोग की सिफारिशों पर विचार करना है। उक्त आयोग ने अपनी योजना बड़े परिश्रम के बाद तैयार की है। संसद् भी उसे बड़े सोच विचार के बाद स्वीकार कर चुकी है। अब हमें इस आयव्ययक पर योजना के दृष्टिकोण से विचार करना है।

सदन के कुछ माननीय सदस्यों को, जिन्हें योजना-निर्माण में रुचि है, जर्मनी, रूस तथा अमरीका में इस प्रकार की योजना के लिये अपनाये गये विशेष उपायों का पता है। हमारे वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं कि उन्हों ने एक सामान्य आयव्ययक में ही वित्तीय व्यवस्था करने की चेष्टा की है।

माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि अतिरिक्त उधार के लेने की रीति का फैसला केवल चालू वर्ष में ही किया जा सकता है। ऐसा करते समय दिन प्रति दिन की परिस्थिति को विचार में रखना होगा। मुझे विश्वास है कि ज्यूं ज्यूं योजना में प्रगति होती जायेगी, प्रशासन व्यवस्था को आयव्ययक की संकुचित व्यवस्था के अनुसार ढाला जायेगा।

मुझे संदेह है कि इस योजना की सफलता में राज्य अपना भाग दे सकेंगे या नहीं। काफी राज्य इस से पहले अपन घाटे के आयव्ययक को प्रस्तुत कर चुके हैं तथा नये करों के लगाने की अधिक गुंजाइश नहीं है। इस कारण मैं करारोपण जांच समिति की स्थापना का स्वागत करता हूं। वित्त आयोग ने अब के केन्द्रीय राजस्व के अवमूल्यन का नया ढंग अपनाया है। उस से अ-विकसित इलाकों में विश्वास पैदा हो गया है। निश्चय ही, भारत के कुछ भाग दूसरे भागों से कम विकसित हैं। मैं आशा करता हूं कि भावी वित्त आयोग इस विचार को और उन्नत करेगा तथा इन कम विकसित क्षेत्रों के विकसित करने में पूरा प्रयत्न करेगा।

श्री बी० दास (जाजपुर-क्योंझर) : पांच वर्ष बाद।

श्री महताब : कुछ मित्रों ने कहा है कि आयव्ययक से कोई उत्साह पैदा नहीं होता।

[श्री महताब]

स्वयं सर्व कल्याणकारी राज्य की धारणा ही एक शक्ति राज्य की धारणा के सामने अधिक उत्साहजनक नहीं है। भारत अपने उद्योगों के विकास में लगा है जबकि दूसरे देश युद्ध सामग्री के तैयार करने में जुटे हैं। हम ने एक पृथक मार्ग अपनाया है। यदि हम इस मूल अन्तर को समझ लें तो मेरे विचार से किसी को भी बड़े बड़े उद्योगों के बारे में व्यवस्था न करने से निराशा नहीं होगी।

किसी प्रजातन्त्रात्मक देश में सर्व कल्याणकारी राज्य को जनता के सहयोग पर निर्भर करना पड़ता है। अतएव मुझे माननीय मंत्री के इस कथन से पूरी सहमति है कि जनता के सहयोग को जो निदेश दिया जाये वह यथासम्भव ठीक हो तथा जनता भी सहयोग के लिये सदैव तैयार हो। यदि हम निरन्तर इस योजना की आलोचना में ही लगे रहे तो कुछ सफलता नहीं हो सकेगी। इस कारण सरकार से मेरा निवेदन है कि वह जनता के सभी भागों का सहयोग प्राप्त करने के सभी यत्न करे। अपने उतरदायित्व का अनुभव कर लेने से उत्साह आयगा। सरकार यह अनुभव करे कि जब तक प्रशासन के महत्वपूर्ण क्रमों पर जनता को साथ न लिया जाय, उस के सहयोग का प्राप्त करना कठिन हो जायेगा।

माननीय मंत्री के इस कथन से बहुत मतभेद प्रकट किया जायगा कि पिछले ९ मास में देश की आर्थिक उन्नति हुई है। यह ठीक हो सकता है कि उन्नति हमारी आशाओं के अनुसार न हो, परन्तु यह कहना कि उन्नति हुई ही नहीं, ग़लत है। हठधर्मी से ऐसा कहते रहने से जनता का साहस समाप्त हो जाता है तथा इस का राजनैतिक दलों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा अनुभव करने में स्वयं उन का अपना हित है कि कुछ न कुछ उन्नति हुई है—यद्यपि अधिक उन्नति का होना वांछनीय है। प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है, स्वयं मैं यह चाहता हूं तथा सरकार यह चाहती है कि और उन्नति हो।

वित्त मंत्री महोदय से यह सुन कर मुझे प्रसन्नता हुई कि थोक तथा फुटकर मूल्यों की सूची के तैयार करने में आंकड़ों के एकत्र करने के तरीके को वह भी त्रुटिपूर्ण समझते हैं। परिवर्तित परिस्थिति में सन् १९३९ को मूल वर्ष समझना ठीक नहीं है। विभाजन तथा अवमूल्यन से इस देश की आर्थिक स्थिति पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। १९३९ की अर्थ-व्यवस्था का आज की स्थिति से कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं चाहता हूं कि १९४९ या १९५० को मूल वर्ष समझा जाय क्योंकि इन्हीं वर्षों में ही देश की अर्थ-व्यवस्था ने कुछ स्थायी रूप ग्रहण किया था। विदेशी सहायता की सदन में तथा बाहर काफी तीव्र आलोचना की गई है तथा कई प्रकार के कारण बतलाये गये हैं। परन्तु एक दृष्टिकोण और भी है। हम जानते हैं कि युद्ध काल में मित्र राष्ट्रों ने इस देश की इच्छा के विरुद्ध अड्डा बनाया था। इन राष्ट्रों में अमरीका, रूस आदि सभी मित्र राष्ट्र थे। इस के फलस्वरूप भारत की सारी अर्थ-व्यवस्था बिगड़ गई तथा उसे अत्यन्त हानि पहुंची। हमें जो हानि भी हुई, उस का कारण और राष्ट्रों द्वारा यहां पर युद्ध की तैयारी का करना था। स्वतंत्रता प्राप्त होने पर हम उन राष्ट्रों से क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते थे, परन्तु भाग्यवश हमें शान्तिपूर्ण रीति से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। अब इस सहायता को, जो अमरीका आदि देश दे रहे हैं, उन पर नैतिक देन समझा जा सकता है। अमरीका ने विशेषत: उस देन को पूरा करने के अपने कर्त्तव्य का पालन किया

है । अतएव विदेशी सहायता के लेने में मुझे कोई आपत्तिजनक बात नजर नहीं आती ।

योजना आयोग ने छोटे उद्योगों के संरक्षण की सिफारिश की है, परन्तु आज के पत्रों में यह पढ़ कर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ कि आयात की नीति को कुछ ढीला कर दिया गया है तथा कपड़े के टुकड़ों के आयात की अनुमति भी दे दी गई है । इस से हथकर्घे तथा किसी और घरेलू उद्योग का विकास करना कठिन है । मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल की जाये ।

छोटे तथा ग्राम उद्योगों के विकास का अर्थ वास्तव में उद्योगों का विकेन्द्रीकरण है । जैसा कि मैं ने कहा, देश के सारे भाग एक समान विकसित नहीं हैं । देश के सभी भागों को समृद्ध करने के लिये उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य को विस्तृत क्षेत्रों पर एक-समान बांटना होगा । ऐसा किये बिना एकाधिकार बने रहेंगे ।

मैं समझता हूं कि योजना आयोग की रिपोर्ट पर इस आधार पर आलोचना की जा सकती है कि उन्हों ने बेकारी के मामलों को उच्चतम प्राथमिकता नहीं दी है । केवल कृषि के विकास से समस्या का हल नहीं हो सकता । शिक्षा के बढ़ने से स्वयं कृषि क्षेत्र में भी बेकारी बढ़ जाती है । अतः हमें दो प्रकार से इसे हल करना चाहिये, एक तो कृषि के काम को इतना आकर्षक बनाना चाहिये कि शिक्षित लोग भी इस में जाना पसंद करें, दूसरे छोटे उद्योगों का इतना विस्तार किया जाय कि देश के सभी भागों में बेकार व्यक्तियों को काम मिल सके ।

डा० मुकर्जी ने शिक्षा के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था न करने की शिकायत की है । मेरी शिकायत धन की व्यवस्था न करने के बारे में इतनी नहीं है जितनी कि इस समस्या पर उचित ध्यान न देने के बारे में है । शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता सर्वत्र समझी जा रही है तथा यदि प्रत्येक राज्य को अपनी मनमानी करने दी गई तो यह दुर्भाग्य की बात होगी । मैं समझता हूं कि शिक्षा के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम, पुस्तकों आदि से ले कर ऊपर तक सुधार किया जाय ।

एक और मामला है जिस पर हमारे वित्त मंत्री, सरकार तथा सदन को विशेष ध्यान देना चाहिये तथा वह है अधिकारियों प्रशिक्षण का इस समय मैसूर के विश्वविद्यालय के सिवाय लोक प्रशासन का विषय और कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता । परिणाम यह है कि जो लोग आई० ए० एस० (भारतीय प्रशासन सेवा) में लिये जाते हैं, वे लोक प्रशासन की विद्या में कोरे होते हैं । सभी जानते हैं कि लोक-प्रशासन की स्थिति इस समय अधिकाधिक खराब होती जा रही है । हमें अधिकारियों के प्रशिक्षण पर अधिकतम ध्यान देना चाहिये । सामूहिक परियोजनाओं के सफल करने में लगे अधिकारियों के प्रशिक्षण के अलग प्रबन्ध होने चाहियें ।

मैं ने डा० मुखर्जी की जनता के सहयोग के बारे में कही गई बात को बड़े विशेष ध्यान से सुना है । उन की पत्रिका मुझे आज प्रातः ही मिली है तथा मैं अनुभव करता हूं कि जो तरीका उन्हों ने बतलाया है, उस में कुछ परिवर्तन होना चाहिये जिस से रचनात्मक कार्य के लिये देश में उचित वायुमंडल पैदा हो सके ।

श्री बंसल (झज्जर रिवाड़ी): आयव्ययक का अध्ययन करने के बाद पंच-वर्षीय योजना की समस्या की महानता से अत्यन्त आश्चर्य होता है । पांच वर्षों में २,०६९ करोड़ रु० की पूंजी को एकत्र करना है । वित्त मंत्री ने इस सम्बन्ध में कुछ वित्तीय साधनों का उल्लेख किया है । मैं चाहता था कि वह इन्हीं तक सीमित रहते ।

[श्री बंसल]

जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है, यह आयव्ययक योजना बनाने का आयव्ययक है। परन्तु जिस तरीके से इसे प्रस्तुत किया गया है, उस से यह योजना-निर्माण का आयव्ययक दिखाई नहीं देता। स्पष्टीकारक स्मृतिपत्र के अध्ययन से भी उस वास्तविक व्यय का पता नहीं चलता जिसकी पंचवर्षीय योजना की विभिन्न विकास परियोजनाओं में आवश्यकता पड़ेगी। विकास सम्बन्धी व्यय के बारे में दो आंकड़े दिये गये हैं। एक तो (२५३-३९) करोड़ रुपये का है तथा दूसरा २२५ करोड़ रुपये का। अब पता नहीं चलता कि दोनों में से कौन सा आंकड़ा ठीक है। इस से पहले के दो वर्षों के स्पष्टीकारक स्मृतिपत्र में यह त्रुटि दिखाई पड़ती है। लगभग ६३३ करोड़ रुपये का आंकड़ा प्राप्त होता है। परन्तु इस आंकड़े में से बहुत बड़ी राशि को घटाना होगा जिस का अनुमान लगाना कठिन है। परन्तु यदि हम इसे १०० करोड़ रु० ही समझ लें तो भारत सरकार को केन्द्रीय राजस्व से १०० करोड़ रु० की व्यवस्था करनी होगी। आयव्ययक में राज्यों द्वारा किये गये व्यय का कोई वर्णन नहीं है। बिना उस के स्थिति का ठीक ठीक पता नहीं चल सकता। वित्त मंत्री ने कहा है कि पिछले दो वर्षों में केन्द्र तथा राज्योंने मिला कर कुल ६०० करोड़ रुपये का व्यय किया होगा। मेरे विचार से यह वास्तविक आंकड़ा नहीं है। मेरे विचार से यह व्यय ५५० करोड़ रु० से अधिक नहीं है। वर्ष १९५३-५४ के लिये यह व्यय २९३ करोड़ से अधिक नहीं होगा। यदि इस में से १०२ करोड़ रुपये की वह राशि निकाल दी जाये जो हम ने राज्यों को ऋण तथा अग्रिम धन के रूप में दे रखी है तो हमें २०० करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होती है। राज्य सरकारों को इस में से १२० या १३० करोड़ रु० का व्यय करना होगा। अतएव अगले तीन वर्षों में केन्द्र तथा राज्यों को कुल ९०० या ९५० करोड़ रुपये का व्यय करना होगा। इस का अर्थ यह हुआ कि हमें कुल १,१०० करोड़ रु० की व्यवस्था करनी होगी। जितनी प्रगति हम इस कार्य में कर रहे हैं, उस से बहुत संदेह होता है कि क्या २,०६९ करोड़ रु० की राशि हमें मिल भी सकेगी। अतएव मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री केन्द्र तथा राज्यों द्वारा व्यय की जा रही राशियों पर पूरी देख रेख रखें ताकि केन्द्र और राज्यों के आलस्य से हमारी योजना अधूरी न रह जाय।

वित्त मंत्री के अनुसार, पिछले दो वर्षों में ८० करोड़ रु० को कागद मुद्रा से पूरा कर के व्यय किया गया है। रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा २१२ करोड़ रु० है। काग दमुद्रा लेखा के सम्बन्ध में १४० करोड़ रुपये और जोड़ दीजिये दो वर्ष १९५३-५४ के लिये हमें ३५२ करोड़ रुपये का आंकड़ा प्राप्त होगा। मेरे मित्रों ने २१२ करोड़ रुपये के बारे में स्थिति को गलत समझा है। यह राशि केन्द्र तथा राज्यों के राजस्व तथा प्रतिभूतियों से प्राप्त हुई है। कागद मुद्रा द्वारा व्यय की सीमा ११० करोड़ रुपय रखी गई है। यह कोई बहुत अधिक सीमा नहीं है। योजना में पांच वर्ष में २९० करोड़ रुपये को कागद मुद्रा द्वारा व्यय करने की प्रस्थापना की गई है। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिलाया है कि इस की तदर्थ प्रतिभूतियों द्वारा व्यवस्था का करना कोई आवश्यक नहीं। हो सकता है कि इस राशि को ऋण रूप से ले लिया जाय।

डा० श्यामा प्रसाद जी ने कहा है कि निर्वाह-परिव्यय विशेषतः कम नहीं हुआ है। परन्तु स्वयं कलकत्ता में यह ३८५ से गिर कर ३४६ पर आ गया है।

मुझे इस से विशेष आश्चर्य नहीं हुआ कि कुछ अच्छी विकास योजनाओं के लिये रखी गई राशियों का पूरा प्रयोग नहीं किया गया । इस्पात के संयन्त्र के लिये रखी राशि इस सम्बन्ध में एक उदाहरण है । इस दिशा में बहुत कम प्रगति की गई है । इसी प्रकार उद्योगों के लिये १०.९ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी । परन्तु १९५२-५३ में कुल १.९५ करोड़ रुपये का व्यय किया गया है । और भी कई उदाहरण सामने आते हैं । यह एक बहुत बुरी बात है, विशेषतः जब पंचवर्षीय योजना के पूरा करने का भार भारत सरकार के उत्पादन मंत्रालय पर हो । मेरी प्रार्थना है कि भारत सरकार निश्चित अनुसूची के अनुसार चले ।

जिस रीति से आयव्ययक तथा स्पष्टीकारक स्मृतिपत्र को प्रस्तुत किया गया है, उस में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता है । जनसाधारण इन्हें नहीं समझ सकता । मेरे मत से आंकड़ों को बड़े पुराने तरीके से अलग अलग किया है । कृषि के लिये केवल १८ लाख रु० की राशि रखी गई है, जबकि इस के लिये कई करोड़ की राशि रखी जानी चाहिये थी । बिजली के सम्बन्ध में भी यह दशा है । लेखा परीक्षा के विचार से यह सब कुछ ठीक हो सकता है, परन्तु जनसाधारण इसे नहीं समझ सकता । इन्हें इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति व्यय की मद तथा राशि को तुरन्त समझ सके । मेरा ठोस सुझाव यह है कि योजना आयोग को आयव्ययक के साथ एक श्वेत-पत्र भी संलग्न करना चाहिये जिस से योजना में की गई प्रगति तथा आयव्ययक के योजना से सम्बन्ध का पता चल सके । एक और पत्र वर्ष के मध्य में तैयार किया जाना चाहिये । जिस में केन्द्रीय तथा राज्यों के आयव्ययक पर योजना के दृष्टिकोण से समालोचना की गई हो । आयोग को एक अनुपूरक मांग भी प्रस्तुत करनी चाहिये जिस से अप्रयुक्त राशि को अगले उत्तम साधनों के अन्तर्गत प्रयोग में लाया जा सके । केवल ऐसा करने से हम योजना के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे । आयव्ययक के रूप तथा विषय-सूची आदि की फिर से जांच की जानी चाहिये जिस से यह कम जटिल हो जाये तथा अधिक लाभकारी सिद्ध हो सके ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : इस 'बातों की दूकान' अथवा इस 'गैस चैम्बर' में—जैसा कि दूसरे पक्ष के एक सदस्य ने कहा है . . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि इन शब्दों को मेरे ध्यान में नहीं लाया गया है । किसी सदस्य के लिये इन का प्रयोग करना एक बहुत गलत बात है । सब माननीय सदस्यों को इस सदन का आदर करना चाहिये । चाहे दूसरे देशों के संसद् कुछ भी कहें, हमें इन का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : : मैं आप के निर्णय को स्वीकार करता हूं । तथा खेद प्रकट करता हूं ।

माननीय मंत्री ने जो भाषण दिया है, वह बहुत स्पष्ट उत्साहहीन तथा पूर्णतया बेजान सा था । आप का मुझ से मतभेद हो सकता है, परन्तु मुझे तो वह ऐसा ही जान पड़ा था । मुझे अपने देश के भाग्य को इस प्रकार की भावनाओं के रखने वाले व्यक्तियों के हाथों देख कर शोक होता है । परन्तु दिल्ली में मिथ्या अभिमान ने कई बार नीचा देखा है ।

यह आयव्ययक रेलवे आयव्ययक की भांति 'पूर्ववत' ही है । यह धारणा केवल मेरी ही नहीं है । 'हिन्दू' मद्रास, 'टाइम्स आफ इंडिया' आदि ने ऐसे ही भाव व्यक्त किये हैं ।

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

ऐसा दिखाई देता है कि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कानपुर तथा अन्य स्थानों में 'टाटा डेफर्ड' शेयरों का मूल्य बहुत बढ़ जाने से कई प्रकार की जटिल समस्यायें उत्पन्न हुई । सरकार तथा वित्त मंत्री ने बड़े बड़े व्यापारियों के हितों की रक्षा का निश्चय कर रखा है । परन्तु मेरा विश्वास है कि हमारी जनता उन्हें इस प्रकार नहीं चलने देगी । हम ने इस आयव्ययक में अपने लोगों के हित को बिल्कुल तिलांजलि दे दी है । श्री महताब ने कुछ समय पहले सर्वकल्याण-कारी राज्य के बड़े गुण गाये हैं । परन्तु सारे आयव्ययक के मुश्किल से एक तिहाई भाग को सामाजिक सेवाओं पर व्यय करने की व्यवस्था की गई है ।

कांग्रेस के सत्तारूढ़ होने के समय से ले कर यदि यह देखना हो कि सरकार के मित्र कौन लोग हैं तो आप प्रत्यक्ष तथा उपरोक्ष करों के परस्पर अनुपात पर दृष्टि डालिये । मेरे पास १९४७-४८ से लेकर १९५३-५४ तक के आंकड़े हैं तथा १९४७-४८ में यह अनुपात ४० प्रतिशत दिखाई पड़ता है जबकि उपरोक्ष करों का कुल करों से प्राप्त राजस्व से ५३ प्रतिशत का अनुपात था १९५२-५३ में प्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व का कुल राजस्व से ३०.४ प्रतिशत अनुपात था तथा उपरोक्त करों का ६०.६ प्रतिशत । १९५३-५४ में ये अनुपात क्रमशः २८.३ तथा ७१.७ प्रतिशत हो गये थे ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

इस से पता चलता है कि जहां तक बड़े व्यापारियों का सम्बन्ध है, कर हल्का होता जा रहा है, जबकि जनसाधारण पर करों को क्रमशः अधिक किया जा रहा है ।

१९४८-४९ में हम ने देखा कि व्यापारिक लाभों अधिकर तथा निगम आय कर में कमी की गई । १९४९-५० में पूंजी लाभ करों को बिल्कुल हटा दिया गया । १९५०-५१ में व्यापारिक लाभों पर करों की दरों को और भी कम कर दिया गया । इस के विपरीत जनसाधारण पर उपरोक्त करों को न केवल बढ़ा ही दिया गया, बल्कि रेल के भाड़े टिकट, लिफाफों आदि की दरों को रीति पूर्ण बढ़ाया गया ।

१९४८-४९ में कुल आयव्ययक २५० करोड़ रुपये का था । उस की तुलना पर अब ४०० करोड़ रुपये का आयव्ययक बना है । मैं जानना चाहता हूं कि इस अधिक कर राशि का जनसाधारण को क्या लाभ पहुंचने वाला है ।

रक्षा आयव्ययक भी क्रमशः बढ़ता चला गया है । वर्ष १९४८-४९ के १४६ करोड़ रुपये से बढ़ कर अब यह २०० करोड़ रुपये हो गया है ।

इसी प्रकार करों के एकत्र करने का खर्च ७.७ करोड़ रुपये से बढ़ कर २८.३९ करोड़ रुपये तक जा पहुंचा है ।

कुछ ही दिन पहिले हम ने पत्रों में चीन का हाल पढ़ा है । चीन द्वारा कोरिया युद्ध में किसी प्रकार से भाग लेने पर भी वहां की सरकार आयव्ययक का ५९.२४ करोड़ रुपये लोगों की आर्थिक अवस्था सुधारने पर खर्च कर रही है तथा केवल २२.३८ प्रतिशत भाग का रक्षा पर व्यय किया जा रहा है ।

स्वभावतः हमें अपनी सेना तथा सैनिकों पर गर्व है । परन्तु हमारी सेना का सामान वही पुराना चला आता है । हमें टूटी फूटी मशीनों के लिये ब्रिटेन तथा अमरीका पर निर्भर करना पड़ता है । हमारे जंगी जहाजों के बेड़े में वे जहाज हैं जिन्हें दूसरे विश्वयुद्ध

के बाद तोड़ दिया जाने वाला है। अपने रक्षा उद्योग का हम अभी तक कोई विकास नहीं कर पाये हैं। 'ईस्टर्न इकोनोमिस्ट' के अनुसार हम इस सम्बन्ध में विदेशों पर पहले से भी अधिक निर्भर करते हैं।

सेना का हाल भी वैसा ही है। हमारे डिवीज़नों तथा दस्तों में वह जातीय विभेद नज़र आता है। जे० सी० ओ० के बारे में वनोमहोत्सव के सम्बन्ध में अपने कर्त्तव्य का पालन न करने पर एक विचित्र आदेश जारी किया गया है जिसमें अपने वृक्षों की रक्षा न करने की अवस्था में उन से मकानों को खाली कराने तथा उन के परिवारों को घर भेज देने की धमकी दी गई है। परन्तु ऐसा विभेद केवल जे० सी० ओ० के साथ ही नहीं किया जाता, सभी के साथ किया जाता है। वन महोत्सव एक अच्छी चीज़ है, परन्तु इस प्रकार से उस का करना वान्छनीय नहीं है।

श्री बंसल डा० एस० पी० मुकर्जी से सहमत हैं कि मज़दूरों के निर्वाह परिव्यय में विशेष कमी नहीं हुई। परन्तु यदि आप अपने लोगों के सामान्य जीवनस्तर को देखें तथा इस की तुलना उस स्तर से करें जिस की हम सब आशा करते हैं तो मैं कहूंगा कि कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में मैं आप को 'इकानोमिस्ट' के गणराज्य अंक से आंकड़े बतलाना चाहता हूं। हम देखते हैं कि अन्तिम वर्ष नवम्बर, १९५२ तक के काल में निर्वाह-परिव्यय इस प्रकार से है : बम्बई ३३०, कलकत्ता ३५७ मद्रास ३३५; कानपुर ४५९ तथा दिल्ली में ३७४ इन आंकड़ों से तो वास्तव में चिन्ता पैदा हो जाती है। निश्चय ही हम निर्वाह-परिव्यय के बारे में बहुत अधिक आत्म-विश्वास का अनुभव नहीं कर सकते तथा सुधार के बारे में दिखावे के आंकड़ों से भ्रम में नहीं फंस सकते।

वित्त मंत्री ने कांग्रेस के छः वर्ष के प्रशासन की त्रुटियों को छिपाने के लिये बहुत रमणीय भाषण दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस उल्लेखनीय सुधार का वर्णन किया गया है। यह एक विचित्र जाल है जिसे स्वयं सदन में ही तोड़ दिया जाना चाहिये। उद्योगों में काम आने वाले कच्चे माल के थोक मूल्यों का आंकड़ा जून १९५१ में ६८८ था तथा जनवरी १९५२ में यह कम होते होते ५८० पर आ गया। फरवरी मार्च की मन्दी में यह ४२४ हो गया तथा दिसम्बर १९५२ में यह ४२१ हो गया। इस के विपरीत तैयार वस्तुओं के थोक मूल्यों का आंकड़ा जून १९५१ में ४०५.६ था तथा जनवरी, १९५२ में ४००.९ पर आ गया। अब जहां कच्चे माल के थोक मूल्यों में जून, १९५१ से ले कर २७ प्रतिशत कमी हुई, वहां तैयार वस्तुओं के थोक मूल्यों में दिसम्बर, १९५२ में १९५१ की तुलना पर ९ प्रतिशत कमी हुई तथा जनवरी, १९५२ की तुलना में ८ प्रतिशत कमी हुई।

स्पष्ट है कि कपास, गेहूं आदि को अपने कठोर परिश्रम से उगाने वाले किसानों को तैयार वस्तुओं के एकाधिकार रखने वालों से ३९ प्रतिशत कम दाम मिलते हैं। मैं इसे लूट समझता हूं चाहे वित्त मंत्री इसे कम स्तर पर मूल्यों का स्थिरीकरण ही क्यों न कहें।

मंत्री महोदय ने उत्पादन में हुई वृद्धि का वर्णन भी किया है। उन के अनुसार मिलों ने ४६,००० लाख गज़ कपड़ा तैयार किया है तथा वह समझते हैं कि यह स्तर विदेशी मण्डियों में मांग के बने रहने से ही स्थिर हो सकेगा। अब उन की मांग केवल १०,००० लाख गज़ कपड़ा है। इस का अर्थ यह हुआ कि केवल इस अवस्था में हमारा कपड़ा उद्योग देश के अपने हित में कुछ कर सकता है, वरन् नहीं।

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

खाद्य परिस्थिति का भी वर्णन किया गया है । वित्त मंत्री को महाराष्ट्र निवासी होने से देश के कुछ भागों में दुर्भिक्ष का पता ही होगा । उन्हों ने दुर्भिक्ष की अवस्था देख कर संसद् में एक वक्तव्य भी दिया था जो प्रेस में छप चुका है । उन्हों ने तो चेतावनी तक दे दी थी तथा कह दिया था कि 'हो सकता है कि यह प्रगति भविष्य में न बनी रहे' । चीनी के उत्पादन में तीन लाख टन से अधिक कमी होने की आशा की जा रही है । कुछेक और उद्योगों का भी यही हाल है । बेकारी भी बढ़ती जा रही है । नौकरी दिलाने के दफ्तरों द्वारा दिये गये आंकड़ों से इस बात की पुष्टि हो जाती है । देश में इंजीनियरी तथा डाक्टरी पास लोग मारे मारे फिर रहे हैं, परन्तु उन्हें नौकरी नहीं मिलती है । इस में सन्देह नहीं कि बेकारी की समस्या दिन प्रति दिन खतरनाक रूप धारण करती जा रही है ।

यह सब कुछ होते हुए भी कल्याणकारी राज्य का राग निशदिन अलापा जा रहा है ।

वित्त मंत्री ने उस हानि का वर्णन नहीं किया है जो साम्राज्यवादी हितों से जुटने के कारण हमारे वैदेशिक व्यापार को पहुंच रही है । नवम्बर, १९५२ को समाप्त होने वाले ग्यारह महीनों में आयात की निर्यात पर १७० करोड़ रुपये की वृद्धि रही है । माननीय मंत्री ने इस का कारण ऋण की सुविधाओं का कम कर दिया जाना तथा कुछ कच्चे माल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी का होना बताया है । मेरा कहना यह है कि साम्राज्यवादियों ने हमें अपनी वस्तुओं तथा उद्योगों में काम आने वाले कच्चे माल को बहुत कम मूल्यों पर बेचने के लिये विवश किया, परन्तु कपास तथा गेहूं के हम से मुंह मांगे दाम लिये ।

भविष्य के बारे में उन्हों ने कहा "कि मेरे विचार से आने वाले छः महीने इतने अच्छे नहीं रहेंगे जितना कि १९५२ का वर्ष था ।" ऐसा होते हुए भी हमारी सरकार चीन रूस आदि देशों से व्यापार की सम्भावनाओं की खोज करना नहीं चाहती ।

इस वर्ष आयात किये गये अन्न के बारे में किसी वित्तीय सहायता की व्यवस्था नहीं की गई है । यह स्वीकार किया जा चुका है कि अमरीका आदि देश गेहूं के अधिक दाम मांग रहे हैं । तथा चावल पर कम से कम दस प्रतिशत अधिक दाम देने पड़ेंगे । हमें चाहिये कि वास्तविक स्थिति का सामना करें तथा कहीं बम्बई के मजदूरों द्वारा विवश कर दिये जाने पर ही वित्तीय सहायता न दें ।

वित्त मंत्री ने पाकिस्तान से दो राशियों के वसूल करने का श्रेय लिया है । मैं नहीं समझ पाता कि पिछले वर्ष इस १८ करोड़ रुपये की राशि को किस लेखा में लिया गया था ।

इस के बाद उन्हों ने वाह्य व्यापार, विशेषतः निर्यात के बारे में भविष्य को निराशाजनक बतलाया है । जो बात मैं शीघ्रतापूर्ण आप से निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि जनसाधारण को तो विवश कर के कर वसूल किये जाते हैं, परन्तु उस का लाभ उन एकाधिकार वाले व्यापारियों को नाना प्रकार की रियायतों के रूप में दे दिया जाता है : ये व्यापार जन हित के विरुद्ध होते हैं । वास्तव में ये व्यापार दूसरी कम्पनियों आदि के शेयर खरीद कर कई प्रकार का लाभ उठाते हैं ।

तथाकथित बुनियादी तथा सामाजिक शिक्षा के लिये केवल २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इस के अतिरिक्त

माननीय मंत्री कह सकते हैं कि उन के आय-व्ययक का सब से महत्वपूर्ण भाग पूंजी आय-व्ययक है जिसे पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं को सामने रखते हुए तैयार किया गया है। परन्तु इस सम्बन्ध में कुल राशि २०८ करोड़ रुपये रखी गई है जिस में से १३२ करोड़ रुपये राज्यों को ऋण के रूप में दिये जायेंगे ।

इस में कुछ और त्रुटियां भी हैं। हम देखते हैं कि कुल पांच वर्षों में २०६९ रु० की व्यवस्था की गई है, परन्तु अब तक केवल १०३१ करोड़ रुपये का व्यय किया गया है जबकि औसत से यह व्यय १२४२ करोड़ रु० होना चाहिये । इस से भविष्य कुछ अच्छा नहीं जान पड़ता है। बचत की छोटी छोटी राशियों को १३५ करोड़ रुपया दिखाया गया है जबकि योजना के अन्तर्गत २६० करोड़ रुपये की आशा की गई है। कठिनाई यह है कि आप योजना निर्माण का कार्य उचित ढंग से नहीं कर रहे हैं। आप मुद्रा-स्फीति को वश में करने के लिये नफ़ेखोर पर नियंत्रण नहीं करते हैं। यदि आप सचमुच ही इस योजना को सफल देखना चाहते हैं तथा इस में जनता के पूरें सहयोग को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप को अपने काम करने के ढंग को बदलना होगा। करोड़ों रुपये विदेशी कम्पनियों को माल के लिये दिये जा रहे हैं। हम उन के विरुद्ध इतनी तेज़ी से कार्यवाही नहीं कर रहे हैं जितनी तेज़ी से कि हमें करनी चाहिये ।

सार्वजनिक ऋण पर हम प्रतिवर्ष ९ करोड़ रुपये ब्याज के रूप में दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में मैं ९ नवम्बर १९५१ के 'ईस्टर्न इकोनोमिस्ट' का हवाला ही देना चाहता हूं। एक लेख में उस पत्र ने लिखा है कि स्वतन्त्रता से पहले हमारे राजनीतिक बहुत से सार्वजनिक ऋणों के उचित होने पर आपत्ति करते थे परन्तु स्वतन्त्रता के बाद इन ऋणों के रद्द करने की बात तो एक ओर रही, उन्हें देश का दायित्व विचार किया जा रहा है। हम इन ऋणों पर ९ करोड़ रुपये का ब्याज निरन्तर देते जा रहे हैं तथा इस ब्याज के बढ़ने की सम्भावना है क्योंकि विश्व बैंक ब्याज की दर को बढ़ा रहा है ।

यह है इस आयव्ययक का वास्तविक रूप। हम ने आवश्यकता से अधिक संख्या में विदेशी विशेषज्ञ रख छोड़े हैं। हमारे देश में भी जगदीश बोस, सी० वी० रमन तथा पी० सी० रे जैसे विख्यात वैज्ञानिक हुए हैं, परन्तु हम उन्हें कोई सहायता नहीं देते हैं तथा विदेशी विशेषज्ञों के पीछे दौड़े फिरते हैं ।

अन्त में मेरा निवेदन है कि हमें बुद्धिमत्ता-पूर्ण कामकरना चाहिये । मुझे वे दिन याद आते हैं जब महात्मा गांधी स्वतन्त्रता के संग्राम में हमारा नेतृत्व करते थे । यह उन दिनों की बात है जब वह सचमुच ही हमारे देश के गौरव का प्रतीक थे । उन दिनों साबरमती आश्रम में प्रत्येक प्रातः यह श्लोक पढ़ा जाता था ।

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम्
कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्

जिसका अर्थ यह है कि मुझे स्वर्ग या साम्राज्य की इच्छा नहीं, मैं केवल लोगों के दुःखों का निवारण चाहता हूं। परन्तु आज ये 'छोटे व्यक्ति' क्या कर रहे हैं ? मैं ने उन्हें 'छोटे' शब्द से पुकारा है, स्थिति यही है क्योंकि यदि ऐसा न होता तो वे बिल्कुल और तरह के काम करते तथा यह आयव्ययक इस प्रकार का आयव्ययक न होता, बल्कि इस का रूप किसी और प्रकार का होता ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : माननीय मंत्री ने कहा है कि यह आयव्ययक पंचवर्षीय योजना के विचार से तैयार किया गया है। स्वभावतः हम जानना चाहते हैं कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक इस दिशा

[श्री झुनझुनवाला]

में क्या प्रगति की गई है । इस योजना को यथार्थवाद पर आधारित बतलाया गया है तथा राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सर्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना को हमारा ध्येय बतलाया है जिस में प्रत्येक व्यक्ति को लाभ तथा ज़िम्मेवारी में एक जैसा भाग लेना होगा । इस दृष्टिकोण से देखा जाय तो योजना कसौटी पर पूरी नहीं उतरती । इस योजना के सफल हो जाने पर भी हमारे बहुत से लोग बिना कपड़े, खुराक तथा मकान के रह जायेंगे । कहा गया है कि २५ वर्ष के बाद हमारी राष्ट्रीय आय दुगुनी हो जायगी, परन्तु देखना है कि हमारी राष्ट्रीय आय है कितनी । अतः केवल राष्ट्रीय आय से ही यह पता नहीं चल सकता कि हमारे देश का कितना विकास हुआ है तथा प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की किस सीमा तक पूर्ति हुई है ।

पंचवर्षीय योजना के बारे में बड़ी बड़ी विद्वता की बातें कही गई हैं परन्तु जो बात मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि इस से हमारे देश की जनता को कितना लाभ पहुंचा है या पहुंचने वाला है तथा किस सीमा तक हमारी जनता को कपड़ा तथा खुराक मिल सकेगी । हम यह जानने के लिये उत्सुक हैं कि यह ध्येय कब पूरा हो सकेगा । मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति काम पर लगे, परन्तु मैं चाहता हूं कि हमारे देशवासियों की बहुत बड़ी संख्या को काम अवश्य मिले : इस समस्या पर उन्हें सब से अधिक ध्यान देना चाहिये तथा समय की एक सीमा को निश्चित कर देना चाहिये जिस में आप लोगों की एक बहुत बड़ी संख्या को रोटी कपड़ा आदि देने का संकल्प करें । ऐसा जान पड़ता है कि हम ने अपने उन कई लाख व्यक्तियों की ओर से आंखें बन्द कर ली हैंजन्हें न तो पेट भर कर खाना मिलता है तथा न ही तन ढकने को कपड़ा । खाने पीने को रहने दीजिये, काम का मिलना जीवन के लिये वैसे भी ज़रूरी है ।

श्रीमान्, हमारे प्रधान मंत्री ने बाढ़ तथा दुर्भिक्ष के दिनों में दर्भंगा ज़िले का दौरा किया है तथा अपनी आंखों से वहां का हाल देखा है । एक ग्राम में मैं ने एक परिवार के दस सदस्यों को देखा है जो सारे के सारे नंगे थे । उन के तीन या चार बच्चे चेचक के रोग से पीड़ित थे । अधिक विस्तार में न जाते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हमें लोगों को काम पर लगाने की कोई योजना नहीं मिलती तो हमें राष्ट्रपिता के कार्यक्रम को आज़माना चाहिये । कहा गया है कि टैक्नीकल विकास के लिये धन अलग रख दिया गया है जिसे ग्राम तथा घरेलू उद्योगों के अनुसन्धान के काम में लाया जायगा । यह एक बहुत अच्छी बात है, परन्तु इस सम्बन्ध में हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिये । चिरकाल से हम विदेशियों के अधीन रहे हैं जिस से हमारे लोग अपने प्राचीन कामों को भूल गये हैं । आपको पता ही है कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने हमारे सब से अच्छे कताई करने वालों के हाथ काट दिये थे । अतः केवल खादी बोर्ड के स्थापित कर देने से ही काम नहीं चलेगा । हमें लोगों को तत्काल काम देने के प्रबन्ध करने चाहियें तथा उन की बनी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिये, चाहे उन की कीमत अधिक ही क्यों न हो या वे वस्तुयें घटिया प्रकार की ही क्यों न हों । दिखलावे के कामों से कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते । यदि आप वास्तव में ग्राम तथा घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप को कुछ क्रान्तिकारी उपाय करने होंगे । दूसरी वस्तुओं की तुलना में हमें अपनी वस्तुओं को अधिक पसंद करना चाहिये । ऐसा कहते रहने से कोई उन्नति नहीं हो सकेगी

कि सेना के लिये यह वस्तुयें उपयुक्त नहीं हैं। बेकारी की समस्या एक गम्भीर समस्या है तथा इस से न केवल रोटी ही नहीं मिलती, बल्कि मानसिक कष्ट रहता है।

समय बहुत थोड़ा है। मैं एक ही बात पर जोर देना चाहता हूं। तरीका कुछ भी हो, पंचवर्षीय योजना में सरकार को रोजगार के सवाल को सर्वोपरिता देनी चाहिये। यदि उन के पास कोई योजना नहीं तो वर्ष १९२० की योजना के अनुसार काम करना चाहिये। यदि हम वास्तव में अपने ग्राम तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें दूसरी वस्तुओं की तुलना में उनकी बनी वस्तुओं को अधिक पसंद करते हुए उन का प्रयोग करना होगा।

श्री मूलचन्द दुबे (जिला फर्रुखाबाद—उत्तर) : मैं माननीय मंत्री को इस आयव्ययक के प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूं। यह एक बहुत अच्छा तथा सन्तोषजनक आयव्ययक है। चालू वर्ष में व्यय के आंक राजस्व या आय से कई करोड़ रुपये अधिक हैं। इस से यह आशा होती थी कि मंत्री महोदय आय-कर को यथापूर्व ही रहने देंगे, परन्तु उन्हों ने मध्यम वर्ग के लोगों के लिये भी सहायता की व्यवस्था की है। आयात व्यापार में उन्होंने विलास वस्तुओं पर शुल्क को कम कर दिया है। पटसन के बोरों पर निर्यात शुल्क को कम कर दिया गया है। इस से हमारा निर्यात व्यापार बहुत बढ़ जायेगा।

प्रश्न उठाया गया है कि आयव्ययक में सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को काम देने की व्यवस्था नहीं की गई है। बेकारी के दूर करने का एक आज़माया हुआ तरीका यह है कि या तो बड़े बड़े उद्योग धंधे चलाये जायें या देश के उद्योगों के विकास में क्रमशः सहायता दी जाये। परन्तु स्वयं बड़े उद्योगों के चलाने से भी एक प्रकार से बेकारी बढ़ती है। अतः किसी दूसरे तरीके की खोज करनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी नदी घाटी योजनायें चल रही हैं तथा सामूहिक परियोजनायें भी चालू हैं। एकमात्र यही तरीके हैं जिन से बेकारी को दूर किया जा सकता है।

मेरे पूर्ववक्ता ने खादी के तैयार करने पर जोर दिया है। इस से निजी समस्या का कुछ हल तो हो सकता है, परन्तु देश की समस्या का हल नहीं हो सकता। देश के सामने केवल कपड़े की समस्या ही नहीं, बल्कि खुराक, उद्योगों, मशीनों तथा रक्षा के लिये अपेक्षित सामान की भी समस्यायें हैं। सरकार को टैक्नीकल तथा दूसरी योग्यताओं के रखने वाले व्यक्तियों के बारे में प्रत्येक ग्राम में आंकड़ों को एकत्र करना चाहिये। इस से बहुत सी समस्याओं के हल होने की सम्भावना हो सकती है। लोगों को फालतू समय में से कुछ समय काम पर लगाने से भी समस्या का कुछ हल हो जायेगा। जब तक हम अपनी जन-शक्ति के प्रयोग की कोई योजना नहीं बनाते, खादि आदि से देश की सारी समस्या का हल नहीं हो सकता।

योजना आयोग ने योजना के तैयार करने पर बहुत परिश्रम किया है। मैं अनुभव करता हूं कि योजना को पूरा किया जा रहा है। दामोदर घाटी निगम में कम से कम एक बांध तो तैयार हो चुका है। दूसरी नदी घाटी योजनाओं के काम में प्रगति हो रही है। हमें स्मरण रहना चाहिये कि ये योजनायें संसार की सब से बड़ी योजनायें हैं। मैं समझता हूं कि हम योजना के अन्तर्गत काम कर रहे हैं तथा समस्त योजनाओं में उचित प्रगति हो रही है।

बड़े उद्योगों में भी हम ने पर्याप्त प्रगति की है तथा हम ऐसी वस्तुयें बनाने लगे हैं जो हमने पहले कभी नहीं बनाई थीं। छोटे

[श्री मूलचन्द दुबे]

उद्योगों में भी पहले से प्रगति की जा रही है। निश्चय ही हम अधिक उत्पादन कर रहे हैं तथा हम बेकारी की समस्या का हल कर रहे हैं।

यदि पंचवर्षीय योजना से लोगों में उत्साह पैदा नहीं हुआ तो इस का कारण यह है कि उन में पर्याप्त प्रचार से उन्हें यह समझाया नहीं गया है कि हम क्या करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक ग्राम में हमें यही अनुभव प्राप्त हुआ। जब तक हम ने एक सार्वजनिक सभा में लोगों को योजना से होने वाले लाभ नहीं समझाए, उन्हों ने काम में हमारा साथ नहीं दिया था। मेरा विचार है कि लोगों में उत्साह पैदा करने से पहले यह जरूरी है कि आप अपने में उत्साह पैदा करें। हमारा ग्रामीण इतना साधारण नहीं है। यदि उसे पता चल जाय कि उसे अच्छा बीज, पानी की काफी मात्रा, अच्छी खाद आदि किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है तो उत्साह अपने आप आयगा। सामूहिक परियोजनाओं के बारे में भी यह बात ठीक बैठती है। मैं अनुभव करता हूं कि योजना सफल हो कर रहेगी तथा धन के अभाव का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एक बात मुझे अपने जिले फर्रुखाबाद के बारे में कहनी है। यह जिला शाहजहानपुर से ४५ मील लम्बी सड़क से मिला हुआ है तथा मार्ग में दो नदियां गंगा तथा रामगंगा पड़ती हैं। लगभग हर दूसरे वर्ष इन दो नदियों के कारण १०० मील के क्षेत्र में बहुत बाढ़ आती है। जिस से कई लाख टन अनाज बर्बाद हो जाता है। यदि प्रस्तावित ४३ पुलों में से दो पुल उत्तर नदियों पर बना दिये जायें तो इस अनाज से खाद्य समस्या को कुछ सीमा तक हल किया जा सकता है।

श्री राघवाचारी (पेन्नुकोंडा)) : मैं ने इस आयव्ययक को इस दृष्टि से देखा है कि इस से किसानों के हितों पर क्या प्रभाव पड़ा है। मैं ने देखा कि वित्त मंत्री ने दयापूर्ण मध्यम श्रेणी के लोगों के सम्बन्ध में कर की सीमा ४,२०० रु० से ८,४०० रु० तक बढ़ा दी है। परन्तु उन के इस वाक्य से मुझे आश्चर्य हुआ कि वह ऐसा करों के भार को कम करने के लिये नहीं बल्कि अपने अधिकारियों को अधिक समय देने के लिये कर रहे हैं जिस से वे धनी व्यक्तियों की आय की अधिक जांच पड़ताल कर के राजस्व को बढ़ा सकें। इस से भ्रांति हो सकती है। मैं इस में कुछ गलती नहीं देखता हूं परन्तु यह कुछ अनावश्यक सख्ती है।

करारोपण जांच आयोग की नियुक्ति एक सराहनीय पग है : राज्यों तथा केन्द्र की आय पहले से कई गुणा बढ़ चुकी है जिस से स्पष्ट है कि कर का भार पहले से बहुत अधिक है। इस विषय की जांच निश्चय ही एक सराहनीय पग है। हो सकता है कि इस के फलस्वरूप करारोपण को किसी अधिक उचित तथा युक्तियुक्त आधार पर लाया जा सके। जहां तक इस की रिपोर्ट का सम्बन्ध है, मुझे भय है कि माननीय मंत्री का यह कहना सत्य सिद्ध नहीं होगा कि इस के कार्य में दो वर्ष लगेंगे। मेरा विचार है कि आप इस की सिफारिशों को योजना के काल में भी लागू नहीं कर सकेंगे।

मैं कोई अर्थ-शास्त्री नहीं हूं, फिर भी जीवन की कुछ वास्तविकता का अनुभव रखते हुए मैं समझता हूं कि जब देश में बहुत अधिक बेकारी हो या वस्तुओं को धन की कमी के कारण तैयार न किया जा सके तो घाटे की अर्थ-व्यवस्था का आश्रय लेना पड़ता है, परन्तु आज की परिस्थिति में मैं इस के औचित्य को नहीं समझ सकता। यथार्थ में जो करना चाहिये वह है मूल्यों में कमी।

लोग वस्तुओं के मूल्यों के चढ़ जाने के बारे में चिल्लाते रहे हैं । आयव्ययक भाषण में वस्तुओं की कीमतों का कहीं भी वर्णन नहीं किया गया है ।

एक और बात यह है कि यद्यपि आप कई करोड़ रुपये व्यय करने जा रहे हैं, फिर भी देश के प्रत्येक भाग का एक समान विकास नहीं हो सकेगा । यह धन निश्चित क्षेत्रों में ही व्यय किया जायगा तथा इस से बेकारी आदि की समस्या पूर्णतया हल नहीं हो सकेगी ।

मैं समझता हूं कि मूल्यों में जो कमी हुई है, वह युद्धोपरान्त मन्दी को ज़ाहिर करती है । यद्यपि वित्त मंत्री ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है तो भी मुझे भय है कि जब तक वह कोई कार्यवाही करेंगे, जनता को कष्ट झेलना पड़ जायेगा ।

अब मुझे औद्योगीकरण के विषय के बारे में कुछ कहना है । इस के लिये आयव्ययक में केवल एक करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है । यह बहुत थोड़ी राशि है तथा इस में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती । छोटे उद्योगों के बारे में केवल यह किया गया है कि हथकर्घे से बुने हुए कपड़े तथा खादी के बारे में एक विधेयक संसद् में प्रस्तुत कर दिया गया है : धन अनुसन्धान तथा सहायता के लिये व्यवस्था की गई है । इससे केवल कुछ काम के करने का बहाना बनाया गया है । इस से देश का कोई वास्तविक भला नहीं होता है । देश की बेकारी को दृष्टि-गोचर करते हुए जो धन खादी आदि के लिये है, वह बिल्कुल काफी नहीं है । युद्ध हो या शान्तिकाल, जन साधारण अपने लिए कुछ न कुछ काम चाहता है जिससे वह अपने पेट के लिये खुराक तथा तन के लिए कपड़ा खरीद सके । मुझे खेद है कि इस महत्वपूर्ण बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया ।

आप जो अनुसन्धान-कार्य करना चाहते हैं, वह निरर्थक सा है । दूसरे देश ये सब कार्य कर चुके हैं । आप सभी देशों से विशेषज्ञों को बुला रहे हैं, परन्तु जापान की ओर, जिस ने छोटे उद्योगों तथा ग्राम उद्योगों में इतनी ख्याति पैदा की है, आपका ध्यान नहीं जाता । आपको वहां से भी कुछ विशेषज्ञ मंगाने चाहियें ।

सामूहिक परियोजनाओं को आपने उन क्षेत्रों में चलाया है जहां पर उत्पादन में वृद्धि करने की सुविधायें मौजूद हैं । चाहिये यह था कि उन्हें कमी वाले क्षेत्रों में चलाया जाता । सरकार से मेरा निवेदन है कि उन क्षेत्रों को सुधारने पर जोर दे जिन के सुधारने की आवश्यकता है । जिन क्षेत्रों में पहले से ही सुविधायें मौजूद हैं, उन के सुधारने से क्या लाभ ? आप कई करोड़ रुपये अस्थायी सुधार पर व्यय करने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप दीर्घकालीन योजना पर भी ध्यान दें ।

सदन में कहा गया है कि प्रशासन में धन को व्यर्थ में व्यय किया गया है । मैं आपको मितव्ययता का सुझाव देता हूं । सरकार के प्रवक्ता होने से आप को कोई ऐसी धारणा फैलने नहीं देनी चाहिये । आपको केवल कुछ न कुछ करते रहने का दिखलावा ही नहीं करना चाहिये, बल्कि वास्तव में कुछ करना चाहिये ।

पिछले वर्ष श्री त्यागी ने २½ से ३½ करोड़ रु० की छंटनी से बचाने के बारे में कहा था परन्तु इस वर्ष इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है । आखिर आप प्रबन्ध करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं करते ?

अन्त में मुझे वित्त मंत्री से यह कहना है कि आप इस व्यर्थ के नाश को रोकने के लिये कुछ अधिक समय तथा ध्यान दें । सरकार को इस बारे में सावधान रहना चाहिये तथा भावुकता में नहीं बह जाना चाहिये । आप जनता को ऐसा

[श्री राघवाचारी]

अनुभव करायें कि आप लोक-धन के व्यय में बहुत सावधान हैं। आप उन अधिकारियों को पदोन्नति मत दें जिन के विरुद्ध सच ही कोई कार्यवाही बाकी है। आप जनता के विश्वास के तभी पात्र बन सकेंगे यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहानुभूति प्रकट न करें जिस ने सार्वजनिक धन को किसी प्रकार से नष्ट किया हो।

श्री बोगावत (अहमदनगर—दक्षिण): मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्हों ने एक बहुत सन्तोषजनक आयव्ययक प्रस्तुत किया है। देश को बहुत सी आर्थिक कठिनाइयों का सामना है। पिछले पांच वर्षों में एक के सिवाय सभी वर्षों में घाटा था। इन सब कठिनाइयों के होते हुए भी मंत्री महोदय ने एक बहुत सन्तोषजनक आयव्ययक प्रस्तुत किया है। १९५२ में उन्हों ने बड़े साहस से सहायता को बन्द करने का पग उठाया था तथा अब की बार उन्हों ने आयकर की सीमा को बढ़ा देने का साहसपूर्ण कार्य किया है जिस से ७०,००० परिवारों को आय कर से छूट मिल जायेगी। निगम कर में भी छट दी गई है।

पिछड़ी हुई जातियों शर्णार्थियों तथा हथकर्घे के उद्योग के लिये केवल ३४ $^{1}/_{2}$ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। यदि हमें अपने उद्योग का विकेन्द्रीकरण करना है तो हमें प्रति वर्ष ऐसी व्यवस्था करनी होगी। बुनियादी शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये तथा अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिये।

जुलाहों की अवस्था दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है तथा वे भिक्षा मांगने पर तुल आये हैं। यदि सरकार ने इन लोगों को बचाना है तथा छोटे तथा ग्राम उद्योगों को उन्नत करना है तो वह सारी की सारी खादी की स्वयं खरीद करे तथा केन्द्र तथा राज्य सरकारें और किसी प्रकार के कपड़े को न खरीदें।

अर्थ व्यवस्था के बारे में मेरा निवेदन है कि जब तक हम अपने उत्पादन को नहीं बढ़ाते हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को ठोस आधार पर नहीं ला सकते हमारी आयात तथा निर्यात नीति का हमारी अर्थ-व्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव है। हमें अपने निर्यात को निरन्तर बढ़ाने तथा आयात को कम करने की चेष्टा करनी चाहिये। हमें विलास वस्तुओं के आयात को बिल्कुल बन्द कर देना चाहिये।

मैं आशा करता हूं कि पंचवर्षीय योजना से हमारे उद्योगों का विकास होगा तथा खाद्यान्न तथा दूसरी वस्तुओं की स्थिति में सुधार होगा। मेरा निवेदन है कि महाराष्ट्र के बारे में जो दुर्भिक्ष से पीड़ित चला आता है, इतना ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले तीस या चालीस वर्ष से अहमदनगर, शोलापुर, बीजापुर, आदि में बहुत दुर्भिक्ष रहा है। मेरा केन्द्र से यह निवेदन है कि वह महाराष्ट्र की परियोजनाओं के आरम्भ किये जाने पर ज़ोर दे। दुर्भिक्ष से कई करोड़ लोग पीड़ित हैं तथा लोग मुर्दे से दिखाई देते हैं। पशुओं की मृत्यु भी बहुत है। यदि सरकार ने उन्हें भूक, रोग तथा मृत्यु से बचाना है तो उन की उपेक्षा न करे। अभी तक तो उनकी उपेक्षा ही होती रही है, परन्तु वित्त मंत्री को पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिये जिस से ये परियोजनायें आरम्भ हो सकें।

अपने रक्षा विभाग के सम्बन्ध में भी मैं एक दो शब्द कहना चाहता हूं। हमें अपनी जल सेना तथा वायु बल को बहुत शक्तिशाली बनाना चाहिये। हमारे पास साधारण तथा जैट प्रकार के काफी विमान नहीं हैं। जब तक हम अपने रक्षा विभाग को शक्तिशाली नहीं बनाते हम अपनी देश की रक्षा को उचित रीति से नहीं कर सकते।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत अच्छा आयव्ययक है तथा वित्त मंत्री ने अपना पूरा प्रयत्न किया है ।

भारतीय तटकर (संशोधन) विधेयक

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"भारतीय तटकर अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन के हेतु विधेयक पर विचार किया जाय ।"

इस विधेयक में मुख्य बात यह रखी गई है कि इस में भारतीय तटकर अधिनियम, १९३४ की धारा ३ए को बदलने की चेष्टा की गई है । अन्तर बहुत थोड़ा है धारा ३ की दो वर्ष की अवधि २८ मार्च को समाप्त होने वाली है । अब यह विचार किया गया है कि इस धारा को विधि का स्थायी भाग बना दिया जाय ।

मैं जानता हूं कि कुछ माननीय सदस्यों के मन में ये संशभ पैदा होते हैं कि क्या सरकार निश्चित प्रथा का उल्लंघन करना चाहती है तथा अधिक शक्तियां लेना चाहती है जिन्हें इस प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता हो जो उपभोक्ता के हितों के विरुद्ध हों । कुछ भी हो, यदि सरकार इस सदन की अनुमति लिये बिना पहले ही संरक्षण प्रदान करती है तो सम्भवत: उस से वे लाभ प्राप्त न हों जो सदन की अनुमति से प्राप्त हो सकते हैं तथा जो अनुमति इसी प्रकार का सदन ही दे सकता है । इस बात पर सभी सहमत हैं तथा मैं भी इस से सहमत हूं कि संरक्षण के प्रदान करने में उपभोक्ता का हित सब से मुख्य बात है ।

दो वर्ष पहले सरकार की नीति इस बारे में स्पष्ट नहीं थी । अब संरक्षण की नीति स्वीकार हो चुकी है । मैं समझता हूं यह ऐसी नीति है जिस पर यह सदन प्राय: अनुरोध करता रहा है कि हमारे उद्योगों का विकास हो तथा इस के लिये जो त्याग हो सके किया जाय । सरकार की नीति में भी राजकोषीय आयोग का यह वक्तव्य सत्य सिद्ध हो रहा है कि यह बात इतना महत्व नहीं रखती कि सरकार संरक्षण को नीति के रूप में स्वीकार करती है या नहीं; वास्तव में महत्वपूर्ण बात यह है कि संरक्षण की मात्रा की जांच की जाय ।

मैं व्यक्तिगत रूप से उपभोक्ता के हितों का बहुत समर्थन करता हूं । मैं अनुभव करता हूं कि एक ऐसे देश में जिस में जीवन-स्तर बहुत गिरा हुआ हो, विकास की इच्छा होते हुए भी जिस क्षण खरीद की शक्ति कम हो जाती है जीवन-स्तर बहुत गिर जाता है । पिछड़ी हुई जनसंख्या वाले देश में उपभोग की इच्छाओं के बहुत कम होने से हमें उपभोक्ता के हितों की रक्षा करनी चाहिये ।

हमारी सब योजनाओं का ध्येय एक है अर्थात् कि किस प्रकार जीवन-स्तर को ऊंचा ले जाया जाय । अतएव इस प्रस्थापना पर इस दृष्टिकोण से देखते हुए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि उपभोक्ता के हितों की निश्चय ही रक्षा की जानी चाहिये ।

उद्योगों को प्रोत्साहन देने की सरकार की निश्चित नीति है । सरकार द्वारा राजकोषीय आयोग की सिफारिश के स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप अब तटकर आयोग की स्थापना की गई है जो संविधिक तथा स्थायी संस्था है । अब सरकार पर इस आयोग की सिफारिशों के यथाशीघ्र लागू करने के बारे में कुछ और प्रकार का दबाव पड़ता है । सदन की पहले यह शिकायत रही है कि तटकर आयोग की सिफारिशों के लागू करने में हम विलम्ब से काम लेते हैं । मैं कहना चाहता

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

हूं कि इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करने के लिये हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। इस से स्पष्ट है कि हम इन सिफारिशों से उद्योग पर जिस का हम सब विकास चाहते हैं, अधिक भार नहीं आने देना चाहते। बीते समय में संरक्षण को केवल अस्थायी काल के लिये देने तथा सरकारी नीति के अनिश्चित होने की बात आज सत्य नहीं है। अतएव सदन से मेरा सर्वप्रथम निवेदन है कि धारा ३ए को संविधि का अस्थायी भाग बनाया जाय।

इस के बाद विभिन्न हितों की सुरक्षा का सवाल आता है। संशोधक विधेयक में इस प्रकार का परिवर्तन किया गया है जिस से इसे अगले सत्र के आरम्भ होने पर यथाशीघ्र पुरःस्थापित किया जा सकता है तथा सरकार द्वारा संसद् के सत्र से आरम्भ होने के पन्द्रह दिन के अन्दर या अधिसूचना के जारी करने के पन्द्रह दिन के अन्दर अन्दर पुरःस्थापित करने के उपबन्ध का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं रहती है: सरकार को अपनी शक्तियों के बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं है। सभापति ने प्रत्याशित महत्वपूर्ण निर्णय के कारण इस विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिये एक घंटे का समय दिया है। इस त्रस में मुझे इसी प्रकार के चार और विधान भी पुरःस्थापित करने हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री ए० सी० गुहा ने कहा है कि इस उपबन्ध का ध्येय ठीक होते हुए भी यह स्पष्ट नहीं है कि किसी अधिसूचना के इस सत्र में जारी होने पर भी विधेयक का इसी सत्र में पुरःस्थापित किया जाना आवश्यक नहीं क्योंकि शब्दों के अनुसार 'आगामी' सत्र का अर्थ यह नहीं हो सकता। तथा न ही यह स्पष्ट है कि यदि अधिसूचना संसद् का सत्र होने पर भी जारी की जाय तो उसी सत्र में विधेयक को आवश्यक रूप से पुरःस्थापित किया जायगा। अभिप्राय एक ही है। अतएव यदि सदन उन के संशोधन को स्वीकार कर ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है

मूल धारा में कहा गया है कि यदि कोई विधेयक संसद् में पुरःस्थापन के बाद किसी कारण दो महीने के अन्दर पारित हो कर विधान न बन सके तो अधिसूचना दो महीने के बाद अपने आप समाप्त हो जायेगी। इस विशेष विषय में ऐसी सम्भावना है कि सत्र के अन्त में विधेयक के पुरःस्थापन के कारण सरकार की इसे पारित कराने की इच्छा शायद पूरी न हो सके। इस से यह विधेयक खटाई में पड़ सकता है। अतः इस में एक विशेष उपबन्ध यह रखा गया है कि अगले सत्र के आरम्भ होते ही इस पर विचार किया जाय। मैं किसी ऐसे संशोधन को स्वीकार करने के लिये बिल्कुल तैयार हूं कि सरकार इस प्रकार के विधेयक को अधिक से अधिक छः मास तक लम्बमान रख सकती है। इसे पुरःस्थापित करने के बाद सरकार का उत्तरदायित्व समाप्त नहीं हो जाता तथा संरक्षण को अनिश्चित काल तक ऐसे ही चलते रहना नहीं दिया जायगा। यदि श्री गुहा के संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय तो संरक्षण अपने आप छः मास के बाद समाप्त हो जायेगा।

धारा ३ए में वास्तव में इसी संशोधन की प्रस्थापना की गई है।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों ने तटकर आयोग की बाल बेयरिंग सम्बन्धी रिपोर्ट पढ़ी होगी। हो सकता है कि केवल एक ही औद्योगिक व्यवसाय द्वारा इस काम के किये जाने के कारण इस संरक्षण को आवश्यक न समझा जाय, परन्तु सरकारी नीति यह है कि ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय जिस से

इन का विकास हो सके। अतः किसी न किसी संरक्षण के आश्वासन की आवश्यकता है।

सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि संरक्षण से केवल शुल्क का नाम ही बदलता है। संरक्षण प्राप्त वस्तुओं पर शुल्क पहले जितना ही रहता है। केवल राजस्व शुल्क के स्थान पर इस का नाम संरक्षण शुल्क हो जाता है। इस परिवर्तन से उद्योग को केवल यह रियायत मिलती है कि भविष्य में मण्डी में बहुत अधिक वस्तुओं के आ जाने से यदि उद्योग को कठिनाई का सामना हो तो सरकार उस की कुछ तुरन्त सहायता कर सकती है जो अधिकार सरकार को तटकर आयोग द्वारा दिया गया है। उद्योग को आश्वासन देने की आवश्यकता के बारे में तटकर आयोग की सिफारिश स्पष्ट है। इस आवश्यकता को मानते हुए उन्हों ने अनुभव किया कि संरक्षण प्राप्त वस्तुओं पर पहले से जो राजस्व शुल्क लगा था, वही पर्याप्त है।

मैं माननीय सदस्यों को एक बार फिर आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि सरकार संसद् की अवहेलना करने का कोई विचार नहीं रखती है। व्यक्तिगत रूप से मैं संरक्षण का कोई मामला भी संसद् के सामने लाने को तैयार हूं। सदन भी स्वीकार करेगा कि यदि मैं चार अधिसूचनायें जारी करता हूं तो बजाय चार विधेयकों के पुरःस्थापित करने के उन चार अधिसूचनाओं पर सम्मिलित एक ही विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति मिल जानी चाहिये। मेरा विश्वास है कि श्री गुहा के संशोधन को स्वीकार कर लेने पर सदन की स्थिति भी सुरक्षित हो जायगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री ए० सी० गुहा (शान्तिपुर) : यद्यपि माननीय मंत्री ने मेरा नाम बार बार लिया है तो भी मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक से बहुत प्रसन्न नहीं हूं।

सर्वप्रथम मुझे विधेयक के अधिसूचना के बाद पन्द्रह दिन के अन्दर पुरःस्थापित करने की कोई कठिनाई नहीं जान पड़ती। विधेयक के पारित कराने में तो कठिनाई हो सकती है परन्तु पुरःस्थापन के लिये कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। अस्तु मैं इस बात पर बहुत जोर नहीं देना चाहता।

मैं धारा ३५ की उपधारा (३) के परन्तुक को हटा देने के सुझाव से भी बहुत प्रसन्न नहीं हूं। ठीक है कि किसी विधेयक को दो मास में पारित कराना कठिन हो, परन्तु छः मास तक की सीमा का भी न लगाना उचित नहीं है। फिर भी इसे स्वीकार किये बिना चारा नहीं।

इस प्रकार से विधेयक के साथ प्रत्येक बार रक्षित किये जाने वाले उद्योगों पर टिप्पणी भी संलग्न होती है। परन्तु इस बार 'बाल बेयरिंग' उद्योग पर कोई टिप्पणी संलग्न नहीं की गई है। तीन वर्ष पहले यह प्रथा चालू की गई थी। मुझे आशा है कि इसे चालू रखा जायगा तथा माननीय मंत्री सदन को ऐसा आश्वासन देंगे।

'बाल बेयरिंग' उद्योग उपभोक्ता की वस्तु नहीं है; यह एक कच्चे माल की मद है। तटकर आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि उत्पादन की लागत आयात किये गये माल से १५१ प्रतिशत अधिक है। इस विधेयक में ९१ या ९४ प्रतिशत संरक्षण के देने की प्रस्थापना की गई है। मैं नहीं कह सकता कि क्या इतना संरक्षण इस उद्योग के लिये काफी होगा या नहीं। हमें इस पर बहुत अधिक कर भी नहीं लगाना चाहिये, वरन् कम्पनियों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के दाम चढ़ जायेंगे।

[श्री ए० सी० गुहा]

इस का मुख्य प्रयोग बिजली के पंखों में होता है। हमारा यह उद्योग अब किसी भी विदेशी उद्योग से प्रतियोगिता कर सकता है। मैं विशेषत: इस उद्योग के संरक्षण पर ज़ोर देना चाहता हूं।

तटकर आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में मैं एक बात पर ज़ोर देना चाहता हूं और वह यह है कि आयोग के उद्योग के उत्पादन की लागत का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया है। संरक्षण के लिये उत्पादन की लागत का ठीक अनुमान एक आवश्यक बात है परन्तु इस विषय में तटकर आयोग को पूर्ण विश्वास नहीं है। माननीय मंत्री इस ठीक अनुमान के लगाये जाने पर विशेष ध्यान दें।

हर बार इस प्रकार के विधेयक के प्रस्तुत होने पर हमें राजकोषीय आयोग की सिफारिशों का स्मरण हो जाता है। मेरा विचार है कि तटकर आयोग की स्थापना के सिवाय राजकोषीय आयोग की किसी सिफारिश को भी लागू नहीं किया गया है। इस दिशा में ऐसे महत्वपूर्ण आयोग की स्थापना पर धन तथा परिश्रम के अपव्यय की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस बारे में सरकार की स्थिति को स्पष्ट करेंगे।

श्री कासलीवाल (कोटा-झालावाड़) : यद्यपि इस विधेयक से केवल नैशनल बाल बेयरिंग फैक्टरी, जयपुर को ही संरक्षण के प्रदान करने की प्रस्थापना की गई है, तो भी बाल बेयरिंग का उद्योग एक मूल तथा महत्वपूर्ण उद्योग होने के कारण में इस विधेयक का स्वागत करता हूं। साथ ही इस व्यवसाय ने जिस प्रकार इस संरक्षण के प्राप्त करने की चेष्टा की है, उस पर मुझे आपत्ति है, उन्हों ने जनवरी या फरवरी में सारे उद्योग को बन्द कर दिया था तथा ५०० व्यक्तियों को बेकार कर दिया था। तटकर आयोग ने बहुत शीघ्रतापूर्ण उसी स्थान पर पूछताछ की तथा उस का परिणाम इस संरक्षण के रूप में हमारे सामने आया है। विवशता का यह ढंग किसी भी उद्योग के लिये उचित नहीं है।

श्री गुहा ने उत्पादन की लागत के बारे में कहा है। तटकर आयोग की पूछताछ पर यह पता लगा कि इस फैक्टरी के सामने कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं, न ही लेखा के रखने का कोई उचित ढंग है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान तटकर आयोग की रिपोर्ट के पैरा १५ तथा १६ की ओर दिलाना चाहता हूं जिस में इस विशेष उद्योग से इन त्रुटियों को दूर करने के लिये कहा गया है।

संरक्षण के लिये किसी फैक्टरी को निश्चित समर्थता के अनुसार कार्य करना ज़रूरी हो जाता है जो उस व्यवसाय के सम्बन्ध में ६ लाख बाल बेयरिंग प्रति वर्ष है। परन्तु यह कारखाना इतना उत्पादन नहीं कर रहा है। यदि संरक्षण शुल्क इतना अधिक लगाया जाता है तो सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि इस कारखाने को निश्चित समर्थता के अनुसार काम करने का आदेश दे। कुल वार्षिक मांग ९ लाख बाल बेयरिंग की है जिस में से अधिकतर बिजली के पंखों में काम आते हैं। यदि कम्पनी अपनी पूरी समर्थता से काम करे तो कोई कारण नहीं कि देश की सारी मांग इसी कारखाने से पूरी न हो।

मद ७२(३५) में थोड़ा सा विभेद किया गया है। इस के अनुसार ब्रिटिश निर्माण के २ इंच छिद्र वाले बाल बेयरिंग को मूल्य का ९१,१/२ प्रतिशत मिल सकेगा जबकि इस के अतिरिक्त निर्माण वाले बेयरिंग को ९४,१/२

प्रतिशत । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस के कारण स्पष्ट करेंगे ।

तटकर आयोग ने इस बारे में 'गैट' (व्यापार तथा तटकरों सम्बन्धी सामान्य समझौते) से निकल आने की सिफारिश की है । मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने 'अडेप्ट बेयरिंग्स' पर १० प्रतिशत राजस्व शुल्क लगाया है जो "गैट" के अन्तर्गत अधिकतम है ।

यह उद्योग एक मूल उद्योग ही नहीं है, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है । इस कम्पनी पर मांग निरन्तर बढ़ती जायगी । मेरा सुझाव है कि इस एकमात्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के निमित्त कार्यवाही की जाये ।

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल) : तटकर आयोग की रिपोर्ट से ऐसा पता चलता है कि इस व्यवसाय का नियंत्रण एक ब्रिटिश सार्थ के हाथों में है । इस से वस्तुतः यह संरक्षण भारतीय उद्योग को मिलेगा, इस में मुझे सन्देह है । यह कम्पनी 'बिरला' व्यवसाय के साथ एक समझौते के फलस्वरूप बनी है जिसे ५५७५ रु० प्रति मास अधिकार शुल्क तथा कुल बिक्री का—तटकर आयोग के अनुसार — १८००० रु० प्रति मास मैनेजिंग ऐजेंसी के भत्ते के रूप में मिलेंगे । इस से स्पष्ट हो जाता है कि आयात की गई वस्तु से इस की उत्पादन की लागत के १५१ प्रतिशत अधिक होने का कारण क्या है । यदि कम्पनी २८ लाख रु० की वस्तुयें बनाये तो ७।। लाख इन्हीं भत्तों आदि के रूप में उन्हें मिल जाते हैं । यह लाभ भारतीय सार्थ या भारतीय जनता को नहीं पहुंचता ।

इस कारण मुझे सन्देह है कि क्या इस एकमात्र कम्पनी को संरक्षण देने में भारतीयों का हित भी है या नहीं । इस के अधिक मूल्य का अन्य भारतीय उद्योगों पर भी प्रभाव पड़ेगा । मेरा सुझाव है कि कच्चे माल पर शुल्क को कम कर दिया जाये । इस उद्योग को इस कमी की सीमा तक ही संरक्षण दिया जाय । यदि प्रस्तावित सीमा तक संरक्षण दिया गया तो उस का लाभ केवल ब्रिटिश सार्थ को ही पहुंचेगा । मैं समझता हूं कि संरक्षण देते समय सरकार इन बातों पर भी विचार करे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं इस विधेयक के सांविधानिक तथा विधानिक पहलू पर ही कुछ कहना चाहता हूं । १९४६ में मेरे संशोधन के साथ एक विधेयक पारित हुआ था जिस में उद्योग मंत्री को पहले से अधिसूचना जारी कर के बाद में उसे एक विधेयक द्वारा बदल देने के अधिकार दिये गये थे । बाद में १९५० तथा १९५१ में इसी प्रकार के विधेयक पारित किये गये थे । मुझे उस सारे पूर्व वृतान्त तथा सरकार को इस प्रकार के अधिकार के दिये जाने पर की गई आपत्तियों के वर्णन करने की आवश्यकता नहीं । हमारे संविधान के अन्तर्गत इस प्रदत्त विधान का पारित करना उचित नहीं, परन्तु यह मामला भी कुछ संदेहयुक्त है क्योंकि हाउस आफ कामन्ज की प्रथाओं के अनुसार यह शक्ति मंत्रियों में निहित है । परन्तु अध्यक्ष महोदय के कथनानुसार संविधान के पारित करते समय परस्पर समझौते से एसी व्यवस्था की गई । समझौता यह था कि विधेयक को संसद् के सामने १५ दिन के अन्दर अन्दर लाया जाये या अगले सत्र के आरम्भ होने के १५ दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जाय । साथ ही एक महत्वपूर्ण शर्त यह रखी गई है कि विधेयक को दो मास के अन्दर पारित करना होगा, वरना अधिसूचना आदि का सब प्रभाव जाता रहेगा ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हमें माननीय मंत्री तथा श्री करमरकर पर पूरा विश्वास है कि वे संसद् की शक्तियों को हड़प करना नहीं चाहते, फिर भी इस विधेयक के पारित करने से सरकार पूर्ण परिवर्तन चाहती है । वर्तमान विधेयक में समय की कोई सीमा नहीं रखी गई है । हम ने उस समय २ वर्ष की अधिकतम सीमा रखी थी । मुझे अपने अधिकार से वंचित होने का बहुत दुःख है । माननीय मंत्री ने केवल कल ही इसे पुरःस्थापित किया था तथा आज वह चाहते हैं कि इसे पारित भी कर दिया जाये । मेरा निवेदन है कि संसद् के सत्र के समय मंत्रियों को इस प्रकार के अधिकार का देना उचित नहीं । सदन पर उत्तरदायित्व है जिसे वह अवश्य पूरा करेगा । मैं सरकार को इस प्रकार के अधिकार के देने का कोई कारण नहीं देखता हूं । जब कभी सदन के अधिकारों को कम करने के लिये कोई प्रस्ताव रखा जायेगा तो मेरा उस से अवश्य ही मतभेद होगा । मेरा सदन से निवेदन है कि कानून में इस प्रकार के परिवर्तन की चेष्टा पर सावधानता से विचार करे ।

मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में शीघ्रतापूर्ण कार्यवाही का भी कोई कारण नहीं देखता हूं । जब सदन की बैठक वर्ष में आठ महीने जारी रहती है तो इस विधेयक को एक मास बाद में भी लाया जा सकता है । अनुच्छेद ११९ में ऐसे आपात के लिये व्यवस्था की गई है । अध्यक्ष महोदय तथा सदन उस आपात के लिये समय को स्वयं निश्चित कर सकते हैं । जब सदन की बैठक न हो रही हो तो कठिनाई समझ में आ भी सकती है । अब वे दिन नहीं रहे जब हमें अध्यादेशों से भय रहता हो । राष्ट्रपति ऐसे अध्यादेश जारी कर सकते हैं । जब तक माननीय मंत्री अवधि के विस्तार को उचित सिद्ध नहीं करते, मैं श्री गुहा की छः मास की सीमा के सुझाव से भी सहमत नहीं हो सकता तथा सरकार को इस शक्ति के दिये जाने का समर्थन नहीं कर सकता ।

एक बार ऐसी शक्ति के दिये जाने के बाद इस का वापस लेना कठिन हो जायेगा । ऐसा करने से माननीय मंत्री केवल कुछ ही मास के लिये संरक्षण का विधेयक ला सकते हैं । ऐसी सम्भावना अवश्य ही हो सकती है । मेरा विनम्र निवेदन है कि पूर्व विधेयक में दी गई शक्तियों से अधिक शक्ति न दी जाय ।

इस सम्बन्ध में मुझे माननीय मंत्री पर कोई वैयक्तिक सन्देह नहीं । उन्हों ने स्वयं संसद् के अधिकारों को हड़प न करने की वान्छनीयता के समर्थन में पूर्व अवसर पर ज़ोरदार भाषण दिया है । अब उन्हीं सिद्धान्तों में परिवर्तन करने का कोई उचित कारण दिखाई नहीं देता । यदि अपने तर्क के समर्थन में उन्हों ने कोई आंकड़े रखे होते तो बात समझ में आ सकती थी । चार विधेयकों के पुरःस्थापन से तथा राजस्व शुल्क को संरक्षण शुल्क बना देने से कोई हानि नहीं होती है । ये प्रबन्ध पूर्व सदन के सदस्यों की सहमति से किये गये थे तथा मैं उन में किसी परिवर्तन के करने के विरुद्ध हूं । मेरा निवेदन है कि श्री गुहा के संशोधन पर भी ध्यानपूर्वक विचार किया जाय और विधि को पूर्ववत रहने दिया जाये ।

विन्डसर प्लेस से कुछ संसद् सदस्यों का बेदखल किया जाना

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): श्रीमान्, मैं आप का ध्यान एक ऐसे मामले की ओर दिलाना चाहता हूं जिस से हम बहुत क्षुब्ध हो रहे हैं । मेरा निर्देश कुछ सदस्यों के क्वार्टरों पर मारे गये छापों से है

जिन से पुलिस पुस्तकों, पत्रों तथा कई और प्रकार की वस्तुयें उठा कर ले गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय । यदि इस बारे में आप को कोई प्रतिनिधान करना है तो इस अभिप्राय से नियुक्त की गई सदन की समिति से कीजिये । मुझे माननीय सदस्य से सदन में बातचीत करने तथा उन की यथा-सम्भव सहायता करने में कोई आपत्ति नहीं, परन्तु निश्चय ही सदन में इस पर चर्चा नहीं की जा सकती । इस बारे में संसद् की अपनी गृह-व्यवस्था समिति मौजूद है तथा मामला उस के सामने रखा जा सकता है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी: : हम उस समय तक संसद् सदस्य की स्थिति में काम करने के अयोग्य हैं जब तक कि हमें उन स्थानों तथा पत्रों आदि के प्रयोग का अधिकार न दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : संसद् के काम को कुछ नियमों के अनुसार चलाया जाता है तथा यह एक ऐसा मामला है जिस पर उन नियमों के अनुसार यहां चर्चा नहीं हो सकती । मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि इस सम्बन्ध में संसद् सदस्यों की अपनी एक समिति है तथा मामले को उस के सामने लाया जा सकता है ।

श्री पुन्नूस (आल्लप्पी) : यह बात किसी समिति के काम करने से सम्बन्धित नहीं । यहां तो सवाल यह है कि हमारे कुछ साथियों के निवास स्थानों पर पुलिस ने छापे मारे हैं तथा हम इस तथ्य की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को जानना चाहिये कि इस सवाल को यहां पर तत्काल ही नहीं उठाया जा सकता । कम से कम मुझे इस की सूचना तो मिलनी चाहिये । मैं बाद में देखूंगा कि क्या इस की अनुमति भी दी जा सकती है या नहीं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : श्रीमान्, मैं ने अध्यक्ष महोदय से इस सम्बन्ध में टेलीफोन पर बात चीत की थी तथा उन्हों ने निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री से बात चीत के मामले को निपटाने को कहा था । आपके सामने हम इस मामले को इसलिये लाए हैं क्योंकि हम आप को अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकते थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपने कमरे में दो घंटे से अधिक मौजूद था । यदि इस मामले को मेरे सामने लाया जाता तो मैं अवश्य ही इस प्रस्ताव की अनुमति देने पर विचार करता, परन्तु मेरे लिये तत्काल कुछ कहना कठिन है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : श्रीमान्, क्या आप इस पर तुरन्त बाद विचार करेंगे क्योंकि हम अपने घरों को वहां पर पुलिस होने के कारण नहीं जा सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं । मैं माननीय सदस्यों से बातचीत के लिये तैयार हूं ।

भारतीय तटकर (संशोधन) विधेयक--जारी

७ म० प०

श्री बासप्पा (टुमकुर) : मुझे इस विधेयक में यह देख कर कुछ दुःख हुआ कि सरकार प्रदत्त विधान की शक्ति को सदा के लिये प्राप्त करना चाहती है । खण्ड (२) के अन्तिम परे में ये शब्द आते हैं :

"(ग) उपधारा (४) को निकाल दिया जायगा ।"

सब से पहले उन्होंने यह अधिकार तीन वर्ष के लिये चाहा था, बाद में उन्हों ने इसे दो और वर्षों के लिए चाहा, परन्तु अब वे इसे सदा के लिये चाहते हैं ।

मैं ने माननीय मंत्री के १९५१ के भाषण को पढ़ा है तथा मुझे उस के पढ़ने से

[श्री बासप्पा]

बहुत आश्चर्य हुआ है । यह वास्तव में ही एक आश्चर्य की बात है कि एक साधारण सदस्य के नाते उन्होंने संरक्षण के बारे में संसद् के अधिकारों को सुरक्षित करने का ज़ोरदार समर्थन किया था परन्तु अब वही इन अधिकारों को संकुचित करने का विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं । मैं नहीं समझता कि किसी माननीय सदस्य का किसी माननीय मंत्री से कम उत्तरदायित्व होता है । समय समय पर यह उत्तरदायित्व बढ़ जाता है । अतः मुझे यह कहना है कि सरकार प्रदत्त विधान के लिये अधिक अनुरोध न करे ।

तटकर नीति का देश की आर्थिक समृद्धि तथा औद्योगिक विकास से बहुत सम्बन्ध है । पंचवर्षीय योजना में इस विकास पर बहुत ज़ोर दिया गया है । इस संरक्षण नीति में जो बात हम देख रहे हैं, वह यह है कि यद्यपि कई उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया तो भी उन्होंने अपने धंधे में कोई सुधार नहीं किया वे संरक्षण शुल्कों का अनुचित लाभ उठाते हैं । माननीय मंत्री प्रत्येक बार सब से महत्वपूर्ण बात को भूल जाते हैं । उद्योगों में व्यर्थ का नाश नहीं होना चाहिये तथा अवश्य ही सुधार दिखाई देना चाहिये । वे लोग तो अपने लिये अधिकाधिक तथा तुरन्त लाभ चाहते हैं । अतएव हमें इन उद्योगों पर अधिक नियंत्रण करना चाहिये । यद्यपि तटकर आयोग ने इन उद्योगों के लिये अधिक स्वतन्त्रता तथा संरक्षण की सिफारिश की है, तो भी संसद् को इस संरक्षण के बारे में बड़ा सावधान रहना चाहिये । संरक्षित उद्योगों पर अधिक कड़ी दृष्टि रखी जानी चाहिये । वास्तव में अपेक्षित मात्रा के बारे में हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं । इन सब बातों को विचार में रखते हुए हमारे पास इन उद्योगों की देख रेख के लिये काफी व्यवस्था होनी चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यद्यपि प्रदत्त विधान एक बुरी बात है फिर भी यह एक आवश्यक वस्तु है । उद्योगों को भी इस प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता है । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी परिस्थिति में संरक्षित उद्योगों पर काफी देख रेख होनी चाहिये ।

सरकार ने घोषणा की हुई है कि वह सट्टे बाज़ी को बन्द करना चाहती है । कल्पना कीजिये कि वह प्रत्येक बार ऐसा विधेयक प्रस्तुत करते हैं, तो इस का परिणाम क्या होत है ? लोगों को संकेत मिल जाता है तथा व्यापारी लोग सट्टे से बहुत लाभ उठाते हैं । आपात काल का तो विचार किया जा सकता है, परन्तु संसद् के सत्र के समय तो वह आसानी से ऐसे विधेयक को हमारे सामने ला सकते हैं ।

उद्योगों के संरक्षण देने के और भी तरीके हैं । उन्हें आर्थिक सहायता दी जा सकती है तथा आयात को कम किया जा सकता है । फिर भी मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा इतना कहना चाहता हूं कि पारित कराने से पहले सरकार को इस में कुछ संशोधन अवश्य ही करने चाहियें ।

डा० लका सुन्दरम (विशाखापटनम्) : चर्चा में उठाये गये विधिक सांवैधानिक तथा तथ्यों सम्बन्धी सवालों पर विचार करते हुए मेरी यह हार्दिक आशा है कि माननीय वाणिज्य मंत्री इस विधेयक को वापस लेंगे तथा इस के स्थान पर दूसरा विधेयक प्रस्तुत करेंगे जिस में सदन के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने प्रदत्त विधान के सवाल को उठाया है । इंगलैंड के एक भूतपूर्व न्यायाधिपति ने सरकारी सचिवालय द्वारा संसद् के अधिकारों पर छापा मारने का

बहुत दुःख मनाया था । इसी दृष्टिकोण से मैं ने माननीय सदस्य के भाषण को बहुत आतुर हो कर सुना है । इस सदन के अधिकारों को कम करने के किसी प्रयत्न पर मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है कल भी एक विधेयक को बड़ी शीघ्रता से पास कराया गया था जिस से मुझे बहुत दुःख हुआ । मेरा निर्देश उत्पादन शुल्क विधेयक से है तथा मैं इस से यह जतलाना चाहता हूं कि शनैः शनैः फैसलों को बदला जा रहा है तथा सम्भव है कि निकट भविष्य में सरकार अपनी पूरी मनमानी करना चाहती हैं ।

माननीय मंत्री ने कहा है कि उपभोक्ता के अधिकारों के वह बहुत बड़े समर्थक हैं, परन्तु स्पष्ट है कि जिस उद्योग को यह संरक्षण दिया जा रहा है, वह एकाधिकार वाला उद्योग है जिसे किसी आन्तरिक या वाह्य प्रतियोगिता का सामना नहीं है । अतः उपभोक्ता के पक्ष में टसवों का बहाना केवल दिखलावे की बात है जिस से बहुत भ्रम हो सकता है ।

तीसरी बात जो मुझे कहनी है, बहुत महत्वपूर्ण है । यह संरक्षण की मात्रा या सीमा के बारे में है । जिस प्रकार से ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं पर मूल्य के अनुपात से ९११/२ प्रतिशत तथा दूसरी वस्तुओं पर ९४ १/२ प्रतिशत संरक्षण की व्यवस्था की गई है, उससे संदेह उत्पन्न होता है कि भारत सरकार पर उद्योगपतियों का प्रभाव तो काम नहीं कर रहा है । संसद को अधिकार है कि इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट कराये । अन्यथा मैं कोई कारण नहीं देखता कि संरक्षण की मात्रा इतनी अधिक हो ।

चौथी बात साम्राज्यिक अधिमान के बारे में है । यद्यपि ३ प्रतिशत का अंतर ही रखा गया है फिर जिस बात से मुझे घृणा हुई, वह है कि इस अन्तर का आधार या कारण ब्रिटिश तथा भारतीय कम्पनियों का परस्पर सहयोग हो । इसका अर्थ है मण्डी पर पूरा एकाधिकार । मेरी अवश्य ही यह हार्दिक कामना है कि दलीय विचारों को छोड़ कर तथा सदन के दोनों ओर की युक्तियों को सुनते हुए माननीय मंत्री इस विधेयक को वापस लेंगे तथा इस के स्थान पर ऐसा विधेयक लायेंगे जो संसद् के अधिकारों से अधिक संगत होगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): सदन के विभिन्न सदस्यों ने इस विधेयक पर विभिन्न दृष्टिकोण से आपत्तियां की हैं । जहां तक माननीय मंत्री का सम्बन्ध है, उनकी दो आवाज़ें दिखाई पड़ती हैं जो बहुत दुर्भाग्य की बात है ।

मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर दिलाना चाहता हूं तथा वह है भारतीय हितों में विदेशियों का भाग : संरक्षण की नीति से भारतीय जनता को ५०० करोड़ रु० की हानि हो रही है तथा जो लाभ हो रहा है वह विदेशियों को जा रहा है.....

उपाध्यक्ष महोदय : संरक्षण नीति पर सामान्य चर्चा का आरम्भ करना इस विधेयक से संगत नहीं है । यहां तो सवाल यह है कि जब तक सदन की बैठक न हो, तटकर आयोग की कुछ सिफारिशों को लागू किया जाय तथा जब सदन की बैठक आरम्भ हो तो उस मामले को सदन के सामने लाया जाय । सवाल यह है कि इस प्रकार का अधिकार दिया जाय या नहीं । दूसरा सवाल यह है कि क्या इस बात को संविधि का स्थायी भाग बना दिया जाय या नहीं । तीसरी बात यह है कि क्या इसे पन्द्रह दिनों के अन्दर पुरःस्थापित किया जाय या दो मास के अन्दर । इस समय हम संरक्षण की सामान्य नीति पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

श्री धुलेकर (ज़िला झांसी—दक्षिण) : श्रीमान्, पंडित ठाकुर दास भार्गव तथा श्री गुप्ता

[श्री धुलेकर]

की बातों को सामने रखते हुए, क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम आज सारी चर्चा को छोड़ दें तथा सारे मामले पर विचार के बाद इसे कल फिर आरम्भ करें ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरी कठिनाई यह है कि मैं ने इस विधेयक को दूसरे सदन में भी पारित कराना है तथा राष्ट्रपति की मंजूरी को भी प्राप्त करना है, अन्यथा इस विधेयक की अवधि २८ को समाप्त हो जायेगी ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : : मैं यह कह रहा था कि भारत इस प्रकार की कोई तटकर नीति नहीं चाहता जिस से विदेशियों को ही लाभ पहुंचता हो । इस विधेयक से ऐसे उद्योग को लाभ पहुंचता है जिस का प्रयोजन निष्फल हो चुका है । इस उद्योग का रिकार्ड अच्छा नहीं है । ऐसी अवस्था में हम इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे सकते ।

सरकार ने अभी तक बहुत खराब तटकर नीति का अनुसरण किया है । इस से विदेशी हितों को बहुत लाभ हुआ है तथा वे मुटा गये हैं । आज भी वे लोग मज़े उड़ा रहे हैं मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इन विदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन न दे ।

मैं संरक्षण के सर्वथा विरोध में नहीं हूं .....

उपाध्यक्ष महोदय : संरक्षण तथा विदेशी हितों के सामान्य सवाल इस क्रम पर नहीं उठते। जैसा कि मैं ने कहा, यहां तो संरक्षण को किसी अधिसूचना द्वारा देने तथा बाद में उसे विधेयक द्वारा नियमित बनाने का सवाल है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : संशोधन में उपधारा (३) को निकाल देने तथा उस के स्थान पर नई उपधारा को लाने का प्रस्ताव है । इस नई उपधारा से सरकार को असीम अधिकार मिल जाते हैं । इससे सरकार के लिये समय की कोई सीमा नहीं रह जाती तथा उन की किसी पहले की कार्यवाही पर चर्चा नहीं हो सकती ।

जैसा कि पडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा है, इस अधिसूचना के जारी करने के अधिकार का दुरुपयोग किया जा सकता है । मैं अनुभव करता हूं कि मूल उपबन्ध को यथापूर्व रहने दिया जाय ।

इस के अतिरिक्त, संरक्षण शुल्क की दर को बहुत अधिक रखा गया है । ९१।। तथा ९४।। की दरें बहुत अधिक हैं : यदि किसी उद्योग को जीवित रहने के लिये इतनी अधिक दर चाहिये तो उस उद्योग के जीवित रहने का कोई औचित्य नहीं है । इस से कोई गारंटी नहीं मिलती कि वह उद्योग भविष्य में उन्नति करेगा या आगे चलकर उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचायेगा ।

मेरा निवेदन है कि संरक्षण की मात्रा को कम कर दिया जाय तथा धारा ३५ की उपधारा (३) को वापस लिया जाय।

डा० लंका सुन्दरम् : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या आप इस विधेयक को आज ही पूरा करने का विचार करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में केवल दो साधारण सवाल हैं, एक तो यह कि क्या इसे संविधि का स्थायी भाग बनाया जाय, दूसरा सवाल पन्द्रह दिनों के बारे में है : माननीय मंत्री का कहना है कि कई अधिसूचनाओं के होते हुए पन्द्रह दिन का समय काफी नहीं है । जहां तक एक और मार्ग है, वह यह है कि शक्ति या शक्ति के बिना आप अध्यादेश तो सदैव ही जारी कर सकते हैं ।

श्री वेंकटारमन् (तंजौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"चर्चा को समाप्त करने के प्रस्ताव पर सदन का मत लिया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक खण्ड ३ का सम्बन्ध है, श्री चाकों ने कुछ आंकड़ों से जो निष्कर्ष निकाले हैं, मैं उन से सहमत नहीं हूं । रिपोर्ट के अन्तिम पृष्ठों में पुर्जों आदि की अनुपात से लागत का वर्णन किया गया है तथा वे सब आंकड़े २५ प्रतिशत बनते हैं ।

मद १	कच्चे माल की लागत	०.३३६
	निर्माण व्यय	१.७३७
	कुल	२.०७३

कार्य संचालन पुंजी पर ब्याज तथा निश्चित और परिवर्तन शील अधिकार शुल्कों पर लाभ की प्राप्ति	०.५१२

अर्थात् कार्य संचालन पूंजी, निश्चित तथा परिवर्तनशील अधिकार शुल्क पर ब्याज आदि के रूप में लाभ आदि ।

मैं इस से सहमत हूं कि ४ प्रतिशत के लग भग अधिकार शुल्क दिया गया है, परन्तु यह तथ्य बना रहता है कि भारतीय सार्थ के लिये जानकारी की व्यवस्था का करना भी आवश्यक है ।

जहां तक तैयार वस्तुओं की अधिक मात्रा का सम्बन्ध है, केवल इतना हुआ है कि राजस्व शुल्क को संरक्षण शुल्क में परिवर्तित कर दिया गया है । इस से कोई अधिक भार नहीं पड़ता । तटकर आयोग द्वारा स्थिति को यथापूर्व रहने देने की सिफारिश से आश्चर्य हो सकता है, परन्तु सिवाय इस के कि वस्तुओं की भरमार की दशा में सरकार को सहायता देने का अधिकार दिया गया है, स्थिति पूर्ववत ही है ।

यह कहना गलत है कि यह भारतीय उद्योग नहीं है । ठीक है कि जानकारी के हेतु विदेशियों को अधिकार शुल्क देकर लाया गया है, तो भी यह एक बहुत कठिन उद्योग है । आरम्भ किये गये दो उद्योग अन्य उद्योगों के मूल उद्योग हैं । यह कहना भी ठीक नहीं कि ये उद्योग उत्पादन नहीं कर रहा है । १९५२ में एक एकक से ४,१६,००० के स्थान पर छः लाख का निर्माण किया गया है । सरकार ने तटकर आयोग की सिफारिशों को भी नहीं भुलाया है । अपने संकल्प के पैरा ३ में जिस की प्रति पुस्तकालय में रखी गई है, उन्हों ने लिखा है कि :

"ध्यान सिफारिश ११-१४ की ओर दिलाया जाता है ।"

इन सिफारिशों का संकल्प में उल्लेख किया गया है तथा मेरा दावा है कि सरकार ने काफी सावधानता से काम लिया है ।

संरक्षित उद्योगों के निरीक्षण के बारे में मुझे यह कहना है कि तटकर आयोग इस बारे में ध्यान दे रहा है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने हमारा ध्यान मुख्य प्रश्न की ओर दिलाया है । उन का कहना है कि सरकार दाव से संसद् के अधिकारों पर छापा मारना चाहती है । मैं ने स्वयं आरम्भ में यह कहा था कि मैं संसद् के अधिकारों को लेने से प्रसन्न नहीं हूं । हमारे जैसे देश में जहां उपभोग की इच्छा इतनी कम है हमें उपभोक्ता के हितों का ख्याल रखना होगा । उद्योग का भी इसी में हित है हम जानते हैं कि कुछ सीमा तक हम ये गलतियां

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

कर रहे हैं तो भी उपभोक्ता के हितों की रक्षा में सावधानता से काम लिया जाता है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि उद्योग बहुत प्रभावशाली हैं । ठीक है वे बहुत प्रभावशाली हैं । कई बार माननीय सदस्यों ने पूछा है कि आखिर हम इन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाते । यह तटकर आयोग द्वारा दिये गये संरक्षण से अधिक अच्छा संरक्षण है । मेरे दो विख्यात पूर्वाधिकारियों के आज के भाषण से मुझे बहुत प्रकाश मिला है । श्री हरेकृष्ण महताब ने पूछा है कि हम ने कपड़े के आयात की अनुमति क्यों दी है तथा इस के लिये १० प्रति शत 'कोटा' क्यों रखा है । मैं ने यह अनुमति नहीं दी, इसे कुछ शर्तों के अन्तर्गत दिया गया है तथा ८० से १०० प्रतिशत तक शुल्क लगाया गया है । आज हम एक संरक्षक देश बन गये हैं । १०० प्रतिशत का शुल्क पहले कभी नहीं सुना गया था । हमारे शुल्क बहुत अधिक संरक्षक हैं । कई बार मुझ से कुछ निश्चित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग की जाती है । एक तटस्थ संस्था ही ऐसी सिफारिशें करती है । कभी कभी होता है कि उसी राजस्व शुल्क को संरक्षक शुल्क में परिवर्तित नहीं किया जाता है ।

धारा ३५ के सम्बन्ध में वास्तविक कठिनाई यह है कि इस की अवधि २८ मार्च, १९५३ को समाप्त हो जाती है । हम इसे बढ़ाना चाहते हैं । सवाल उठता है कि क्या सरकार भविष्य में इसे छोड़ सकेगी । इस के विपरीत ऐसा जान पड़ता है कि तटकर आयोग पर अधिकाधिक पूछताछ का बोझ पड़ेगा । डा० लंका सुन्दरम ने कई बार पहले तटकर आयोग के बढ़ाने की मांग की है । हम अधिक उद्योगों को चला रहे हैं, अतएव तटकर आयोग को संरक्षण के और अधिक मामलों पर विचार करना होगा । यह आय दिन की बात हो जायेगी । यह कोई वार्षिक बात भी नहीं । यह तो हर मास के बाद सामने आती है । यदि ऐसा मान लिया जाये तो दो वर्ष की सीमा का कोई अर्थ नहीं रह जाता तथा हमें संसद की अनुमति को लेना होगा तथा इसे संविधि का एक स्थायी भाग बनाना ही होगा ।

एक दूसरी बात उस तरीके के सम्बन्ध में है जिसे संसद् की अनुमति के लेने के लिये काम में लाया जाता है । मूल प्रस्थापना यह थी कि अधिसूचना के जारी करने के पन्द्रह दिन के बाद विधेयक को संसद् के सामने लाना पड़ता है तथा उसे दो मास के अन्दर कानून बनाना पड़ता है । अब यदि मैं चार अधिसूचनायें जारी करता हूं तो मुझे चार बार सदन के सामने आना होगा । आप मुझे उन अधिसूचनाओं को एक साथ प्रस्तुत करने की अनुमति दें तथा इसे सत्र के अन्त में करने की अनुमति दें बजाय इस के कि सदन की बैठक को ८ बजे तक जारी रखा जाये । मेरे मित्र श्री गुहा ने एक रक्षा का उपाय यह चाहा था कि इसे सदन की बैठक के विसर्जित होने से पहले पुरःस्थापित किया जाय । निश्चय ही हम ने इसे पुरःस्थापित कर दिया है । हम नहीं चाहते कि इस की अवधि समाप्त हो जाय । एक और रक्षा का उपाय यह रखा गया है क्योंकि इसे दो महीने के अन्दर अन्दर पारित करना ही होगा । यदि संसद् की बैठक विसर्जित हो गई तो इस का सारा प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है । प्रत्येक अवस्था में सरकार को इसे छः मास के अन्दर पारित कराना ही पड़ता है तथा इस में संविधान के उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं उठता । सरकार इस संसद् पर आश्रित है तथा संसद् सरकार को किसी समय भी तोड़ सकती है । इस में तानाशाही का कोई प्रश्न नहीं है । लार्ड ह्यूवार्ट की पुस्तक तानाशाही के सम्बन्ध में ही है ।

हम दोनों सदनों के मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। किसी भी प्रदत्त विधान में हम इस बात का विस्तृत उल्लेख करते हैं कि उस विधेयक को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जायगा। यदि यह प्रश्न केवल नियमों के बनाने का ही है तो विधान को इस के प्रयोग की दृष्टि से सीमित रखना होगा। व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना कोई महत्व नहीं है। मैं समझता हूं कि सदन के परमादेशों के उल्लंघन का कोई भय नहीं है। मेरा इतना ही निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"विधेयक पर मतदान लिया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २—(धारा ३ ए का संशोधन आदि)

श्री ए० सी० गुहा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ १ में पंक्ति २४ के बाद निम्न शब्द आदिष्ट किये जायें :

"Provided that if the notification under Sub-section (1), is issued when Parliament is in session, such a Bill shall be introduced in Parliament during that session:

Provided further that where for any reason a Bill as aforesaid does not become law within six months from the date of its introduction in Parliament, the notification shall cease to have effect on the expiration of the said period of six months."

[यह उपबन्धित किया जाता है कि जब कभी उपधारा (१) के अन्तर्गत किसी अधिसूचना को संसद् के सत्र के समय जारी किया जाय तो इस प्रकार के विधेयक को उसी सत्र में प्रस्तुत करना होगा।

अग्रेतर, उपबन्धित किया जाता है कि यदि किसी कारण कोई विधेयक संसद् में पुर:स्थापन की तिथि के छ: मास बाद विधि नहीं बन सकता तो उस अधिसूचना का कथित छ: मास के काल के बीतने के बाद लागू होना बन्द हो जायगा।]

मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं संशोधन को स्वीकार करता हूं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं माननीय मंत्री को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं ने अपना भाषण रोष या दुर्भावनावश नहीं दिया था तथा उस से किसी पर वैयक्तिक आक्षेप का अभिप्राय नहीं था। कानून में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है जिस पर मुझे आपत्ति है। मेरी स्थिति प्रथम तो यह है कि सदन को इस के अधिकारों से कभी वंचित नहीं किया जाना चाहिये, दूसरे अधिकारों को प्रदत्त करने के बारे में मुझे यह बात बिल्कुल पसन्द नहीं कि जब सदन की बैठक हो रही हो तथा हम आसानी से चर्चा कर सकें तो इस प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत किया जाय।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वास्तव में स्थिति यह है कि सम्भवत: सदन इस पर चर्चा को आरम्भ न कर सके। संरक्षण जैसे मामले में अन्तिम निर्णय के हो जाने से सट्टा समाप्त हो जाता है तथा सरकार को तटकर आयोग की सिफारिश पर पुन: विचार

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

करने के लिये कुछ समय की आवश्यकता है। यदि सरकार कोई संकल्प पारित करे तो संसद् द्वारा इस के रद्द कर दिये जाने के अन्तर्गत यह लागू हो जाता है। दो वर्ष से यही हो रहा है। यदि कोई अधिसूचना जारी की जाये तो विधेयक को पन्द्रह दिन के अन्दर संसद् में पुरःस्थापित करना पड़ता है। हम ने सभी अधिसूचनाओं को इकट्ठा कर दिया है तथा उन्हें एक विधेयक में प्रस्तुत किया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जब सदन की बैठक न हो रही हो तो कोई अध्यादेश जारी किया जा सकता है, परन्तु जब सदन की बैठक हो रही हो, तो कोई अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता ;

श्रीमान्, मैं माननीय मंत्री द्वारा इस प्रकार के किसी विधेयक के प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता भी नहीं समझता हूं। वह सीधे ही संरक्षण का प्रस्ताव रख सकते हैं। मेरा निवेदन है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार अपनी गुप्त बातों को छिपा कर नहीं रख सकती तथा कि सट्टे आदि के होने की सम्भावना रहती है। मैं चाहता हूं कि ऐसे अवसरों पर सरकार संरक्षण का प्रस्ताव लाये। केवल विशेष विषयों में ही अधिसूचनायें जारी की जानी चाहियें तथा बाद में विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये। हम ने एक उपबन्ध यह रखा है कि जब सदन की बैठक हो रही हो तो विधेयक को अवश्य ही प्रस्तुत किया जाय। माननीय मंत्री उस से सहमत हो चुके हैं हम ने विशेष विषयों में दो वर्ष की स्वीकृति दी थी। अब माननीय मंत्री बिना किसी कारण के बतलाए इसे स्थायी रूप देना चाहते हैं, अन्यथा यह उपबन्ध कहां किया गया है कि इतने निश्चित समय में विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जायगा।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने इस संशोधन को नहीं पढ़ा है कि छः मास तक विधि का रूप न दिये जाने पर अधिसूचना का लागू होना बन्द हो जायेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं पूछना चाहता हूं कि दो मास के काल को बढ़ा कर छः मास कर देने के कारण क्या हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्थिति यह है कि यदि विधेयक को सत्र के अन्त में पुरः स्थापित किया जाय तथा इस पर चर्चा न हो सके तो इसे अवसित न समझा जाय बल्कि अगले सत्र के आरम्भ होने के तुरन्त पश्चात् इस पर विचार हो सके।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : तुरन्त क्यों नहीं ? हम नहीं जानते कि उपभोक्ता से कितना धन उस समय तक ले लिया जायगा। क्या उस सब धन को वापस लौटाया जा सकेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कोई धन नहीं लिया जाता है। सब धन सरकार को जाता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा कहना है कि बिना अधिकार के यह सरकार को भी नहीं मिलना चाहिये।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आज की स्थिति यह है कि हम ने आयात पर क्रियात्मक रूप से प्रतिबन्ध लगा रखा है तथा इस क्रम पर संरक्षण को लागू किया जाता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अनुरोध करता हूं कि चाहे विधेयक पारित हो भी जाये, माननीय मंत्री को यह देखना होगा कि छः महीने समाप्त न हो जायें तथा विधेयक को तुरन्त पारित कर दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें यह भी देख न होगा कि यदि किसी सत्र में विधेयक को पुरःस्थापित किया जाय तो उसी सत्र में इसे पारित किया जाय ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां, श्रीमान्, व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा वचन देता हूं । मैं तो जब तक नितान्त आवश्यकता न हो, किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत करने की भी अनुमति नहीं दूंगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : माननीय मंत्री एक ऐसी बात का वचन दे रहे हैं, जिस में हमें उन पर कोई सन्देह नहीं है । मुझे विश्वास है कि वह विधेयक को पारित कराने के निश्चय ही प्रयत्न करेंगे । परन्तु हम सदा के लिये कानून बना रहे हैं । मुझे माननीय मंत्री पर व्यक्तिगत रूप से तनिक सन्देह नहीं है । हमें तो यह देखना है कि हम सदा के लिये एक कानून बना रहे हैं । इसी कारण मैं इसके विरुद्ध हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव है कि :

"खण्ड २, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ को संशोधित रूप मे विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खण्ड ३ को विधेयक का अंग बना लिया गया :

खण्ड १ को विधेयक का अंग बना लिया गया ।

नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में पारित कर दिया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में, पारित कर दिया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में पारित कर दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक ५ मार्च, १९५३ के दो बजे तक के लिये स्थागत हो गई ।

GIPD—HS—252—PSD—2 1-54—285